भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

राज्य का वित्त

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या–6

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

राज्य का वित्त

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 6

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		ix
कार्यपालन सारांश		xi
अध्याय 1		
राज्य सरकार के वित्त		
राज्य की रूपरेखा		1
प्रस्तावना	1.1	2
2015–16 में राजकोषीय लेन–देनों का सारांश	1.1.1	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	3
बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़े	1.1.3	5
जेण्डर बजटिंग	1.1.4	5
राज्य के संसाधन	1.2	7
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	7
राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर सीधे निधियों का अंतरण	1.2.2	9
राजस्व प्राप्तियां	1.3	10
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	12
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.3.2	14
केन्द्रीय कर अंतरण	1.3.3	15
तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग	1.3.4	15
वर्ष 2014–15 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग द्वारा एवं वर्ष 2015–16 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अवार्ड किए गए करों एवं अनुदानों के हस्तांतरण की तुलना	1.3.5	16
संभावित राजस्व की हानि (Foregone Revenue)	1.3.6	16
'खाली भूमि एवं कृषि के उद्देश्य के लिए उपयोग की गई भूमि के अंतरण पर' उपकर जो कि निरर्थक/अप्रयुक्त रहा	1.3.7	17
पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	18
विनिवेश से प्राप्ति	1.4.1	18
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियां	1.4.2	18
लोक ऋण प्राप्तियां	1.4.3	18

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
लोक लेखे प्राप्तियां	1.5	19
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	19
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	1.6.1	19
पूंजीगत व्यय की संवृद्धि की प्रवृत्ति	1.6.2	22
राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति	1.6.3	23
वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं राजसहायताओं पर व्यय	1.6.4	24
राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1.6.5	27
स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं एवं निधियों का हस्तांतरण	1.6.6	27
व्यय की गुणवत्ता	1.7	28
सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	29
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.7.2	30
शासकीय व्यय और निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	31
निवेश तथा प्रतिलाभ	1.8.1	31
अपूर्ण परियोजनाएं	1.8.2	32
राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम	1.8.3	33
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	1.8.4	33
परिसम्पत्तियां तथा देयताएं	1.9	35
परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा संरचना	1.9.1	35
राजकोषीय देयताएं	1.9.2	35
समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना	1.9.3	37
प्रत्याभूतियों की स्थिति– आकस्मिक देयताएं	1.9.4	37
असंचालित आरक्षित निधियाँ	1.9.5	38
ऋण प्रबंधन	1.10	38
ऋण संधारणीयता	1.10.1	38
ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता	1.10.2	39
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	1.10.3	39
राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा	1.10.4	40
उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)	1.10.5	40
राजकोषीय असंतुलन	1.11	41

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप	1.11.1	42
घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता	1.12	43
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	1.13	44
अध्याय 2		
वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	47
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	47
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	48
आवंटनीय प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग–सारभूत बचतें	2.3.1	48
सतत बचतें	2.3.2	49
योजनाओं के अंतर्गत अधिक व्यय	2.3.3	50
योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान	2.3.4	50
विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है	2.3.5	50
अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	2.3.6	51
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण	2.3.7	51
समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें	2.3.8	52
निधियों के पुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृतियां	2.3.9	52
व्यय की अत्यधिकता	2.3.10	52
निधियों का आहरण एवं सिविल जमा में रखना	2.3.11	53
बिना प्रावधान के किए गए व्यय	2.3.12	53
अवास्तविक बजट अनुमान	2.3.13	53
पूंजीगत अनुभाग एवं राजस्व अनुभाग के अंतर्गत बजट प्रावधानों का गलत वर्गीकरण	2.3.14	53
जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के लिए बजट आवंटन की बचतों को समर्पित नहीं किया जाना	2.3.15	54
चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम	2.4	54
सारांशीकृत स्थिति	2.4.1	55
सतत बचतें	2.4.2	55
महत्वपूर्ण बचतें	2.4.3	56

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
चयनित अनुदानों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में अप्रयुक्त प्रावधान	2.4.4	56
बजट प्रावधानों का गलत वर्गीकरण	2.4.5	56
केंद्रीय निधियों का सिविल जमा में रखना	2.4.6	57
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	2.5	57
अध्याय 3		
वित्तीय प्रतिवेदन		
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब	3.1	59
राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखने की स्थिति	3.2	60
दुर्विनियोग, हानियां, गबन इत्यादि की सूचना	3.3	61
संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की प्रस्तुति में विलंब	3.4	63
विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान	3.5	63
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन	3.6	64
शासकीय लेखों में अपारदर्शिता	3.7	65
पूर्व वर्षों के दायित्वों का भुगतान आगामी वर्षों के बजट से किया जाना	3.8	65
बैंक खातों का अनियमित संधारण	3.9	66
निकायों एवं प्राधिकरणों को दिए गए अनुदान या ऋण के विवरणों का प्रस्तुतीकरण	3.10	67
व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण	3.11	68
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	3.12	72

परिशिष्ट

सरल क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)	75
1.2 भाग–क	सरकारी लेखों की संरचना	76
1.2 भाग–ख	31 मार्च 2016 को पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र	77
1.3 भाग–क	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली	78
1.3 भाग–ख	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005	79
1.4	राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	81
1.5 भाग–क	वर्ष 2015–16 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	84
1.5 भाग–ख	31 मार्च 2016 को मध्य प्रदेश सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	87
1.6	श्रेणी 1 एवं 2 के अंतर्गत जेण्डर बजट के उपयोगिता में कमी का विवरण	89
1.7	2015–16 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग (₹ 10 लाख या उससे अधिक)	91
1.8–क	राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण	92
1.8–ख	राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों का हस्तांतरण	92
1.9	31 मार्च 2016 की स्थिति में हानि में चलने वाले सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति, अद्यतन वर्ष जिसके लिये लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया था	94
1.10	जून 2016 तक विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं की स्थिति	96
2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिनमें बचतें ₹ 10 करोड़ या अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र	97
2.2 (क)	तालिका 2.2 में दिए गए अनुदानों/विनियोगों से संबंधित योजनाओं के प्रकरण जिनमें सारभूत बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ या अधिक) हुई	100

सरल क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.2 (ख)	अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में आधिक्य व्यय जिनमें प्रत्येक में व्यय ₹ 10 करोड़ या अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, का विवरण पत्र	108
2.2 (ग)	योजनाओं के प्रकरण जिनमें ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा	111
2.3	पिछले वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है	118
2.4	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	119
2.5	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक)	121
2.6	निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)	122
2.7	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) हुई है परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया	125
2.8	31 मार्च 2016 को ₹ 10 करोड़ या अधिक के निधियों के समर्पण के प्रकरण	126
2.9	निधियों की पुनर्विनियोग/समर्पणों की दोषपूर्ण स्वीकृतियां	129
2.10	व्यय की अत्यधिकता	130
2.11	8443–सिविल जमा–800–अन्य जमा में निधियों का अंतरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	133
2.12	ऐसे प्रकरण जिनमें पिछले तीन वर्ष के दौरान ₹ एक करोड़ या अधिक के संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे	134
2.13 (क)	पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक)	135
2.13 (ख)	राजस्व अनुभाग के अंतर्गत गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक)	136
2.14	चयनित अनुदानों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचतें, जहाँ बचतें ₹ पांच करोड़ या अधिक थी	137

सरल क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.15	पूंजीगत अनुभाग से संबंधित पूंजीगत परिसम्पत्तियों के उद्देश्य शीर्ष 63–मशीन के अधीन प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान राशि ₹ एक लाख तथा अधिक का राजस्व अनुभाग में वर्गीकरण	138
3.1	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्ष वार स्थिति	139
3.2	दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के प्रकरणों का मुख्य शीर्ष वार/अवधिवार ब्यौरा	141
3.3	चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के प्रकरणों के संबंध में मुख्य शीर्ष वार/संवर्गवार विवरण	143
3.4	2015–16 के दौरान अपलेखित प्रकरणों का मुख्य शीर्ष वार विवरण	144
3.5	2015–16 के दौरान हानि के मामलों में सूचित की गई वसूली	145
3.6	संचालक, नागरिक विमानन विभाग के भण्डार में आयटम्स की कमी	149
3.7	लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया जाना	150
3.8	लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत दर्ज किया जाना	152
3.9	सिंहस्थ 2016 से संबंधित देयताएँ	153
3.10	बैंक खातों के अनियमित संधारण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	154

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 एवं 2 में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे के परीक्षण से उद्‌भूत प्रकरणों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ समाविष्ट हैं। जहाँ आवश्यक हुआ, मध्य प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

3. अध्याय 3 'वित्तीय प्रतिवेदन' वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के राज्य सरकार द्वारा अनुपालन की स्थिति और विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

4. निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों में संव्यवहार की लेखापरीक्षा एवं सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से उद्‌भूत टिप्पणियां सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियां सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश सरकार के वित्त पर प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के आकलन के उद्देश्य से लाया गया है जो कि वित्तीय आंकड़ों (डाटा) के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित है। विश्लेषण को परिदृश्य देने के उद्देश्य से, हमने राज्य सरकार की उपलब्धियों की तुलना राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के लक्ष्यों, राज्य बजट अभिलेखों, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मानक और विभिन्न शासकीय विभागों और संस्थानों से प्राप्त अन्य वित्तीय आंकड़ों से करने का प्रयास किया है।

प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं पर विश्लेषणात्मक समीक्षा है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

पहला अध्याय वित्त लेखों की लेखा परीक्षा पर आधारित है और यह 31 मार्च 2016 को मध्य प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह बजटेत्तर मार्ग के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखे देने के अतिरिक्त राज्य के समग्र वित्त, वास्तविक व्यय की तुलना में बजट अनुमानों, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियां और राजसहायताओं, व्यय तथा उधार पद्धति की प्रवृत्ति पर अंतरदृष्टि डालता है। यह विकास, सामाजिक क्षेत्र और पूंजीगत व्यय पर राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता की पर्याप्तता के आंकलन को भी प्रस्तुत करता है।

दूसरा अध्याय विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं अनुदानवार विनियोगों का विवरण एवं सेवा प्रदायक विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, इस अध्याय में चयनित अनुदानों की समीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां भी दी गई हैं।

तीसरा अध्याय विभिन्न सूचना आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों के साथ मध्य प्रदेश सरकार के अनुपालन की एक सूची है।

प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से संग्रहीत आंकड़ों का संकलन भी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय–1: राज्य सरकार के वित्त

राजकोषीय स्थिति

- राज्य ने वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 5,740 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाये रखा जो कि बजट अनुमानों (₹ 5,588 करोड़) से अधिक था। तथापि इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 528 करोड़ की कमी, मुख्यतः सामाजिक कल्याण एवं पोषण, जल आपूर्ति एवं ऊर्जा पर राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण थी।

(कंडिकाएं 1.1.2 एवं 1.1.3)

- राज्य आपदा मोचन निधि, प्रत्याभूति मोचन निधि, ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित निक्षेप निधि एवं राज्य शासकीय कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना में कम अंतरण के कारण राजस्व आधिक्य ₹ 916.82 करोड़ अधिक बताए गए।

(कंडिका 1.1.2)

- वर्तमान वर्ष के दौरान, राज्य के राजकोषीय घाटे (₹ 14,065 करोड़) में विगत वर्ष से ₹ 2,713 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः निवल पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में भी 2014–15 में 2.34 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 2.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि यह चौदहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा बजट अनुमानों द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर था।

(कंडिकाएं 1.1.2 एवं 1.11.1)

संसाधन संग्रहण

- राज्य की राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,05,511 करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में 2015–16 के दौरान 19 प्रतिशत (₹ 16,870 करोड़) की वृद्धि केन्द्रीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश (₹ 14,291 करोड़ से) एवं स्वंय के कर राजस्व (₹ 3,647 करोड़ से) में वृद्धि के कारण हुई।

(कंडिकाएं 1.1.1 एवं 1.3)

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता में 1.52 प्रतिशत (2014–15) से 1.15 प्रतिशत (2015–16) की कमी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर 11.19 प्रतिशत (2014–15) से 16.62 प्रतिशत (2015–16) में वृद्धि के कारण हुई।

(कंडिका 1.3)

- केन्द्रीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश में 2014–15 में ₹ 24,107 करोड़ से 2015–16 के दौरान ₹ 38,398 करोड़ की वृद्धि चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत करों एवं अनुदानों के हस्तांतरण में अत्यधिक वृद्धि के कारण हुई।

(कंडिका 1.3.5)

- वर्तमान वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत राज्य के स्वंय के संसाधनों से आया जो कि 2014–15 के दौरान 53 प्रतिशत से तुलनात्मक रूप से कम था। कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए आकलन से अत्यधिक कम (क्रमशः 19.22 प्रतिशत एवं 32.51 प्रतिशत से) थी।

(कंडिकाएं 1.3 एवं 1.3.1)

व्यय प्रबंधन एवं राजकोषीय प्राथमिकता

- पूंजीगत व्यय में 2011–12 में ₹ 9,055 करोड़ से 2015–16 में ₹ 16,835 करोड़ की वृद्धि अंतरवर्षीय उतार चढ़ाव के साथ हुई। 2015–16 के दौरान, इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 4,957 करोड़ (42 प्रतिशत से) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 2,246 करोड़ से), ग्रामीण विकास (₹ 1,170 करोड़ से) एवं परिवहन (₹ 502 करोड़ से) के अंतर्गत थी। हालांकि, 2015–16 के दौरान पूंजीगत व्यय, बजट अनुमान ₹ 18,140 करोड़ से कम (₹ 1,305 करोड़ से) था।

(कंडिका 1.6.2)

- 2015–16 के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय (₹ 99,771 करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में 21.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 22.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत था। 2015–16 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में ₹ 12,461 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 3,051 करोड़ से), ऊर्जा (₹ 2,146 करोड़ से) एवं शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 1,466 करोड़ से) पर व्यय में वृद्धि के कारण थी। वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 68,319 करोड़) राज्य के मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 68,106 करोड़) से थोड़ा सा उच्च था।

(कंडिकाएं 1.6.1 एवं 1.6.3)

- वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज अदायगियां एवं राजसहायताएं (₹ 48,189 करोड़) पर व्यय, राजस्व व्यय का 48 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत था। ₹ 11,725 करोड़ की कुल राजसहायता भुगतानों में से, 60 प्रतिशत ऊर्जा विभाग से संबंधित थी।

(कंडिकाएं 1.6.4 एवं 1.6.4.4)

- 2015–16 के दौरान मध्य प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में दी गई प्राथमिकता, जब सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से तुलना की गई, पर्याप्त नहीं थी।

(कंडिका 1.7.1)

निवेश पर प्रतिलाभ

- 2015–16 के दौरान, सरकारी उधारियों पर औसत ब्याज दर 6.86 प्रतिशत के विरूद्ध सरकार द्वारा 2015–16 तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी समितियों इत्यादि में किए गए निवेश ₹ 16,599.57 करोड़ पर प्रतिलाभ (₹ 129.64 करोड़) केवल 0.78 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.8.1)

- छब्बीस सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमों, जिनके लेखे को 2015–16 तक अंतिम रुप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिए उनका कुल निवेश ₹ 14,460.30 करोड़ था, घाटे में चल रही थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 35,542.78 करोड़ तक हो गया।

(कंडिका 1.8.1)

रोकड़ शेष एवं देयताओं का प्रबंधन

- राज्य सरकार द्वारा 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में किए गए निवेश में, 31 मार्च 2015 को ₹ 4,791 करोड़ से 31 मार्च 2016 को ₹ 9,485 करोड़, ₹ 4,694 करोड़ की वृद्धि हुई। चूंकि 31 मार्च 2016 को बाजार कर्ज ₹ 56,141 करोड़ था, अतः 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में किए गए उच्च स्तर के निवेशों की समीक्षा की आवश्यकता है।

(कंडिका 1.8.4)

- बकाया राजकोषीय देयताओं में 2011–12 में ₹ 81,757 करोड़ से 2015–16 के अंत में ₹ 1,27,144 करोड़ की लगातार वृद्धि हुई। इन देयताओं में 2014–15 में 12.25 प्रतिशत के विरूद्ध 2015–16 के दौरान 16.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2015–16 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि मुख्यतः बाजार कर्ज (₹ 12,991 करोड़ से) के अंतर्गत हुई थी। 2015–16 के अंत में राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.50 प्रतिशत थी जो कि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 24.87 प्रतिशत के अंदर थी। ऋण की मात्रा बढ़ जाने के परिणामस्वरुप ऋण को चुकाने की देयताओं में वृद्धि हुई है।

(कंडिका 1.9.2)

अध्याय–2: वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

मूल एवं अनुपूरक अनुदानों के अंतर्गत बढ़े हुए प्रावधान

- वर्ष 2015–16 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 1,66,610.52 करोड़ के विरुद्ध ₹ 40,796.27 करोड़ (24.49 प्रतिशत) की बड़ी बचतें हुईं थी। 36 प्रकरणों (28 अनुदानों/विनियोगों) में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ एवं अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की कुल ₹ 33,602 करोड़ की समग्र बचतें हुई थी जो अनुपयुक्त बजट अनुमानों को दर्शाता है।

(कंडिकाएं 2.2 एवं 2.3.1)

बचतों का विलम्ब से समर्पण/समर्पण में विफलता

- वर्ष के दौरान कुल बचतों का केवल 47.70 प्रतिशत (₹ 19,459 करोड़) समर्पित किया गया था। 113 प्रकरणों में, ₹ 17,330 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक) की बचतें वित्त वर्ष के अंतिम दिवस को समर्पित की गई थी, जिससे इन निधियों की अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु गुंजाइश नहीं बची।

(कंडिकाएं 2.2 एवं 2.3.8)

आधिक्य व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है

- पूर्व वर्षो के 38 अनुदानों एवं 20 विनियोगों से संबंधित ₹ 918.09 करोड़ के अधिक व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है।

(कंडिका 2.3.5)

सिविल जमा में रखने के लिए राज्य की समेकित निधि से निधियों का अंतरण

- निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए, 31 मार्च 2016 को आहरित ₹ 54.01 करोड़ की निधियों को राज्य की समेकित निधि से लोक लेखे में सिविल जमा में अंतरित किया गया था, जिससे राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत उस वर्ष के लिए व्यय बढ़ा हुआ था।

(कंडिका 2.3.11)

अध्याय–3: वित्तीय प्रतिवेदन

अनुदानों के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दी गयी राशि ₹ 21,359.28 करोड़ के सहायता अनुदानों के संबंध में 31 मार्च 2016 को उपयोगिता प्रमाण–पत्र (27612) बकाया थे जो संबंधित विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमी को दर्शाता है।

(कंडिका 3.1)

स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

- पांच स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब (205 महीनों तक) हुआ, परिणामस्वरुप स्वायत्त निकायों की कार्यपद्धति की संवीक्षा में देरी हुई।

(कंडिका 3.2)

दुर्विनियोग, हानियां एवं गबन के प्रकरण

- 30 जून 2016 को विभिन्न विभागों में राशि ₹ 37.19 करोड़ के दुर्विनियोग, हानियों इत्यादि के कुल 3099 प्रकरण लंबित थे। 2991 प्रकरणों (97 प्रतिशत) में वसूली या अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित थे।

(कंडिका 3.3)

बहुप्रयोजन लघुशीर्ष '800' का संचालन

- लघुशीर्ष '800–अन्य प्राप्तियां/व्यय' के अंतर्गत दर्ज की गईं वृहद् राशियों (राजस्व एवं पूंजीगत व्यय मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 17,669.83 करोड़ एवं राजस्व प्राप्तियों मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 11,890.88 करोड़) के वर्गीकरण ने वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता को प्रभावित किया।

(कंडिका 3.7)

बैंक खातों का अनियमित रखरखाव

- छः विभागों में 31 मार्च 2016 की स्थिति में राज्य की समेकित निधि से राशि ₹ 28.25 करोड़ आहरित कर 51 बैंक खातों में रखी गई थी।

(कंडिका 3.9)

व्यक्तिगत जमा खातों में रखी गई निधियां

- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत जमा खाते, बिना वित्त विभाग के अनुमोदन के, वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी जारी रहे थे। मार्च 2016 की समाप्ति तक व्यक्तिगत जमा खातों में कुल राशि ₹ 3,231.92 करोड़ का अत्यधिक अंतिम शेष था। वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को बन्द करने में असफल होने के परिणामस्वरुप वर्ष के दौरान समेकित निधि के अंतर्गत व्यय को बढ़ा हुआ बताया गया।

(कंडिका 3.11)

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त

राज्य की रूपरेखा

मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह भौगोलिक दृष्टि (308 हजार वर्ग किलोमीटर) से दूसरा एवं जनसंख्या (2011 जनगणना के अनुसार 7.26 करोड़) की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा राज्य है। संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य की संस्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के अंतर्गत पूर्व के मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिलों से मिलाकर 1 नवंबर 2000 को नये राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया।

जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य की जनसंख्या में 2001 में 6.03 करोड़ से 2011 में 7.26 करोड़ की वृद्धि 20.40 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। राज्य की जनसंख्या के घनत्व में 2001 में 196 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से 2011 में 236 व्यक्ति प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई। हालांकि मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अखिल भारतीय औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की तुलना में निम्नतर है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत (44.30 प्रतिशत) अखिल भारतीय औसत (29.50 प्रतिशत) से उच्चतर था। राज्य की साक्षरता दर में 2001 में 69.69 प्रतिशत से 2011 की जनगणना अनुसार 69.32 प्रतिशत की आंशिक कमी आई जो कि अखिल भारतीय औसत 73.00 प्रतिशत (2011 जनगणना) से निम्नतर थी।

राज्य से संबधित सामान्य आंकड़े (विकास संकेतकों सहित) **परिशिष्ट 1.1** में दिए गए है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गई अवधि में राज्य में उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में संवृद्धि, राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेत है क्योंकि यह राज्य की जनता के जीवन स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया है:

वर्तमान मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि दर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
वर्तमान मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2011–12)	87,36,039	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086
सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	20.52	13.91	13.28	10.78	8.71
वर्तमान मूल्य पर मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2011–12)	3,15,561	3,80,926	4,35,790	4,84,538	5,65,053
सकल राज्य घरेलू उत्पाद[@] की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	19.80	20.71	14.40	11.19	16.62

(स्रोतः सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2016 को एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये विवरण पत्रक)

[@] वर्ष 2011–12 से 2014–15 के लिए वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित है इसलिए पूर्व प्रतिवेदनों में दर्शाए गए 2011–12 से 2014–15 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रतिशत अनुपात/विभिन्न मापदण्डों की उत्प्लावकता पुनरीक्षित कर दी गई है।

2015–16 के दौरान वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 5,65,053 करोड़ था, जिसमें विगत वर्ष की तुलना में 16.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2006–07 से 2015–16 के दौरान मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (14.52 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी के राज्यों (14.27 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय मध्य प्रदेश सरकार के 2015–16 के दौरान वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य राजकोषीय समूहों का विगत वर्ष की तुलना में विवेचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखे तथा उनमें उपलब्ध करायी गई जानकारी पर आधारित है। सरकारी लेखाओं की संरचना और प्रारूप तथा वित्त लेखे का विन्यास **परिशिष्ट 1.2 भाग–क** में चित्रित किया गया है।

संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के दिनांक से पूर्व अन्य वित्तीय समायोजनों के साथ–साथ, राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अभिभाजन को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इस दिशा में प्राप्त की गयी वास्तविक प्रगति **परिशिष्ट 1.2 भाग–ख** में दर्शाई गई है।

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धति और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों/ उच्चतम सीमाओं, चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्तियों एवं राज्य वित्त के समयबद्ध आंकड़े को **परिशिष्ट 1.3** एवं **परिशिष्ट 1.4** में चित्रित किया गया है।

1.1.1 2015–16 में राजकोषीय लेन–देनों का सारांश

तालिका 1.1 विगत वर्ष (2014–15) की तुलना में वर्तमान वर्ष (2015–16) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन–देनों का सारांश प्रस्तुत करती है, जबकि **परिशिष्ट 1.5 भाग–क** वर्तमान वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ–साथ प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण उपलब्ध कराता है।

तालिका 1.1: 2015–16 में राजकोषीय प्रचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	**2014–15**	**2015–16**	**संवितरण**	**2014–15**	**2015–16**		
अनुभाग–क: राजस्व					**आयोजनेत्तर**	**आयोजना**	**योग**
राजस्व प्राप्तियां	**88,640.78**	**1,05,510.60**	**राजस्व व्यय**	**82,372.82**	**68,319.27**	**31,451.43**	**99,770.70**
कर राजस्व	36,567.12	40,213.66	सामान्य सेवाएं	22,365.11	25,370.91	329.35	25,700.26
करेत्तर राजस्व	10,375.23	8,568.79	सामाजिक सेवाएं	32,067.15	22,845.98	19,804.95	42,650.93
संघ करों/शुल्कों का अंश	24,106.99	38,397.84	आर्थिक सेवाएं	23,715.12	15,125.15	10,403.37	25,528.52
भारत सरकार से अनुदान	17,591.44	18,330.31	सहायतानुदान तथा अंशदान	4,225.44	4,977.23	913.76	5,890.99
अनुभाग–ख: पूंजीगत एवं अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**27.73**	**26.47**	**पूंजीगत परिव्यय**	**11,877.68**	**156.90**	**16,678.57**	**16,835.47**
			सामान्य सेवाएं	257.17	121.90	427.32	549.22
			सामाजिक सेवाएं	2,070.32	1.96	3,022.53	3,024.49
			आर्थिक सेवाएं	9,550.19	33.04	13,228.72	13,261.76
कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियां	**6,765.05**	**162.32**	**संवितरित कर्ज तथा अग्रिम**	**12,534.61**	**2,110.65**	**1,047.26**	**3,157.91**
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	**0.91**	**1.93**	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन**	**0.98**	**-**	**-**	**1.94**
लोक ऋण प्राप्तियां	**15,068.71**	**19,985.30***	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	**4,920.52**	**-**	**-**	**4,860.36***
आकस्मिकता निधि	**300.00**	**1.08**	**आकस्मिकता निधि**	**301.08**	**-**	**-**	**-**
लोक लेखा प्राप्तियां	**1,10,294.74**	**1,32,772.19**	**लोक लेखा संवितरण**	**1,08,165.30**	**-**	**-**	**1,28,336.75**
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	**4,477.03**	**5,401.96**	**अन्तिम रोकड़ शेष**	**5,401.96**	**-**	**-**	**10,898.72**
योग	**2,25,574.95**	**2,63,861.85**	**योग**	**2,25,574.95**			**2,63,861.85**

** वर्ष के दौरान कोई अर्थोपाय अग्रिम आहरित नहीं किए गए थे।*

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2015–16 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैः

- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 16,869.82 करोड़ (19 प्रतिशत) की वृद्धि संघ करों/शुल्कों के अंश (₹ 14,290.85 करोड़ से) एवं स्वंय के कर राजस्व (₹ 3,646.54 करोड़ से) में वृद्धि के कारण हुई। 2015–16 के लिए राजस्व प्राप्तियां मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 1,14,422.89 करोड़) से ₹ 8,912.29 करोड़ से कम रहीं।
- राजस्व व्यय में ₹ 17,397.88 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि सामाजिक सेवा क्षेत्र (₹ 10,583.78 करोड़ से), सामान्य सेवा क्षेत्र (₹ 3,335.15 करोड़ से), आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 1,813.40 करोड़ से) एवं सहायता अनुदान अंशदान (₹ 1,665.55 करोड़ से) के अंतर्गत थी।
- पूंजीगत व्यय में ₹ 4,957.79 करोड़ (42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई; वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 3,711.57 करोड़ से) में वृद्धि के कारण थी।
- कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियों तथा संवितरण में क्रमशः ₹ 6,602.73 करोड़ तथा ₹ 9,376.70 करोड़ की कमी आई।
- लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 4,916.59 करोड़ (33 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि पुनर्भुगतान में ₹ 60.16 करोड़ की कमी आई। कोई अर्थोपाय अग्रिम आहरित नहीं किया गया।
- लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में क्रमशः ₹ 22,477.45 करोड़ (20 प्रतिशत) तथा ₹ 20,171.45 करोड़ (19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- राज्य सरकार के नकद शेषों में ₹ 5,496.76 करोड़ (102 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के प्रत्युत्तर में, राज्य सरकार ने अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ, जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे के प्रगामी निरसन के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थायित्व में विवेक की दृष्टि से, राजकोषीय घाटे सहित धारणीय ऋण प्रबंधन एकरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में वृहत्तर पारदर्शिता तथा मध्यम अवधि राजकोषीय ढाँचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित करना था।

चौदहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित राजकोषीय पूर्वानुमान तथा 2015–16 हेतु वास्तविक उपलब्धियों को **तालिका 1.2** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2: 2015–16 हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण एवं चौदहवें वित्त आयोग के अधीन राजकोषीय पूर्वानुमान

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय पूर्वानुमान	राज्य के लिए चौदहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट 2015–16 में प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+)	–	शून्य	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.00 प्रतिशत (बजट अनुमान के अनुसार (+) 5,587.97 करोड़)	(+) 5,740 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.02 प्रतिशत)

राजकोषीय पूर्वानुमान	राज्य के लिए चौदहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट 2015–16 में प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
राजकोषीय घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.50 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत से अधिक न हो	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत (बजट अनुमान के अनुसार (–)16,745.33 करोड़)	(–)14,065 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.49 प्रतिशत)
कुल बकाया ऋणों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात	24.87 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25.00 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 23.77 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.50 प्रतिशत

(स्रोतः चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा 2015–20, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005, 2015–16 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष बजट के साथ प्रस्तुत पत्रक तथा वित्त लेखे 2015–16)

- राज्य ने 2004–2005 में राजस्व आधिक्य उपार्जित कर लिया था और उसके पश्चात आधिक्य को बनाए रखा, इसमें विगत वर्ष की तुलना में 2015–16 के दौरान ₹ 528 करोड़ की कमी मुख्यतः सामाजिक कल्याण एवं पोषण, जलप्रदाय एवं ऊर्जा पर राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण हुई। जिसका विवरण **कंड़िका 1.6.1** में दिया गया है।

- 2015–16 के दौरान राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.49 प्रतिशत, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लक्ष्यों एवं चौदहवें वित्त आयोग में निर्धारित सीमा (3.50 प्रतिशत) के भीतर था। राजकोषीय घाटा, मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों (2.99 प्रतिशत) से भी कम था। यह अनुपात 2014–15 (2.34 प्रतिशत) की तुलना में अधिक था। 2015–16 के दौरान, विगत वर्ष की तुलना में इसमें ₹ 2,713 करोड़ की वृद्धि हुई।

- कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 22.50 प्रतिशत राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्य एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा क्रमशः निर्धारित 25.00 प्रतिशत एवं 24.87 प्रतिशत की सीमा के भीतर था। यह मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों (23.77 प्रतिशत) से भी कम था।

- 2015–16 के दौरान विनिर्दिष्ट निधियों में कम अंतरण/अंशदान के प्रकरण देखे गये जिसके परिणामस्वरुप राजस्व आधिक्य बढ़ाकर एवं राजकोषीय घाटा कम बताया गया। इन प्रकरणों का विवरण **तालिका 1.3** में दिया गया है।

तालिका 1.3: निधियों के कम अतंरण का राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	कम अंतरण/अंशदान का विवरण	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		आधिक्य	कमी	आधिक्य	कमी
1	एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक को अंशदान का कम अंतरण–राज्य शासकीय कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना	18.82	-	-	18.82
2	समेकित निक्षेप निधि में अंशदान नहीं किया जाना	543.43	-	-	543.43
3	प्रत्याभूति विमोचन निधि में कम अंशदान	10.58	-	-	10.58
4	राज्य आपदा मोचन निधि में कम अंतरण	343.99	-	-	343.99
योग		**916.82**	**-**	**-**	**916.82**

(स्रोतः वित्त लेखे 2015–16)

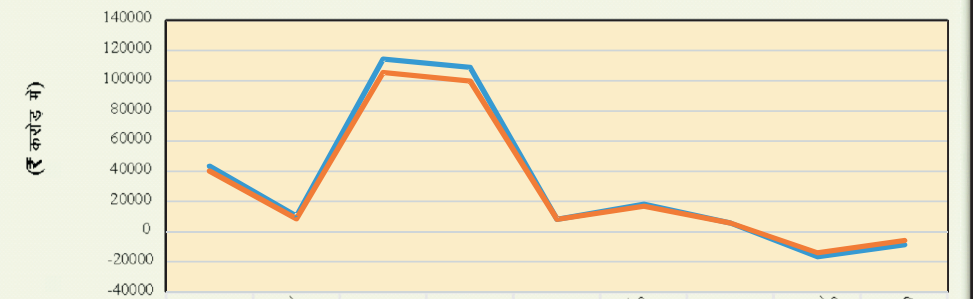
तालिका 1.3 से स्पष्ट है कि 2015–16 के दौरान राजस्व आधिक्य ₹ 916.82 करोड़ से अधिक बताया गया जबकि राजकोषीय घाटा ₹ 916.82 करोड़ से कम बताया गया।

1.1.3 बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़े

बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय की परिशुद्धता का महत्व राजकोषीय नीतियों को प्रभावशाली रूप से लागू करने के संदर्भ में समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों का प्राप्त न होना एवं प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग न होना दर्शाता है।

चार्ट 1.1 2015–16 के लिए कतिपय महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के लिए बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.1: चयनित राजकोषीय मापदण्ड: वास्तविक आंकड़ों की तुलना में बजट अनुमान



	कर राजस्व	करेत्तर राजस्व	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय	ब्याज अदायगियां	पूंजीगत व्यय	राजस्व आधिक्य	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा
बजट अनुमान	43448	10124	114423	108835	8058	18140	5588	-16745	-8688
वास्तविक आकडे	40214	8569	105511	99771	8091	16835	5740	-14065	-5974

(स्रोत: वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे और बजट अनुमान)

- राज्य की राजस्व प्राप्तियां (₹ 1,05,511 करोड़) बजट अनुमानों से ₹ 8,912 करोड़ (7.79 प्रतिशत) कम थी।
- करेत्तर राजस्व, बजट अनुमान से ₹ 1,555 करोड़ (15.36 प्रतिशत) कम था।
- राज्य का कर राजस्व (₹ 40,214 करोड़) बजट अनुमान से ₹ 3,234 करोड़ (7.44 प्रतिशत) कम था। इसके अतिरिक्त राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय बजट अनुमान से क्रमशः ₹ 9,064 करोड़ (8.33 प्रतिशत) तथा ₹ 1,305 करोड़ (7.19 प्रतिशत) कम थे।
- ब्याज भुगतान बजट अनुमान (₹ 33 करोड़ से) से थोड़ा सा अधिक था जो कि मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज में वृद्धि के कारण था।
- प्रमुख राजकोषीय संकेतकों यथा राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटे एवं प्राथमिक घाटे में बजट अनुमानों के संदर्भ की तुलना में सुधार दर्शित हुआ।

1.1.4 जेण्डर बजटिंग

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आंशिक हितलाभ दिलाने वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। जेण्डर बजटिंग की शुरूआत 2007–08 में की गई थी एवं जेण्डर बजट का पृथक खण्ड महिलाओं व लड़कियों से संबंधित बजट प्रावधानों का विवरण उपलब्ध करवाने के लिए, बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था (1) योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

2015–16 के दौरान, 25 विभागों[1] (श्रेणी 1: 58 योजनाओं एवं श्रेणी 2: 370 योजनाओं) में महिलाओं के हितलाभ हेतु बजट प्रावधान किए गए थे।

वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत (जुलाई 2016) की गई जानकारी के अनुसार, 2011–12 से 2015–16 तक के वर्षों के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में वर्षवार आवंटन एवं व्यय **तालिका 1.4** में दिया गया है।

तालिका 1.4: 2011–16 के दौरान जेण्डर बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत
2011-12	1,510.02	1,245.41	82.48	20,500.64	6,908.51	33.70
2012-13	1,745.00	1,473.08	84.42	23,038.77	19,195.10	83.32
2013-14	1,768.19	1,688.93	95.52	24,464.97	24,229.29	99.04
2014-15	1,813.41	890.48	49.11	36,340.81	27,501.26	75.68
2015-16	2,582.59	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	36,514.60	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
योग	**9,419.21**	**5,297.90**	**56.25**	**1,40,859.79**	**77,834.16**	**55.26**

(स्रोतः वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय सूचना)

महिला उन्मुख योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जेण्डर बजट में किए गए प्रावधानों का उपयोग अभिनिश्चित करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा ने आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (मई 2016) एवं आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (जुलाई 2016) के अभिलेखों की नमूना जांच की।

जेण्डर बजटिंग में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव के विश्लेषण पर किए गए अध्ययन के बारे में पूछे जाने पर दोनों विभागों द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। तथापि, इन विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी से प्रकट हुआ कि जेण्डर बजट के उपयोग में अत्यधिक कमी थी जैसा कि **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: 2015–16 के दौरान श्रेणीवार प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

श्रेणी 1 (100 प्रतिशत)					श्रेणी 2 (30 प्रतिशत)			
विभाग का नाम	योजनाओं की संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत (प्रतिशत)	योजनाओं की संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत (प्रतिशत)
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	01	1.00	0.36	0.64 (64.00)	21	433.43	355.16	78.27 (18.06)
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	05	74.79	29.85	44.94 (60.09)	44	4,413.14	3,012.91	1,400.23 (31.73)

जेण्डर बजट के उपयोग में कमी के बारे में पूछे जाने पर उपर्युक्त विभागों ने उत्तर दिया कि कमी का कारण रिक्त पदों, आवश्यकता के अनुसार व्यय एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध तथा जिलों द्वारा निधियों का आहरण न करना था।

[1] *1. गृह 2. वित्त 3. खेलकूद एवं युवा कल्याण 4. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार 5. किसान कल्याण एवं कृषि विकास 6. सहकारिता 7. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 8. नगरीय प्रशासन एवं विकास 9. स्कूल शिक्षा 10. विधि एवं विधायी कार्य 11. पंचायत 12. जनजातीय कल्याण 13. सामाजिक न्याय 14. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति 15. संस्कृति 16. पशुपालन 17. उच्च शिक्षा 18. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास 19. महिला एवं बाल विकास 20. ग्रामीण उद्योग 21. पिछड़ा वर्ग कल्याण 22. अनुसूचित जाति कल्याण 23. ग्रामीण विकास 24. आयुष 25. विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जाति कल्याण*

आगे यह भी देखा गया कि श्रेणी 1 के अंतर्गत तीन योजनाओं एवं श्रेणी 2 के अंतर्गत 35 योजनाओं में ₹ एक करोड़ से अधिक की कमी देखी गई जिसका विवरण **परिशिष्ट 1.6** में दर्शाया गया है।

यह स्पष्ट है कि चयनित दो विभागों में उद्दिष्ट किये गये प्रावधान श्रेणी 1 के अंतर्गत 69 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत तथा श्रेणी 2 के अंतर्गत 6.34 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत के मध्य अप्रयुक्त रहे। जिससे यह दर्शित हुआ कि महिला उन्मुख योजनाओं का कार्यान्वयन उपयुक्त ढ़ंग से नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया है कि जेण्डर बजट के लिए नया प्रारूप विचाराधीन था।

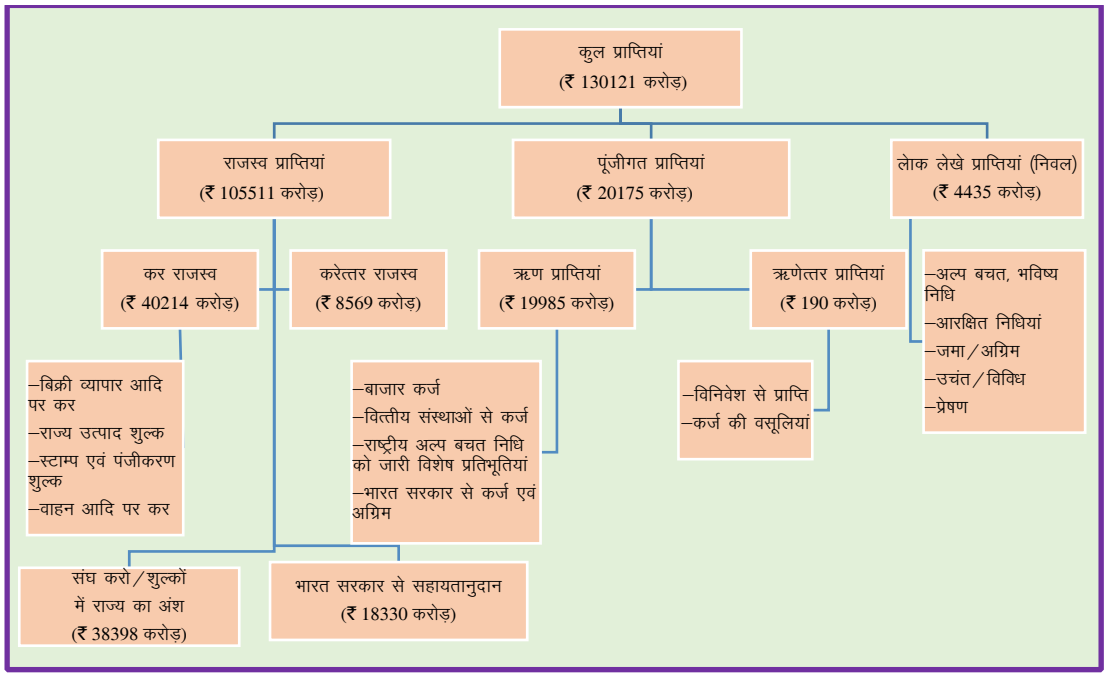
1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

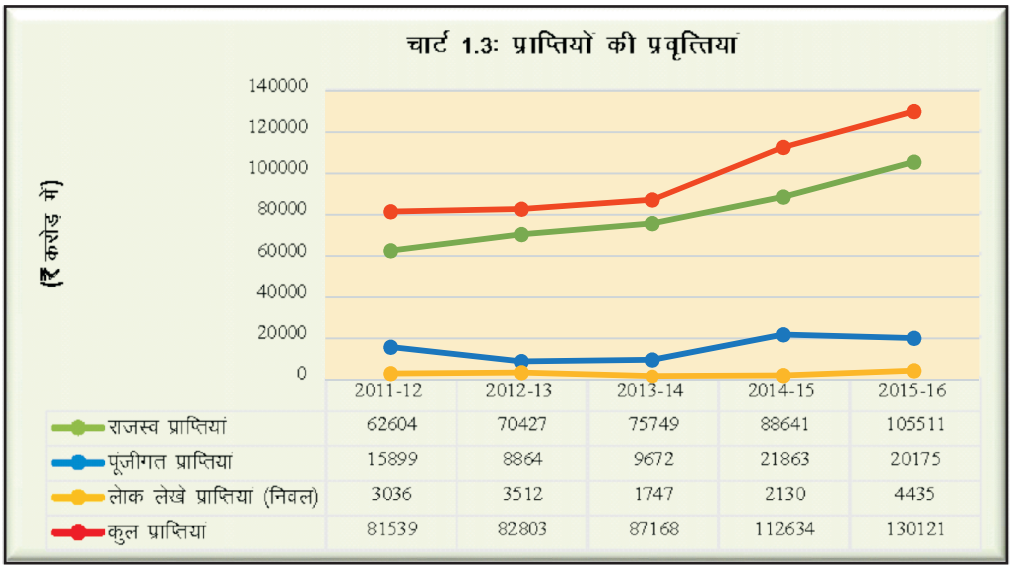
राजस्व तथा पूंजी, प्राप्तियों की दो धाराएं है जिनमें राज्य सरकार के संसाधन समाविष्ट है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से सहायतानुदान सम्मिलित है। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियों यथा विनिवेश से प्राप्त विक्रय धन, ऋण तथा अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार कर्ज, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधारियां) तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सहित लोक लेखे से निवल संग्रहण सम्मिलित है।

चार्ट 1.2 में 2015–16 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के संघटकों को श्रेणीबद्ध किया गया है।

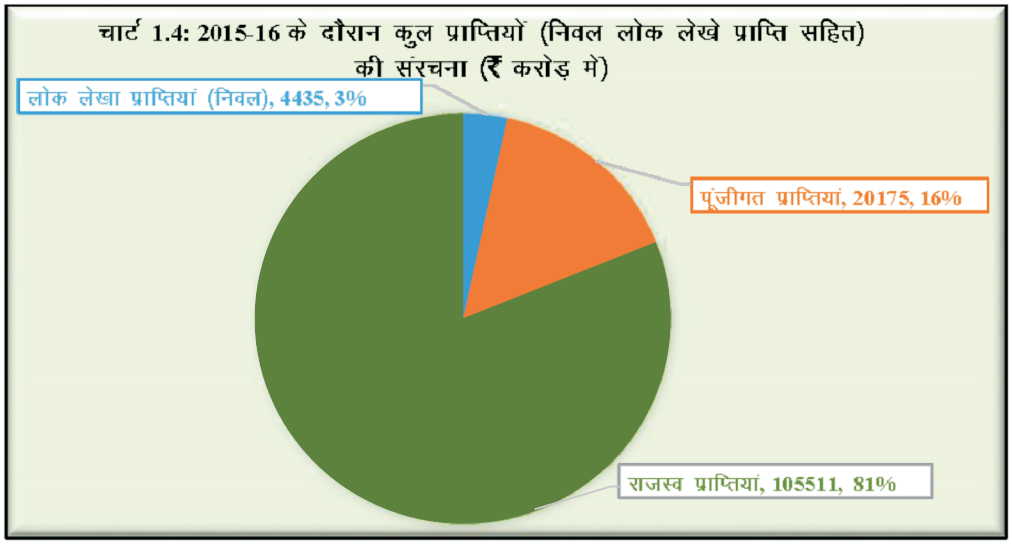
चार्ट 1.2: राज्य के संसाधनों के संघटक एवं उपसंघटक का फ्लोचार्ट



तालिका 1.1 वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के वार्षिक वित्त लेखे में यथा अभिलिखित प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जबकि **चार्ट 1.3** वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्ति का चित्रण करता है एवं **चार्ट 1.4** 2015–16 के दौरान प्राप्तियों की संरचना का चित्रण करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे)

- वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व, पूंजीगत एवं लोक लेखे प्राप्तियों (निवल) में कुल प्राप्तियों का क्रमशः 81 प्रतिशत, 16 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत समाविष्ट था।
- 2011–16 की अवधि के दौरान, राज्य की कुल प्राप्तियों (निवल लोक लेखे प्राप्तियां सहित) में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों एवं निवल लोक लेखे प्राप्तियों में क्रमशः 69 प्रतिशत, 27 प्रतिशत एवं 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में 2015–16 में कुल प्राप्तियों की संवृद्धि दर 16 प्रतिशत थी।
- वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों की सापेक्ष हिस्सेदारी 77 प्रतिशत और 87 प्रतिशत के बीच रही, जबकि इसी अवधि के दौरान कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत और 19 प्रतिशत के बीच रही।

- 2015–16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं निवल लोक लेखे प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 16,870 करोड़ (19 प्रतिशत) एवं ₹ 2,305 करोड़ (108 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 1,688 करोड़ (आठ प्रतिशत) की कमी हुई।

1.2.2 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर सीधे निधियों का अंतरण

भारत सरकार ऐसे आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में कार्यान्वयन के लिये निधियों को बड़ी प्रमात्रा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों[2] को अंतरित करती है। वर्तमान तंत्र में, ये निधियां राज्य बजट/राज्य कोषालय प्रणाली से नहीं गुजरती हैं इसलिए ये राज्य सरकार के लेखों में प्रदर्शित नहीं होती हैं। इस तरह राज्य के वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत संसाधनों की सम्पूर्ण तस्वीर उपलब्ध नहीं कराते। तथापि भारत सरकार ने 2014–15 से चरणबद्ध तरीके से केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिये राज्य की समेकित निधि के माध्यम से राज्य सरकार को सीधे निधियां अंतरित करने का निर्णय लिया (जुलाई 2013)।

वर्ष 2015–16 के दौरान भारत सरकार ने केवल ₹ 1,239.68 करोड़ राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे/प्रत्यक्ष रुप से अंतरित किये जो कि विगत वर्ष से ₹ 384.83 करोड़ (45.02 प्रतिशत) अधिक थे। मुख्य प्राप्तकर्ता सक्षम प्राधिकारी, भू–अर्जन सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश एवं परियोजना प्रबंधक, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (₹ 209.84 करोड़ अर्थात 16.93 प्रतिशत) मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (₹ 170 करोड़ अर्थात 13.71 प्रतिशत), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल (₹ 163 करोड़ अर्थात 13.15 प्रतिशत), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर (₹ 142.80 करोड़ अर्थात 11.52 प्रतिशत), भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल (₹ 134 करोड़ अर्थात 10.81 प्रतिशत), नेपा लिमिटेड (₹ 103.88 करोड़ अर्थात 8.38 प्रतिशत), मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल (₹ 56 करोड़ अर्थात 4.52 प्रतिशत) थे।

राज्य सरकार के माध्यम से निधियों को अंतरित करने के लिए नए चैनल को शुरु करने के पश्चात राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सामयिकता (Timeliness) पर प्रभाव अभिनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों जिन्होंने वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से निधियां प्राप्त की थीं, से जानकारी मांगी गई थी। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रस्तुत जानकारी को **तालिका 1.6** में विस्तृत विवरण दिया गया।

तालिका 1.6: अभिकरणों द्वारा निधियों की प्राप्तियों में विलंब

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त अंश की दिनांक	राशि एवं देय दिनांक जिस तक अभिकरणों द्वारा निधियां प्राप्त की जानी थी		राज्य सरकार से प्राप्त राशि/वास्तविक दिनांक		निधियों की प्राप्तियों में विलंब
		देय दिनांक	राशि	वास्तविक दिनांक	राशि	
1.	14.05.2015	17.05.2015	30.06	24.06.2015	30.06	एक माह 07 दिवस
2.	04.09.2015	12.09.2015	15.03	16.11.2015	15.03	दो माह 04 दिवस
3.	23.11.2015	26.11.2015	18.79	18.12.2015	18.79	22 दिवस

[2] *राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों में गैर सरकारी संगठनों सहित कोई संगठन/संस्थान, जो कि राज्य में विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार से प्राधिकृत है, सम्मिलित है।*

स. क्र.	राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त अंश की दिनांक	राशि एवं देय दिनांक जिस तक अभिकरणों द्वारा निधियां प्राप्त की जानी थी		राज्य सरकार से प्राप्त राशि/वास्तविक दिनांक		निधियों की प्राप्तियों में विलंब
		देय दिनांक	राशि	वास्तविक दिनांक	राशि	
4.	29.02.2016	02.03.2016	68.85	31.03.2016	68.85	29 दिवस
5.	31.12.2015	03.01.2016	6.51	26.02.2016	6.51	एक माह 23 दिवस

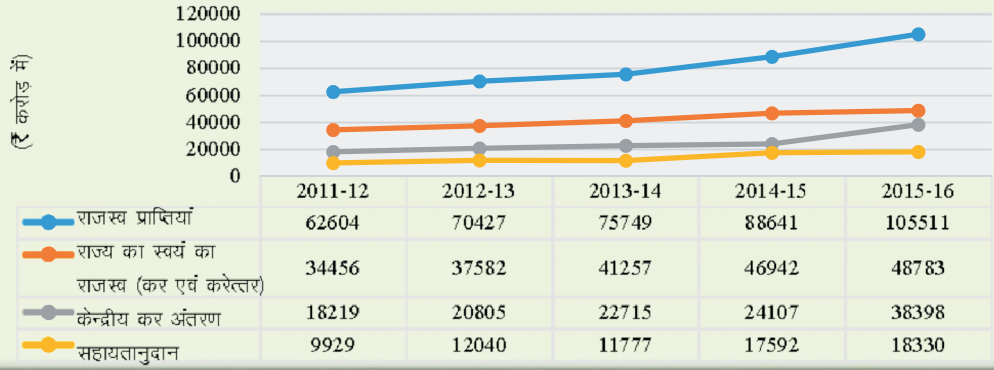
(स्रोतः मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

अन्य राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों की प्राप्तियों में सामयिकता का सत्यापन नहीं किया जा सका था क्योंकि अभिकरणों ने देय दिनांक एवं राज्य सरकार से प्राप्त की जाने वाली राशि को प्रस्तुत नहीं किया था।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे के विवरण पत्रक–14 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर अंतरणों एवं भारत सरकार से सहायता–अनुदान समाविष्ट हैं। 2011–16 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत की गई है और क्रमशः **चार्ट 1.5** एवं **1.6** में भी चित्रित की गई हैं।

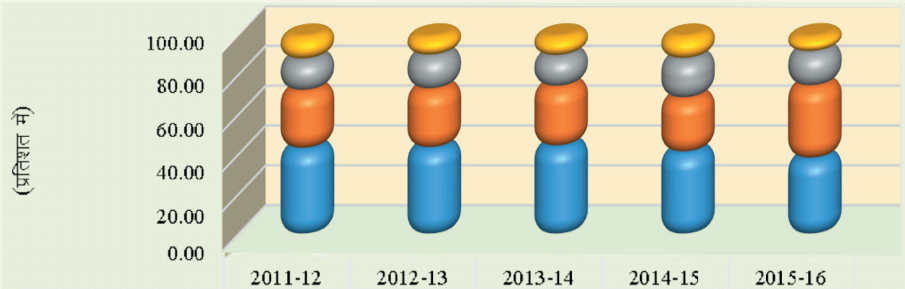
चार्ट 1.5: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व प्राप्तियां	62604	70427	75749	88641	105511
राज्य का स्वयं का राजस्व (कर एवं करेत्तर)	34456	37582	41257	46942	48783
केन्द्रीय कर अंतरण	18219	20805	22715	24107	38398
सहायतानुदान	9929	12040	11777	17592	18330

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.6: 2011-16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की संरचना



	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
करेत्तर राजस्व	11.95	9.94	10.17	11.70	8.12
सहायतानुदान	15.86	17.10	15.55	19.85	17.37
केन्द्रीय कर अंतरण	29.10	29.54	29.99	27.20	36.39
स्वयं के कर	43.09	43.42	44.29	41.25	38.12

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सामान्य प्रवृत्तियां

- राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2011–12 में ₹ 62,604 करोड़ से 2015–16 में ₹ 1,05,511 करोड़ तक 69 प्रतिशत की वृद्धि 15.37 प्रतिशत की औसत वार्षिक संवृद्धि दर से हुई। 2015–16 के दौरान संवृद्धि दर 2014–15 में 17.02 के विरुद्ध 19.03 प्रतिशत थी। हालांकि 2015–16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया, यह 2014–15 के दौरान 53 प्रतिशत की तुलना में कम था। वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (38 प्रतिशत) एवं करेत्तर राजस्व (आठ प्रतिशत) समाविष्ट था।

 निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन कर रही थी एवं वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में समय–समय पर पर्याप्त उपाय किए गए थे।

- वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का सापेक्ष अंशदान 38 प्रतिशत एवं 44 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि 2011–12 से 2015–16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के अन्य संघटको अर्थात करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर अंतरण एवं सहायता अनुदान का संयुक्त अंश 56 प्रतिशत एवं 62 प्रतिशत के मध्य रहा।

- जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है कि 2006–07 से 2014–15 के दौरान मध्य प्रदेश में राजस्व प्राप्तियों की संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर सामान्य श्रेणी के राज्यों से उच्चतर थी।

तालिका 1.7: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	**62,604**	**70,427**	**75,749**	**88,641**	**1,05,511**
राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	20.73	12.50	7.56	17.02	19.03
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	19.80	20.71	14.40	11.19	16.62
राज्य के स्वयं के कर की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	25.93	13.38	9.71	8.99	9.97
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.84	18.49	17.38	18.29	18.67
उत्प्लावकता अनुपात[3]					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.05	0.60	0.52	1.52	1.15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	1.31	0.65	0.67	0.80	0.60
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.80	0.93	0.78	1.89	1.91

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यिकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित जानकारी) वर्ष 2011–12 से 2014–15 के लिए वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान पुनरीक्षित है इसलिए पूर्व प्रतिवेदनों में दर्शाए गए 2011–12 से 2014–15 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रतिशत अनुपात/विभिन्न मापदण्डों की उत्प्लावकता भी पुनरीक्षित कर दी गई है।

आदर्शतः, राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर से अधिक होनी चाहिये ताकि समय के साथ बजट बेहतर संतुलित किया जा सके। **तालिका 1.7** के विश्लेषण पर निम्नलिखित प्रकट हुआः

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 2011–12 में 19.84 प्रतिशत से 2015–16 में 18.67 प्रतिशत की कमी अन्तरवर्षीय परिवर्तनों के साथ आई।

- 2011–12 में राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर में 20.73 प्रतिशत से 2013–14 में 7.56 प्रतिशत की लगातार कमी आई एवं उसके पश्चात 2014–15 में 17.02 प्रतिशत एवं 2015–16 में 19.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2015–16 में

[3] *उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत अस्थिरता में दिये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की प्रतिक्रियाशीलता का लचीलापन अथवा अवस्था दर्शाता है। उदाहरण के लिये 0.6 पर राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ होता है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशत पॉइन्ट तक वृद्धि की प्रवृत्ति होती है।*

वृद्धि मुख्यतः स्वयं के कर राजस्व एवं केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश में वृद्धि के कारण थी।

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर में 11.19 प्रतिशत (2014–15) से 16.62 प्रतिशत (2015–16) वृद्धि होने के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता के साथ राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता में विगत वर्ष (क्रमशः 1.52 एवं 0.80) की तुलना में 2015–16 (क्रमशः 1.15 एवं 0.60) में कमी आई।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केन्द्रीय करों एवं भारत सरकार से सहायता अनुदानों में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर निश्चित किया जाता है इसलिए संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन उसके स्वयं के स्त्रोतों जिसमें स्वयं के कर एवं करेत्तर स्त्रोत समाहित हैं से किया जाता है।

चौदहवें वित्त आयोग, पुनरीक्षित अनुमानों एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2015–16 के लिए राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर प्राप्तियां एवं संवृद्धि दर क्रमशः **तालिका 1.8** एवं **तालिका 1.9** में दी गई हैं।

तालिका 1.8: कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	चौदहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण	पुनरीक्षित बजट अनुमान 2015–16	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण प्रक्षेपण	वास्तविक आंकड़े
कर राजस्व	49,780	40,910	43,448	40,214
करेत्तर राजस्व	12,696	9,707	10,124	8,569

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे एवं राज्य बजट 2015–16 तथा 2016–17 के साथ राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विवरण एवं चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं)

तालिका 1.9: 2011–16 के दौरान कर/करेत्तर राजस्व की संवृद्धि दर

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
कर राजस्व	26,973	30,582	33,552	36,567	40,214
संवृद्धि दर (प्रतिशत)	25.93	13.38	9.71	8.99	9.97
करेत्तर राजस्व	7,483	7,000	7,705	10,375	8,569
संवृद्धि दर (प्रतिशत)	30.82	-6.45	10.07	34.65	-17.41

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

यह स्पष्ट है कि वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के कर राजस्व में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 3,647 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि करेत्तर राजस्व में ₹ 1,806 करोड़ की कमी आई। कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के संबंध में किए गए आकलन से अत्यधिक कम (क्रमशः 19.22 प्रतिशत एवं 32.51 प्रतिशत से) थी। कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण प्रक्षेपणों एवं पुनरीक्षित बजट अनुमानों की तुलना में थोड़ी कम थी।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण को **तालिका 1.10** में दिया गया है।

तालिका 1.10: राज्य के कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) (प्रतिशत में)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	12,517	14,856	16,650	18,136	19,806	9.21
राज्य उत्पाद शुल्क	4,317	5,078	5,907	6,696	7,923	18.32

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) (प्रतिशत में)
वाहन कर	1,357	1,531	1,599	1,824	1,933	5.98
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,284	3,944	3,400	3,893	3,868	-0.64
भू–राजस्व	279	444	366	243	277	13.99
माल तथा यात्री पर कर	2,047	2,395	2,579	2,686	3,085	14.85
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,773	1,478	1,972	2,010	2,258	12.34
अन्य कर	1,399	856	1,079	1,079	1,064	(-)1.39
कुल कर राजस्व	**26,973**	**30,582**	**33,552**	**36,567**	**40,214**	**(+)9.97**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- राज्य के स्वयं के कर राजस्व में विगत वर्ष की तुलना में 2015–16 के दौरान 9.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2015–16 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में बिक्री, व्यापार आदि पर कर की प्रमुख हिस्सेदारी (49.25 प्रतिशत) थी, इसके पश्चात राज्य उत्पाद शुल्क (19.70 प्रतिशत), स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (9.62 प्रतिशत), माल तथा यात्री कर (7.67 प्रतिशत), विद्युत पर शुल्क पर कर (5.61 प्रतिशत) एवं वाहन कर (4.81 प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी।
- बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 1,670 करोड़ से) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण उप शीर्ष 102–राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत अधिक प्राप्तियां (₹ 1,575 करोड़ से) थी। राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 1,227 करोड़ से) मुख्यतः '800–अन्य प्राप्तियां', के अंतर्गत थी। माल तथा यात्री कर (₹ 399 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि उप शीर्ष 106–माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (₹ 450 करोड़ से) के अंतर्गत थी जिसे उप शीर्ष 102–सड़कों पर पथकर (₹ 85 करोड़ से) के अंतर्गत कमी द्वारा आंशिक रुप से प्रतिसंतुलित किया गया। स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत ₹ 25 करोड़ की थोड़ी सी कमी देखी गई।

राजस्व की संग्रहण लागत

वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर, राज्य उत्पाद शुल्क एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क का सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर हुआ व्यय एवं सकल संग्रहण से उसकी प्रतिशतता इसके साथ ही संबंधित विगत वर्षों के लिए अखिल भारतीय संग्रहण की औसत लागत को **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: राजस्व प्राप्तियों की संग्रहण लागत

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व के शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत (प्रतिशत में)
1.	बिक्री व्यापार आदि पर कर	2014-15	19,500.00	18,135.96	144.81	0.80	0.88
		2015-16	21,300.00	19,806.15	144.28	0.73	0.91
2.	वाहन कर	2014-15	2,000.00	1,823.84	42.67	2.34	6.25
		2015-16	2,300.00	1,933.57	63.67	3.30	6.08
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	2014-15	6,730.00	6,695.54	1,233.87	18.43	1.81
		2015-16	7,800.00	7,922.84	1,554.53	19.62	2.09
4.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2014-15	4,000.00	3,892.77	102.96	2.64	3.37
		2015-16	4,700.00	3,867.69	119.89	3.10	3.59

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), म.प्र. द्वारा संकलित जानकारी)

- यह देखा जा सकता है कि 2015–16 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में संग्रहण लागत का प्रतिशत अखिल भारतीय संग्रहण की औसत लागत से अधिक था। यद्यपि बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क के संबंध में संग्रहण लागत अखिल भारतीय औसत से कम थी।
- 2015–16 के दौरान करों अर्थात बिक्री व्यापार आदि पर कर, वाहन कर तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क का सकल संग्रहण बजट अनुमानों से कम था, जबकि राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में सकल संग्रहण बजट अनुमानों से अधिक था।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में मुख्यतः ब्याज, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, वानिकी तथा वन्य प्राणी, शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति से प्राप्तियां शामिल हैं जैसा कि **तालिका 1.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: करेत्तर राजस्व की संवृद्धि दर

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2015–16 के दौरान प्रतिशत वृद्धि(+)/कमी(-)
ब्याज प्राप्तियां	1,571	301	318	1,261	429	(-)65.98
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2,038	2,443	2,306	2,814	3,060	(+)8.74
वानिकी तथा वन्य प्राणी	879	910	1,037	969	1,002	(+)3.41
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	1,551	1,682	2,008	3,276	1,292	(-)60.56
लाभांश एवं लाभ	38	18	379	80	130	(+)62.50
अन्य करेत्तर प्राप्तियां	1,406	1,646	1,657	1,975	2,656	(+)34.48
योग	**7,483**	**7,000**	**7,705**	**10,375**	**8,569**	**(-)17.41**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- करेत्तर राजस्व में, 2014–15 में ₹ 10,375 करोड़ से 2015–16 में ₹ 8,569 करोड़ तक, ₹ 1,806 करोड़ की कमी हुई, जिसका मुख्य कारण शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 1,984 करोड़ से) एवं ब्याज प्राप्तियों (₹ 832 करोड़ से) के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी थी।
- 2015–16 के दौरान, करेत्तर राजस्व में मुख्य रूप से योगदान करने वालो में अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (35.71 प्रतिशत) एवं शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (15.08 प्रतिशत) एवं वानिकी एवं वन्य प्राणी (11.69 प्रतिशत) थे।
- राज्य सरकार द्वारा ऋण समेकन एवं राहत सुविधा योजना के अंतर्गत कोई भी राशि ऋण अधित्याग के रुप में प्राप्त नहीं की गई थी।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

तालिका 1.13: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आयोजनेत्तर अनुदान	2,114	333	3,540	4,425	3,990
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	4,215	7,099	5,536	9,011	13,371
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	364	500	153	1,263	359
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	3,236	4,108	2,548	2,893	610
विशेष आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	--	--	--	--	--
योग	**9,929**	**12,040**	**11,777**	**17,592**	**18,330**
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) की प्रतिशतता	9.39	21.26	(-) 2.18	49.38	4.19
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	15.86	17.10	15.55	19.85	17.37

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 2011–12 में ₹ 9,929 करोड़ से 2015–16 में ₹ 18,330 करोड़ (84.61 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः आयोजनेत्तर अनुदान (88.74 प्रतिशत) एवं राज्य आयोजनागत योजनाओं (217.22 प्रतिशत) के कारण हुई।

2015–16 के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 738 करोड़ की थोड़ी सी वृद्धि हुई जिसका कारण राज्य आयोजनागत योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में ₹ 4,360 करोड़ की वृद्धि थी जो कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में ₹ 2,283 करोड़ एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में ₹ 904 करोड़ की कमी द्वारा आंशिक रुप से प्रतिसंतुलित हुई।

1.3.3 केन्द्रीय कर अंतरण

केन्द्रीय करों का हस्तांतरण वित्त आयोग अवार्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2015–16 के दौरान ₹ 38,398 करोड़ के केन्द्रीय कर अंतरण वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण में दी गई अनुमानित राशि ₹ 30,450 करोड़ से अत्यधिक अधिक थे। इसमें 2014–15 में ₹ 24,107 करोड़ से ₹ 14,291 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 3,660 करोड़ से), सेवा कर (₹ 3,102 करोड़ से), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (₹ 2,899 करोड़ से) एवं निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 2,389 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी।

1.3.4 तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग

राज्य सरकार के विभिन्न अंगों में सुधार के लिए, चौदहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों के लिए अनुदानों की अनुशंसा की थी। वर्ष 2015–16 के लिए वित्त लेखों के विवरण पत्रक क्रमांक 14 के अनुसार, राज्य सरकार ने ₹ 2,866.55 करोड़ (₹ 2,208.80 करोड़ मुख्य शीर्ष 1601–01–104–संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान एवं ₹ 657.75 करोड़ मुख्य शीर्ष 1601–01–109–राज्य आपदा मोचन निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान) के वित्त आयोग अनुदान प्राप्त किए थे। तेरहवें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2014–15 तक थी, तथापि राज्य ने तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग वर्ष 2015–16 के दौरान भी किया था। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत तेहरवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग की स्थिति, जहाँ वर्ष 2015–16 के लिए कुल बजट प्रावधान या व्यय ₹ 10 लाख या उससे अधिक था, **परिशिष्ट 1.7** में दी गई है जिससे निम्नलिखित प्रकट हुआः

- कुल बजट प्रावधान ₹ 4,122.35 करोड़ में से, ₹ 111.94 करोड़, कुल प्रावधान का 2.72 प्रतिशत उपयोग किया गया था एवं वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 35.04 करोड़ को समर्पित/पुनर्विनियोजित किया गया था परिणामस्वरुप ₹ 4,010.41 करोड़ की बचतें हुईं। यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदानों के उपयोग में पहल की कमी को दर्शाता है।
- वर्ष 2015–16 के दौरान, लेखा शीर्ष 5452–01–190 के अंतर्गत योजना शीर्षों 6559, 6560, 6561, 6563, 6565, 6566, 6567, 6568 एवं 6571 में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग किया गया था।
- कुल तीन प्रकरणों जहॉ बचतें हुईं थी, में से 100 प्रतिशत बचतें शीर्ष 2070–800–7720–केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत थीं। शेष दो प्रकरणों में बचतें कुल बजट प्रावधान का 23.05 प्रतिशत एवं 48.14 प्रतिशत थीं।
- शीर्ष 4235–02–102–5360–आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण के अंतर्गत प्रत्याशित बचतें ₹ 37.03 करोड़ के विरुद्ध ₹ 37.57 करोड़ समर्पित किए गए थे परिणामस्वरुप ₹ 0.54 करोड़ का आधिक्य समर्पण हुआ जो अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

1.3.5 वर्ष 2014–15 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग द्वारा एवं वर्ष 2015–16 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अवार्ड किए गए करों एवं अनुदानों के हस्तांतरण की तुलना

तेरहवें वित्त की अवधि 31 मार्च 2015 तक थी एवं चौदहवे वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2015 से प्रारम्भ हुई थी। तेरहवे वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्य के अंश को 32 प्रतिशत करने की अनुशंसा की थी जिसे चौदहवें वित्त आयोग ने 42 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुशंसा की। राज्य की राजस्व प्राप्तियों पर चौदहवे वित्त आयोग की अनुशंसाओं का प्रभाव अभिनिश्चत करने के लिए, वर्ष 2014–15 के दौरान तेरहवे वित्त आयोग द्वारा एवं वर्ष 2015–16 के दौरान चौदहवे वित्त द्वारा अवार्ड किए गए करों एवं अनुदानों के हस्तांतरण की तुलना **तालिका 1.14** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.14: वर्ष 2014–15 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग द्वारा एवं वर्ष 2015–16 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अवार्ड किए गए करों एवं अनुदानों के हस्तांतरण की तुलना

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अंतरण	वर्ष 2014–15 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान	वर्ष 2015–16 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान
1	**केन्द्रीय करों में राज्य का अंश/करों का हस्तांतरण**	**24,106.99**	**38,397.84**
2	**स्थानीय निकाय**	**1,721.50**	**1,960.40**
	पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	**1,224.01**	**1,463.61**
	पंचायती राज संस्थाओं को सामान्य मूल अनुदान	728.32	1,463.61
	पंचायती राज संस्थाओं को सामान्य निष्पादन अनुदान	495.69	-
	नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	**444.49**	**496.79**
	सामान्य मूल अनुदान	264.48	496.79
	नगरीय स्थानीय निकायों को सामान्य निष्पादन अनुदान	180.01	-
	स्थानीय निकायों को विशेष क्षेत्र अनुदान	**53.00**	-
3	**राज्य आपदा राहत निधि**	**477.39**	**877.00**
4	**क्षमता निर्माण**	**5.00**	**-**
5	**परिणामी अनुदान में सुधार**	**141.42**	**-**
	(i) न्याय प्रदान करने में सुधार	81.48	-
	(ii) आधार कार्ड को जारी करने के लिए प्रोत्साहन राशि	49.94	-
	(iii) राज्य में सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार	10.00	-
6	**वनों का संरक्षण**	**122.58**	**-**
7	**जल क्षेत्र प्रबंधन**	**37.00**	**-**
8	**प्राथमिक शिक्षा**	**537.00**	**-**
9	**सड़कें एवं पुल**	**307.00**	**-**
10	**राज्य विशिष्ट अनुदान**	**307.75**	**-**
योग		**27,763.63**	**41,235.24**

(स्रोतः तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा)

तालिका 1.14 स्पष्ट है कि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अवार्ड किए गए करों एवं अनुदानों के हस्तानांतरण में तेरहवे वित्त आयोग की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। वर्ष 2015–16 के दौरान केन्द्रीय करों में राज्य का अंश ₹ 38,398 करोड़ था इसमें विगत वर्ष (₹ 24,107 करोड़) की तुलना में 59.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी एवं 2015–16 के दौरान यह राजस्व प्राप्तियों का 36.39 प्रतिशत था।

1.3.6 संभावित राजस्व की हानि (Foregone Revenue)

31 मार्च 2016 को तीन विभागों द्वारा सूचित किए गए राजस्व अपवंचन के विवरण **तालिका 1.15** में दिए गए है। अन्य तीन राजस्व विभागों ने जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है।

तालिका 1.15: कर का अपवंचन

राजस्व की प्रकृति	31.03.2015 को लंबित प्रकरणों की संख्या	2015–16 के दौरान जानकारी में आए प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की कुल संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अन्वेषण पूर्ण कर लिया गया एवं अतिरिक्त मांग बढ़ाई गई शास्ति सहित		31.03.2016 को लंबित प्रकरणों की संख्या
				प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	340	354	694	333	677.09	361
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	15,244	14,773	30,017	11,403	69.79	18,614
खनन प्राप्तियां	722	13,314	14,036	12,191	4,853.86	1,845
योग	**16,306**	**28,441**	**44,747**	**23,927**	**5,600.74**	**20,820**

(स्रोतः महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) म.प्र. द्वारा संधारित जानकारी)

1.3.7 'खाली भूमि एवं कृषि के उद्देश्य के लिए उपयोग की गई भूमि के अंतरण पर' उपकर जो कि निरर्थक/अप्रयुक्त रहा

मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1981 की कंड़िका 9 के अनुसार, खाली भूमि एवं कृषि के उद्देश्य के लिए उपयोग की गई भूमि के विक्रय, दान, भोगबंधक या तीस या अधिक वर्ष की कालावधि के लिए पट्टा करने पर स्टाम्प शुल्क की उस रकम के, जिससे कि ऐसे अंतरण की लिखत भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1–क के सुसंगत अनुच्छेद के अनुसार प्रभार्य है, पांच प्रतिशत की दर से उपकर प्रभारित, उद्गृहीत एवं संदत्त किया जाएगा। उपकर प्राप्तियों का ग्रामीण विकास विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

'खाली भूमि एवं कृषि के उद्देश्य के लिए उपयोग की गई भूमि के अंतरण' से एकत्रित उपकर का उपयोग, जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया था, के लिए किया जा रहा है यह अभिनिश्चित करने के उद्देश्य से उपकर एकत्रित करने के लिए उत्तरदाई महानिरीक्षक एवं स्टाम्प अधीक्षक, मध्य प्रदेश से जानकारी मांगी गई थी। महानिरीक्षक एवं स्टाम्प अधीक्षक, मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी **तालिका 1.16** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.16: वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान खाली भूमि एवं कृषि के उद्देश्य के लिए उपयोग की गई भूमि के अंतरण पर एकत्रित उपकर जो कि निरर्थक/अप्रयुक्त रहा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एकत्रित उपकर	उपयोग के लिए जारी उपकर	जारी करने के पश्चात अप्रयुक्त शेष उपकर
2011-12	89.13	85.30	3.83
2012-13	84.72	84.72	-
2013-14	71.54	71.54	-
2014-15	67.66	-	-
2015-16	54.04	-	-
योग	**367.09**	**241.56**	**3.83**

(स्रोतः महानिरीक्षक एवं स्टाम्प अधीक्षक, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त जानकारी)

तालिका 1.16 से देखा जा सकता है कि 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान 'खाली भूमि एवं कृषि के उद्देश्य के लिए उपयोग की गई भूमि के अंतरण' से उपकर के रुप में ₹ 367.09 करोड़ एकत्रित किए गए थे। तथापि केवल ₹ 241.56 करोड़ उपयोग के लिए जारी किए गए थे एवं ₹ 125.53 करोड़ अप्रयुक्त पड़े थे। उपयोग के लिए जारी किए गए ₹ 241.56 करोड़ में से, ₹ 3.83 करोड़ नवम्बर 2016 को अप्रयुक्त पड़े हुए थे। इससे ग्रामीण विकास विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एकत्रित उपकर का कम उपयोग दर्शित होता है।

₹ 3.83 करोड़ अप्रयुक्त रखने एवं 2014–15 के दौरान एकत्रित उपकर को उपयोग के लिए जारी नहीं करने के कारण के बारे में पूछे जाने पर महानिरीक्षक एवं स्टाम्प

अधीक्षक, मध्य प्रदेश ने उत्तर दिया कि ₹ 3.83 करोड़ ग्रामीण विकास निधि को अंतरण करने एवं 2014–15 के दौरान एकत्रित उपकर को उपयोग के लिए जारी करने संबंधी प्रस्ताव सरकार को क्रमशः 8 अप्रैल 2013 एवं 14 जनवरी 2016 को भेजे गए थे लेकिन दोनों प्रस्तावों का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2016)। 2015–16 के दौरान एकत्रित उपकर के संबंध में महानिरीक्षक एवं स्टाम्प अधीक्षक, मध्य प्रदेश ने उत्तर दिया कि प्रस्ताव सरकार को भेजा जा रहा था।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इस संबंध में स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग को निर्देश जारी किए जाएंगे।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

तालिका 1.17 पूंजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं संवृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.17: प्राप्तियों की संरचना एवं संवृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्त्रोत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूंजीगत प्राप्तियां	**15,899**	**8,864**	**9,672**	**21,863**	**20,175**
ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियां	**9,149**	**73**	**131**	**6,794**	**190**
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	23	31	36	28	26
अंतर्राज्यीय परिशोधन	3	9	2	1	2
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली	9,123	33	93	6,765	162
ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	**6,750**	**8,791**	**9,541**	**15,069**	**19,985**
पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	102.25	-44.25	9.12	126.04	-7.72
ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	2,170.22	-99.20	79.45	5,086.26	-97.20
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	-9.49	30.24	8.53	57.94	32.62
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	19.80	20.71	14.40	11.19	16.62

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4.1 विनिवेश से प्राप्ति

वित्त लेखे 2015–16 के अनुसार, विविध पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत सहकारी समितियों/बैंकों के विनिवेश में 2014–15 में ₹ 22.22 करोड़ से 2015–16 में ₹ 20.87 करोड़ की अंशतः कमी आई।

1.4.2 कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियां

2015–16 के दौरान ₹ 162.32 करोड़ के कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली बजट अनुमानों (₹ 30.84 करोड़) से बहुत अधिक रही। यद्यपि विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक वसूली में ₹ 6,603 करोड़ की अत्यधिक कमी थी क्योंकि 2014–15 के दौरान कर्ज की वसूली असामान्यता बहुत अधिक थी जिसका मुख्य कारण 'विद्युत परियोजनाओं के लिये ऋण' राशि ₹ 6,694 करोड़ की वसूली था।

1.4.3 लोक ऋण प्राप्तियां

लोक ऋण प्राप्तियों में आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण सम्मिलित होते है। 2015–16 के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों में 2014–15 में ₹ 15,069 करोड़ से ₹ 19,985 करोड़, ₹ 4,916 करोड़ की वृद्धि हुई। लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 4,963 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः आंतरिक ऋणों में 2014–15 में ₹ 13,696 करोड़ से 2015–16 में ₹ 18,659 करोड़ तक की वृद्धि के कारण हुई थी। 2015–16 के दौरान बाजार कर्ज (₹ 14,700 करोड़), लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 19,985 करोड़) का मुख्य अंशदाता (74 प्रतिशत) था।

भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम में 2014–15 में ₹ 1,372 करोड़ से 2015–16 में ₹ 1,326 करोड़, ₹ 46 करोड़ की अंशतः कमी आई।

1.5 लोक लेखे प्राप्तियां

कुछ निश्चित लेन देनों के संबंध में प्राप्तियां एवं संवितरण जैसे अल्प बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण, इत्यादि जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं इन पर राज्य विधानसभा द्वारा वोट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सरकार एक बैंकर की तरह कार्य करती है। संवितरण के पश्चात शेष राशि, सरकार के पास उपलब्ध वह राशि है जिसका वह अपने लिए उपयोग करती है।

2011–16 के दौरान लोक लेखे प्राप्तियों के संबंध में प्रवृत्तियों को **तालिका 1.18** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.18: लोक लेखे प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
लोक लेखे प्राप्तियां (सकल)	**76,315**	**86,248**	**94,811**	**1,10,295**	**1,32,772**
(क) अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	2,033	2,319	2,784	3,143	3,498
(ख) आरक्षित निधि	1,534	2,441	1,612	1,172	2,719
(ग) जमा एवं अग्रिम	9,872	6,502	10,369	16,349	23,349
(घ) उचंत एवं विविध	50,620	59,819	64,444	76,099	87,338
(ड.) प्रेषण	12,256	15,167	15,602	13,532	15,868

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

लोक लेखे प्राप्तियों (सकल) में 2014–15 में ₹ 1,10,295 करोड़ से 2015–16 में ₹ 1,32,772 करोड़, ₹ 22,477 करोड़ (20 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः उचंत तथा विविध (₹ 11,239 करोड़ से) तथा जमा एवं अग्रिमों (₹ 7,000 करोड़ से) के अंतर्गत हुई।

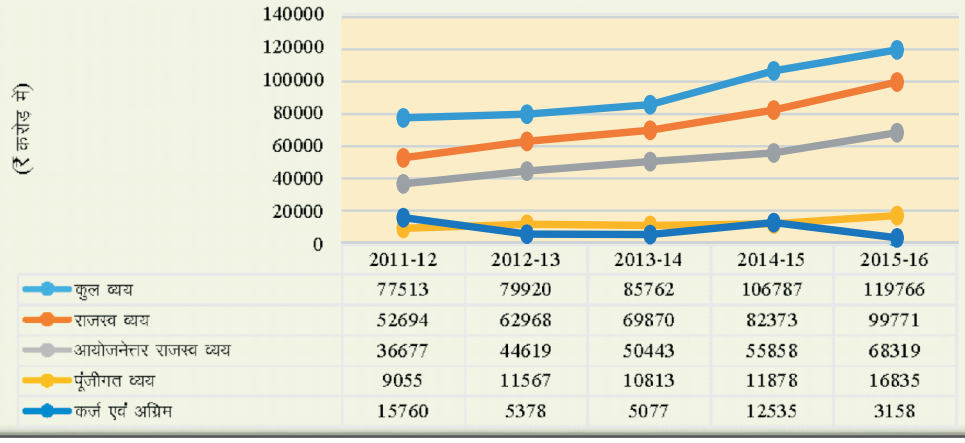
1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

व्यय के आवंटन का विश्लेषण राज्य सरकार के स्तर द्वारा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मुख्य व्यय का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढाँचे के अंतर्गत, घाटे अथवा उधारियों द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को उठाने में बजटीय प्रतिबंध है। हालांकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर जारी राजकोषीय सुधार एवं समेकन की प्रक्रिया सामाजिक क्षेत्र के विकास की ओर अग्रसर व्यय की लागत पर नहीं है।

1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

चार्ट 1.7 विगत पांच वर्षों की अवधि (2011–16) के कुल व्यय (लोक ऋणों पुनर्भुगतानों को छोड़कर) की प्रवृत्ति को दर्शाता है। विभिन्न संघटकों के अंतर्गत किए गए व्यय को **चार्ट 1.8** में दर्शाया गया है एवं गतिविधियों/सेवाओं के द्वारा व्यय की प्रवृत्ति को **चार्ट 1.9** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.7: कुल व्यय–प्रवृत्ति एवं संरचना



	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
कुल व्यय	77513	79920	85762	106787	119766
राजस्व व्यय	52694	62968	69870	82373	99771
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	36677	44619	50443	55858	68319
पूंजीगत व्यय	9055	11567	10813	11878	16835
कर्ज एवं अग्रिम	15760	5378	5077	12535	3158

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2011–16 की अवधि के दौरान, राज्य के कुल व्यय में ₹ 42,253 करोड़ (55 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में क्रमशः ₹ 47,077 करोड़ (89 प्रतिशत) एवं ₹ 7,780 करोड़ (86 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2015–16 के दौरान, 2014–15 की तुलना में कुल व्यय में ₹ 12,979 करोड़ (12 प्रतिशत से) की वृद्धि मुख्यतः राजस्व व्यय में ₹ 17,398 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण थी।

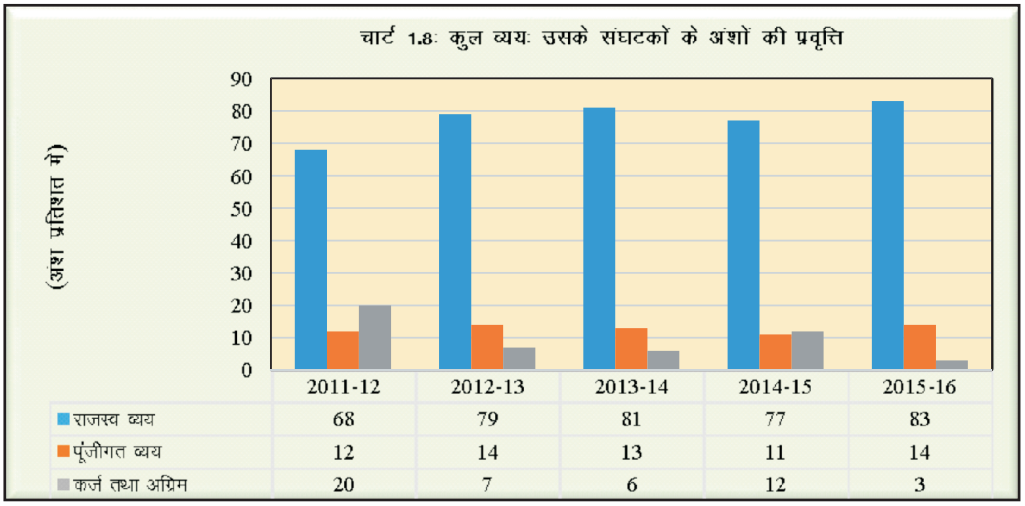
2015–16 के दौरान कुल आयोजना व्यय[4] एवं कुल आयोजनेत्तर व्यय[5] में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 8,946 करोड़ तथा ₹ 4,033 करोड़ की वृद्धि हुई। 2015–16 के दौरान कुल आयोजना व्यय एवं आयोजनेत्तर व्यय कुल व्यय का क्रमशः 41 प्रतिशत एवं 59 प्रतिशत था।

राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 5,293 करोड़ से), जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगरीय विकास (₹ 2,997 करोड़ से) एवं ऊर्जा (₹ 2,113 करोड़ से) में वृद्धि के कारण थी।

2015–16 के दौरान, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 12,461 करोड़ (22 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

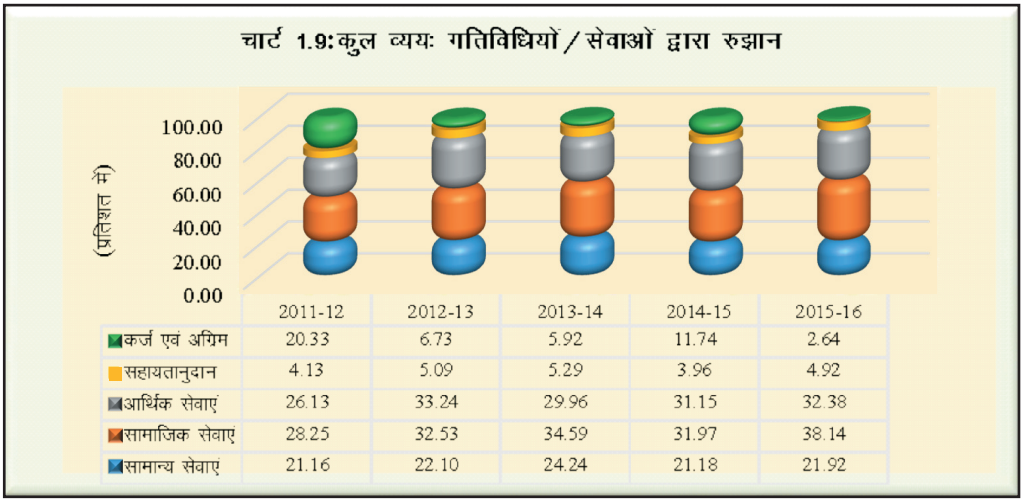
2015–16 में कुल व्यय (₹ 1,19,766 करोड़) का 88 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,05,511 करोड़) से पूरा किया जा सका था।

4 *राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत आयोजना व्यय सम्मिलित है।*
5 *राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत आयोजनेत्तर व्यय सम्मिलित है।*



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि **चार्ट 1.8** से देखा जा सकता है कि कुल व्यय में राजस्व व्यय के अंश में 2011–12 में 68 प्रतिशत से 2015–16 में 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अंश में 2011–12 में 12 प्रतिशत से 2015–16 में 14 प्रतिशत की अंतरवर्षीय उतार–चढ़ाव के साथ वृद्धि हुई।



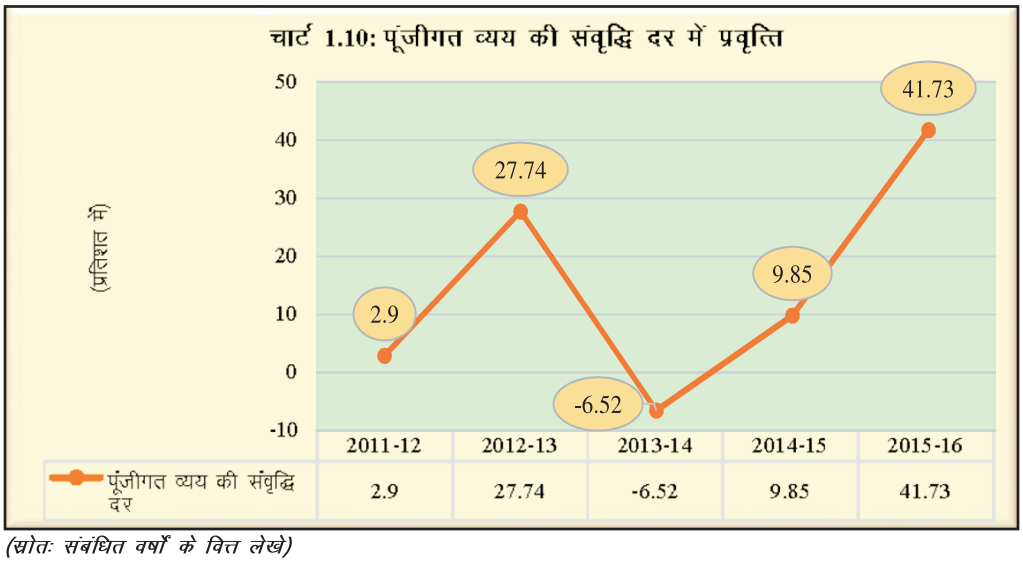
(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- **चार्ट 1.9** में दर्शाये अनुसार कुल व्यय की तुलना में सामान्य सेवाओं (ब्याज की अदायगी सहित), सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय के अंश में क्रमशः 2011–12 में 21.16 प्रतिशत से 2015–16 में 21.92 प्रतिशत, 2011–12 में 28.25 प्रतिशत से 2015–16 में 38.14 प्रतिशत एवं 2011–12 में 26.13 प्रतिशत से 2015–16 में 32.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विकास व्यय, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं सम्मिलित होती हैं, में 2011–12 में 54.38 प्रतिशत से 2015–16 में 70.52 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय परिवर्तनों सहित वृद्धि हुई।
- कुल व्यय में सहायता अनुदानों के अंश में 2011–12 में 4.13 प्रतिशत से 2015–16 में 4.92 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय उतार–चढ़ाव सहित वृद्धि हुई।
- 2014–15 को छोड़कर कुल व्यय में कर्ज एवं अग्रिमों के अंश में 2011–12 में 20.33 प्रतिशत से 2015–16 में 2.64 प्रतिशत की लगातार कमी आई।

1.6.2 पूंजीगत व्यय की संवृद्धि की प्रवृत्ति

- पूंजीगत व्यय में 2011–12 में ₹ 9,055 करोड़ से 2015–16 में ₹ 16,835 करोड़ की वृद्धि अंतरवर्षीय उतार चढ़ाव के साथ हुई। 2015–16 के दौरान इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 4,957 करोड़ (42 प्रतिशत से) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 2,246 करोड़ से), ग्रामीण विकास (₹ 1,170 करोड़ से) एवं परिवहन (₹ 502 करोड़ से) के अंतर्गत थी। 2015–16 के दौरान पूंजीगत व्यय बजट अनुमान ₹ 18,140 करोड़ से कम (₹ 1,305 करोड़ से) था।
- **चार्ट 1.10** पिछले पांच वर्षों (2011–16) की अवधि में पूंजीगत व्यय की संवृद्धि में प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 1.10: पूंजीगत व्यय की संवृद्धि दर में प्रवृत्ति



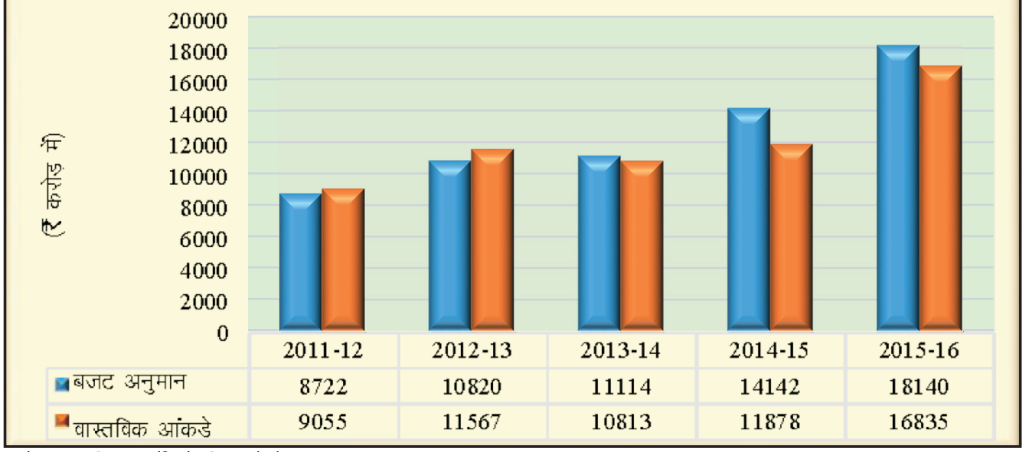
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूंजीगत व्यय की संवृद्धि दर	2.9	27.74	-6.52	9.85	41.73

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.10 से देखा जा सकता है कि पूंजीगत व्यय की संवृद्धि दर में 2011–16 की अवधि के दौरान उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शाई इसमें 2011–12 में 2.9 प्रतिशत से 2012–13 में 27.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं इसके पश्चात 2013–14 में ऋणात्मक (Minus) 6.52 प्रतिशत की कमी आई। इसके पश्चात 2014–15 में 9.85 प्रतिशत एवं 2015–16 में 41.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- **चार्ट 1.11** 2011–16 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.11: पूंजीगत व्यय: वास्तविक आंकड़ों की तुलना में बजट अनुमान



	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बजट अनुमान	8722	10820	11114	14142	18140
वास्तविक आंकडे	9055	11567	10813	11878	16835

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.11 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान पूंजीगत व्यय बजट अनुमानों से अधिक था लेकिन उसके पश्चात पूंजीगत व्यय बजट प्रक्षेपणों से कम था। चूंकि बजट अनुमानों में सटीकता का महत्व, सकल आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन माना जाता है, बजट अनुमानों से विचलन इस तथ्य को दर्शाता है कि अनुमानों के दौरान समुचित ध्यान नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी दर्शाता है कि वांछित राजकोषीय उद्देश्य प्राप्त नहीं किए गए थे एवं उनका अधिकतम उपयोग नहीं किया गया था।

- राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राज्य सरकार पूंजीगत व्यय के निधिकरण हेतु राजस्व आधिक्य का उपयोग करेगी एवं पूंजीगत व्यय की प्राथमिकता के लिए मानदण्ड निर्धारित करेगी एवं आर्थिक संवृद्धि, गरीबी में कमी एवं मानव कल्याण में सुधार के लिए संवेग उपलब्ध कराने वाली व्यय नीतियों को आगे बढ़ाएगी।

 इस बारे में पूछे जाने पर, वित्त विभाग ने उत्तर (अगस्त 2016) दिया कि राज्य में पिछले 10 वर्षों से आधिक्य था एवं राजस्व आधिक्य, पूंजीगत व्यय को वित्त पोषित करने में उपयोग किया जा रहा था, जैसा कि योजना के अनुसार विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था।

 तथ्य यह है कि पूंजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य के माध्यम से वित्त पोषित किए जाने के बावजूद पूंजीगत व्यय में संवृद्धि बजट अनुमानों में की गई योजनाओं के अनुसार नहीं थी।

1.6.3 राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति

- राज्य के राजस्व व्यय में 2011–12 में ₹ 52,694 करोड़ से 2015–16 में ₹ 99,771 करोड़ की वृद्धि हुई, जो इस अवधि के दौरान 17.32 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है। विगत वर्ष की तुलना में 2015–16 के दौरान राजस्व व्यय में कुल ₹ 17,398 करोड़ (21.12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। 2015–16 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ₹ 68,319 करोड़ था जो कुल राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत था।

- वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 213 करोड़ से) राज्य सरकार द्वारा मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों से अंशतः अधिक था जैसा कि **तालिका 1.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.19: आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में संवृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्धारण	वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय
2015-16	68,106	68,319

(स्रोतः 2015–16 के वित्त लेखे एवं 2015–16 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन प्रस्तुत विवरण)

- आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 2011–12 में ₹ 36,677 करोड़ से 2015–16 में ₹ 68,319 करोड़ तक की वृद्धि हुई जो इस अवधि के दौरान 16.40 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 22.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया कि आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान के कारण हुई।

- 2015–16 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में ₹ 12,461 करोड़ से वृद्धि मुख्यतः सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 3,051 करोड़ से), ऊर्जा (₹ 2,146 करोड़ से) एवं शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 1,466 करोड़ से) पर व्यय में वृद्धि के कारण थी।

- आयोजना राजस्व व्यय जिसमें 2011–16 की अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई थी, 2015–16 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में ₹ 4,937 करोड़ (18.62 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2015–16 में आयोजना राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 2,242 करोड़ से), जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगरीय विकास (₹ 2,196 करोड़ से) एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण (₹ 765 करोड़ से) के अंतर्गत थी जिसे ग्रामीण विकास (₹ 1,092 करोड़ से) में कमी के द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

1.6.4 वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं राजसहायताओं पर व्यय

राज्य सरकार के ब्याज भुगतान पर व्यय, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन एवं राजसहायताओं पर व्यय प्रतिबद्ध व्यय होते हैं। **तालिका 1.20** एवं **चार्ट 1.12** 2011–16 की अवधि के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

तालिका 1.20: प्रतिबद्ध व्यय के संघटक

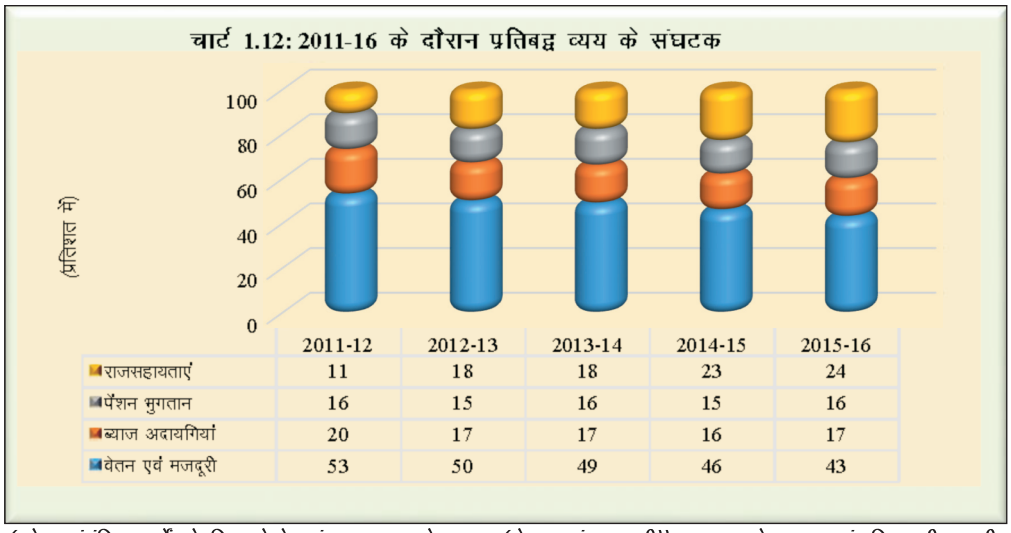
(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015–16	
					बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
वेतन एवं मजदूरी, जिसमें	14,113 (22.54)	16,026 (22.76)	18,361 (24.24)	19,997 (22.56)	27,300	20,554 (19.48)
आयोजनेत्तर शीर्ष	*12,274*	*14,133*	*16,081*	*17,285*	--	*18,018*
*आयोजना शीर्ष***	*1,839*	*1,893*	*2,280*	*2,712*	--	*2,536*
ब्याज अदायगियां	5,300 (8.47)	5,574 (7.91)	6,391 (8.44)	7,071 (7.98)	8,058	8,091 (7.67)
पेंशन भुगतान	4,389 (7.01)	4,947 (7.02)	5,932 (7.83)	6,836 (7.71)	8,261	7,819 (7.41)
राजसहायता, जिसमें	2,926 (4.67)	5,697 (8.09)	6,567 (8.67)	9,954 (11.23)	46,863	11,725 (11.11)
आयोजनेत्तर शीर्ष	*1,544*	*4,148*	*4,596*	*6,953*	--	*7,950*
आयोजना शीर्ष	*1,382*	*1,549*	*1,971*	*3,001*	--	*3,775*
योग	**26,728 (43)**	**32,244 (46)**	**37,251 (49)**	**43,858 (49)**	**90,482**	**48,189 (46)**

नोटः कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं।

***आयोजना शीर्ष में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अधीन भुगतान किए वेतन एवं मजदूरी सम्मिलित है।*

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I मध्य प्रदेश द्वारा संकलित व्ही.एल.सी. आंकड़े)



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी))–I मध्य प्रदेश द्वारा संकलित व्ही.एल.सी. आंकड़े)

2015–16 के दौरान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज भुगतान एवं राजसहायताओं पर कुल व्यय (₹ 48,189 करोड़) राजस्व व्यय का 48 प्रतिशत एवं राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता के रुप में यह 2011–16 की अवधि के दौरान 43 से 49 प्रतिशत के मध्य रहा। वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं राजसहायताओं पर समग्र व्यय में 2011–16 की अवधि के दौरान, 15.29 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से, 80 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 2014–15 के दौरान 17.74 प्रतिशत की तुलना में 2015–16 में 9.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। संघटकवार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

1.6.4.1 वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में 2011–12 में ₹ 14,113 करोड़ से 2015–16 में ₹ 20,554 करोड़ तक 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2015–16 में वेतन एवं मजदूरी पर वास्तविक व्यय बजट अनुमान के प्रक्षेपणों (₹ 27,300 करोड़) से कम था। 2011–16 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता के रुप में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 19.48 प्रतिशत एवं 24.24 प्रतिशत के मध्य रहा। 2015–16 के दौरान यह राजस्व प्राप्तियों का 19.48 प्रतिशत था।

1.6.4.2 पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतानों पर व्यय में 2011–12 में ₹ 4,389 करोड़ से 2015–16 के दौरान ₹ 7,819 करोड़ तक की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2015–16 में ₹ 983 करोड़ (14 प्रतिशत से) की वृद्धि मुख्यतः अधिवार्षिकी एवं सेवानिवृत्ति भत्ते (₹ 416 करोड़ से), परिवार पेंशन (₹ 326 करोड़ से) एवं उपदान (₹ 112 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी। 2015–16 में वास्तविक पेंशन भुगतान ₹ 7,819 करोड़, बजट अनुमान ₹ 8,261 करोड़ से अंशतः (5.35 प्रतिशत से) कम था।

अंशदायी पेंशन योजना

राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों की 1 जनवरी 2005 को या उसके पश्चात नियुक्ति हुई है वे नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं जिसे अंशदायी पेंशन योजना परिभाषित किया गया है। योजना के अनुसार, कर्मचारियों के अंशदान के साथ राज्य सरकार का अनुरुप अंश मनोनीत निधि प्रबंधन को NSDL/ट्रस्टी बैंको द्वारा अंतरित किया जाता है। यद्यपि कर्मचारियों के अंशदान की वास्तविक राशि एवं राज्य सरकार का अनुरुप अंशदान का अनुमान नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार नई पेंशन योजना में मुख्य

शीर्ष "0071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली" के अंतर्गत कर्मचारियों के अंशदान प्राप्त करती है तथा बजटिंग की विधि अपनाती है। तत्पश्चात ये अंशदान उक्त मुख्य शीर्ष के अंतर्गत लघुशीर्ष '900–वापसी घटाइए' संचालित कर निधि को अंतरित की जाती है। चूंकि समेकित निधि सरकार के लिए वर्ष के अंत में बंद कर दी जाती है, अतः किसी वर्ष में निधि को प्रेषित अंशदानों में किसी भी प्रकार की कमी आगामी वर्ष के लेखों में उपलब्ध नहीं होती है।

2015–16 के दौरान, कर्मचारियों के अंशदान ₹ 264.29 करोड़ के विरुद्ध सरकार ने ₹ 284.92 करोड़ अंशदान किया। वर्तमान लेखाकरण कार्यविधि के अंतर्गत यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि 2015–16 के लिए सरकार का अंशदान कर्मचारियों के अंशदान से अधिक पूर्व के वर्षों की कमी के विरुद्ध था। हमने देखा कि मुख्य शीर्ष 0071 के अंतर्गत जमा कुल अंशदान ₹ 549.21 करोड़ में से राज्य सरकार ने मार्च 2016 तक NSDL/ट्रस्टी बैंको को केवल ₹ 530.39 करोड़ अंतरित किए थे, परिणामस्वरुप ₹ 18.82 करोड़ का कम अंतरण हुआ था। चूंकि यह राशि निधि में नहीं रखी गई थी इसलिए यह वित्त वर्ष की समाप्ति पर शासकीय खाते में व्यपगत हो गई थी।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि प्रकरण की जांच की जाएगी एवं आवश्यक कार्रवाई, यदि आवश्यक हुयी, की जाएगी।

1.6.4.3 ब्याज अदायगियां

2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान किए गए ब्याज भुगतान **तालिका 1.21** में दिए गए हैं।

तालिका 1.21: ब्याज अदायगियां

(₹ करोड़ में)

	2011-12	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
ब्याज अदायगियां	5,300	5,574	6,391	7,071	8,091

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2015–16 के दौरान ₹ 8,091 करोड़ की ब्याज अदायगियां राजस्व प्राप्तियों की 7.67 प्रतिशत और राजस्व व्यय की 8.11 प्रतिशत लेखांकित की गई थी। ब्याज अदायगियां मुख्यतः बाजार कर्ज (₹ 3,891 करोड़), केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ (₹ 1,854 करोड़), राज्य भविष्य निधि (₹ 1,072 करोड़) एवं अन्य आंतरिक ऋण (₹ 538 करोड़) पर थी।

विगत वर्ष की तुलना में 2015–16 के दौरान ब्याज अदायगी में ₹ 1,020 करोड़ (14.43 प्रतिशत) की वृद्धि बाजार कर्ज पर ब्याज (₹ 735 करोड़ से), राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (₹ 99 करोड़ से) एवं राज्य भविष्य निधि (₹ 95 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि का परिणाम थी। वर्ष के दौरान ₹ 8,091 करोड़ की ब्याज अदायगियां बजट अनुमान ₹ 8,058 करोड़ से थोड़ी सी उच्च थी।

1.6.4.4 राजसहायताएं

2015–16 के दौरान, ₹ 11,725 करोड़ (आयोजनेत्तरः ₹ 7,950 करोड़ एवं आयोजनाः ₹ 3,775 करोड़) की राजसहायता के भुगतान को राजस्व प्राप्तियों का 11.11 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 11.75 प्रतिशत लेखांकित किया गया।

2015–16 के दौरान, कुल ₹ 11,725 करोड़ की राजसहायताओं में से, ₹ 7,052 करोड़ (60 प्रतिशत) ऊर्जा विभाग के अंतर्गत थी। 2015–16 में वास्तविक राजसहायता बजट अनुमान ₹ 46,863 करोड़ से अत्यधिक कम थी।

2015–16 में विगत वर्ष की तुलना में राजसहायता की राशि में वृद्धि (₹ 1,771 करोड़ से) मुख्यतः ऊर्जा (₹ 2,128 करोड़ से) में राजसहायता में वृद्धि के कारण हुई जिसे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (₹ 1,269 करोड़ से) में अंशतः कमी के द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था।

1.6.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

2014–15 से 2015–16 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदानों एवं ऋणों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता की प्रमात्रा **तालिका 1.22** में प्रस्तुत की गई है।

तलिका 1.22: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2014-15	2015-16
शैक्षणिक संस्थाएं	4,457.99	5,465.29
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	792.14	828.87
आवास	829.19	1,019.60
नगरीय विकास	565.49	1,439.19
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	500.28	520.64
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	687.16	1,054.36
ग्रामीण विकास	5,941.93	5,368.29
पंचायती राज	3,995.44	5,633.30
जल आपूर्ति तथा सफाई	179.35	590.48
अन्य संस्थाएं	718.82	735.50
योग	**18,667.79**	**22,655.52**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	**22.66**	**22.71**

(स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश के व्ही.एल.सी.आंकड़े)

- स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओ को वित्तीय सहायता में 2014–15 में ₹ 18,667.79 करोड़ से 2015–16 में ₹ 22,655.52 करोड़ तक ₹ 3,987.73 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः पंचायती राज (₹ 1,637.86 करोड़ से) एवं शैक्षणिक संस्थाओं (₹ 1,007.30 करोड़ से) को वित्तीय सहायता के कारण हुई।
- राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता में 2014–15 में 22.66 प्रतिशत से 2015–16 में 22.71 प्रतिशत तक आंशिक वृद्धि हुई।

1.6.6 स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं एवं निधियों का हस्तांतरण

तेहत्तरवें एवं चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, के पश्चात नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को स्पष्टतः परिभाषित कार्यों व जिम्मेदारियों से निहित करते हुए स्थानीय स्वशासी सरकार के रूप में सम्पूर्ण और जीवंत संस्थान बनाया गया। तदनुसार, राज्य सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को तीन प्रकार[6] से संगठित किया। वर्तमान में, राज्य में 379 नगरीय स्थानीय निकाय[7] एवं 23189 पंचायती राज संस्थाएं[8] हैं।

1.6.6.1 निधियों, कार्यों एवं अमले का अंतरण

संशोधन के अनुसार (संविधान की ग्यारहवीं एवं बारहवीं अनुसूची) राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य एवं नगरीय स्थानीय निकायों को 18 कार्य हस्तांतरित किए जाने थे जिनका विवरण **परिशिष्ट 1.8** में दिया गया है। यद्यपि राज्य

6 *नगरीय स्थानीय निकायः– बडे नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका निगम, छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद एवं संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए नगर परिषद, पंचायती राज संस्थाएंः–जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत एवं ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत*

7 *नगरीय स्थानीय निकायः–16 नगर पालिका निगम, 98 नगर पालिका परिषद, 265 नगर परिषद*

8 *पंचायती राज संस्थाएंः–51 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत, 22825 ग्राम पंचायतें*

सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को सभी कार्य हस्तांतरित कर दिए थे तथापि पंचायती रात संस्थाओं के संबंध में राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई थी। सरकार द्वारा कोई भी निधि एवं अमला अलग से अंतरित नहीं किया गया (अगस्त 2016)।

1.6.6.2 नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को अनुदानों का हस्तांतरण

जैसा कि तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई एवं राज्य सरकार द्वारा इसे फरवरी 2010 में स्वीकार किया गया था, राज्य सरकार के विभाजनीय कोष[9] का एक प्रतिशत एवं चार प्रतिशत क्रमशः नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। वर्ष 2015–16 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में राज्य वित्त आयोग के अनुदान हस्तांतरित किए गए जैसा कि **तालिका 1.23** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.23: नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को अनुदानों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नगरीय स्थानीय निकाय		कम जारी की गई निधियां	पंचायती राज संस्थान		कम जारी की गई निधियां
	निधियां जो हस्तांतरित की जानी थीं	वास्तविक हस्तांतरित की गई निधियां		निधियां जो हस्तांतरित की जानी थीं	वास्तविक हस्तांतरित की गई निधियां	
1	2	3	(2-3)	4	5	(4-5)
2015-16	289.45	271.31	18.14	1,157.78	910.00	247.78

उपर्युक्त **तालिका 1.23** से देखा जा सकता है कि वित्त विभाग ने 2015–16 में नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 18.14 करोड़ एवं पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 247.78 करोड़ की कम निधियां जारी की। नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को कम निधियां जारी करने के कारण सूचित नहीं किए गए थे (अगस्त 2016)।

1.6.6.3 लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं

तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन उसी तरह करेंगे जैसे वे उनके स्वयं के प्रतिवेदन हो। 2015–16 के अंत में नगरीय स्थानीय निकायों में 6303 अभ्युक्तियां (2015–16 के दौरान जारी 1023 अभ्युक्तियों सहित) एवं पंचायती राज संस्थाओं में 34697 अभ्युक्तियां (2015–16 के दौरान जारी 9786 अभ्युक्तियों सहित) अनुपालन हेतु शेष थी।

1.6.6.4 प्रतिवेदन का स्थानन

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 27 जुलाई 2016 को मध्य प्रदेश विधान सभा के पटल पर रख दिया गया था।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक अधोसरंचना की उपलब्धता सामान्यतः उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अंतर्गत मुख्यतः तीन पक्ष समाविष्ट होते हैं यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात लोक सेवा उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और उसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय–परिणाम संबंधों का आकलन)।

[9] *विभाजनीय कोष का तात्पर्य विगत वर्ष के राज्य के कर राजस्व में से कर संग्रहण हेतु व्यय दस प्रतिशत को कम करने के बाद नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए राजस्व को घटाने के उपरान्त प्राप्त राशि से है।*

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपे गए सामाजिक एवं आर्थिक अधोसरंचना से संबंधित व्यय उत्तरदायित्व, वृहद् रूप से राज्य के विषय है। मानवीय विकास के स्तरों में वृद्धि हेतु अपेक्षित है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय बढ़ाए। अल्प राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय की तुलना में एक संवर्ग विशेष के अंतर्गत व्यय का अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई कही जा सकती है, यदि उस वर्ष के लिए उक्त व्यय शीर्ष को दी गई प्राथमिकता सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से नीचे होती है।

तालिका 1.24 में 2012–13, 2014–15 एवं वर्तमान वर्ष 2015–16 में सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत की तुलना में विकास व्यय, सामाजिक व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1.24: 2012–13, 2014–15 एवं 2015–16 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय#/ कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय	आर्थिक क्षेत्र का व्यय/ कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय/ कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय/ कुल व्यय
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2012–13	14.14	70.03	38.47	29.70	13.70	17.72	4.72
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2012–13	20.98	72.45	32.69	39.75	14.47	13.82	4.14
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2014–15	14.81	70.74	37.35	33.37	14.37	17.01	5.13
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2014–15	22.04	74.86	31.98	42.88	11.12	15.50	4.46
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2015–16	16.05	70.63	36.29	34.34	14.89	15.63	4.45
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2015–16	21.20	73.15	38.17	34.99	14.06	14.89	4.55

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा संवितरित कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित है।

स्रोत : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए, 29 जुलाई 2016 को सी.एस.ओ. वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल जहां आंकड़े प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे को छोड़कर।

तुलनात्मक विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट हुआः

- मध्य प्रदेश ने 2012–13, 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में कुल व्यय पर अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का उच्चतर अनुपात व्यय किया।
- 2012–13, 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान मध्य प्रदेश में कुल व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय भी सामान्य श्रेणी के राज्य के औसत की तुलना में उच्चतर हुआ।
- 2012–13, 2014–15 एवं 2015–16 में मध्य प्रदेश में आर्थिक सेवाओं पर व्यय (कुल व्यय के अनुपात के रुप में) सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से उच्चतर रहा है।
- सामाजिक सेवाओं पर व्यय (कुल व्यय के अनुपात के रूप में) 2015–16 में सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से उच्चतर था जबकि 2012–13 एवं 2014–15 में यह सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से निम्न था।
- 2012–13, 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान, शिक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई थी क्योंकि शिक्षा पर सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में कमतर व्यय किया गया था।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में 2012–13 एवं 2014–15 के दौरान सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई थी तथापि

2015–16 में यह सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में थोड़ा सा उच्चतर थी।

- यह देखा गया कि मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय, कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में सामान्य संवर्ग के राज्य के औसत से 2012–13 के दौरान उच्चतर था। जबकि 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान यह सामान्य संवर्ग के राज्य के औसत से निम्नतर था।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षो पर लोक व्यय के महत्व की दृष्टि से उचित व्यय युक्तिकरण उपाय करना और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वीकार्य आचरण (कोर पब्लिक गुड्स)[10] तथा उपयोगी पदार्थों (मेरिट गुड्स) के प्रावधान पर बल देना राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। विकास व्यय[11] के लिए आवंटन का अनुमोदन करने के अतिरिक्त, व्यय उपयोग की दक्षता, कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत परिव्यय के अनुपात के द्वारा और राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के प्रचालन और संधारण पर होने वाले व्यय द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है। कुल व्यय की तुलना में इन संघटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, व्यय की गुणवत्ता भी उतनी ही बेहतर होगी।

तालिका 1.25 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सोवाओं के संधारण पर किए गए राजस्व व्यय के संघटकों एवं पूंजीगत व्यय का विवरण उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.25: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2014–15			2015–16		
	कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अंश	संबंधित क्षेत्र के राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश		कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अंश	संबंधित क्षेत्र के राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश	
		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख रखाव		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख रखाव
सामाजिक सेवाएं						
शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति	1.95	43.73	0.05	4.25	42.93	0.04
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	5.05	51.24	0.21	4.14	46.27	0.16
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	24.97	3.51	2.99	19.58	4.64	4.99
अन्य सामाजिक सेवाएं	4.93	27.66	0.07	3.51	6.81	0.02
योग (सामाजिक सेवाएं)	**6.06**	**33.05**	**0.81**	**6.62**	**25.77**	**0.78**
आर्थिक सेवाएं						
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	1.94	30.63	0.16	1.49	31.80	0.15
सिचांई तथा बाढ़ नियंत्रण	83.00	62.96	7.31	91.00	84.33	10.73
विद्युत तथा ऊर्जा	5.10	0.01	0.03	5.30	0.01	0.07
परिवहन	69.05	1.66	14.13	73.63	6.33	62.51
अन्य आर्थिक सेवाएं	14.75	45.59	13.29	23.52	6.62	3.02
योग (आर्थिक सेवाएं)	**20.86**	**15.79**	**4.09**	**31.65**	**14.03**	**4.35**
योग (सामाजिक सेवाएं+आर्थिक सेवाएं)	**14.54**	**25.71**	**2.21**	**18.59**	**21.38**	**2.12**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

10 *कोर पब्लिक गुड्स वह होता है जिसका सभी नागरिक इस समझदारी से मिलजुल कर उपयोग करते है कि ऐसे स्वीकार्य आचरण का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने पर भी उक्त स्वीकार्य आचरण के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता, उदाहरणार्थ कानून और व्यवस्था का प्रवर्तन करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय पदार्थ तथा सड़के अधोसंरचना आदि।*
मेरिट गुड्स में वे वस्तुएं आती है जो सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर उपलब्ध करायी जाती है क्योंकि उन्हें एक व्यक्ति या समाज द्वारा कतिपय आवश्यकता की अवधारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिये, न कि सरकार को भुगतान करने की योग्यता एवं इच्छा के आधार पर और इसलिये उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखी जाती है। ऐसे पदार्थों के उदाहरणों में पोषण समर्थन के लिये निर्धनों को निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता दर पर अन्न का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का परिदान एवं अस्वस्थता दर में कमी लाना, सभी को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना, पीने का पानी तथा सफाई व्यवस्था आदि सम्मिलित है।

11 *व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास व्यय तथा गैर विकास व्यय के रूप में पृथक–पृथक किया गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और कर्ज तथा अग्रिमों से संबंधित समस्त व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विस्तृत रूप से सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय संघटित होता है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में प्रतिपादित किया जाता है।*

तालिका 1.25 से प्रकट होता है कि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत, कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय के अंश में 2014–15 में 6.06 प्रतिशत से 2015–16 में 6.62 प्रतिशत की अंशतः वृद्धि हुई, जबकि आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय के अंश में 2014–15 में 20.86 प्रतिशत से 2015–16 में 31.65 प्रतिशत तक की अत्यधिक वृद्धि हुई।

- सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के अंश में वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हुई थी, जबकि आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के अंश में वृद्धि मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत थी। इससे यह दर्शित हुआ कि सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय की प्राथमिकता में सुधार किया जा रहा था।
- राजस्व व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक दोनो सेवाओं के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी के अंश में 2014–15 में 25.71 प्रतिशत से 2015–16 में 21.38 प्रतिशत की कमी आई। प्रचालन एवं संधारण के मामले में भी व्यय में 2014–15 में 2.21 प्रतिशत से 2015–16 में 2.12 प्रतिशत की कमी आई। इससे राजकोषीय स्थिति में सुधार दर्शित हुआ।

जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है, 2006–15 की अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश के संबंध में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों पर राजस्व व्यय की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर अन्य सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में उच्चतर थी।

2015–16 की अवधि के दौरान, शिक्षा क्षेत्र पर राजस्व व्यय की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर विगत वर्ष की तुलना में अन्य सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में निम्नतर थी जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र पर राजस्व व्यय की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर अन्य सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में उच्चतर थी। इससे शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में सुधार की आवश्यकता दर्शित हुई।

1.8 शासकीय व्यय और निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पश्च राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन ढांचे में राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजकोषीय घाटे (उधारियों) को न केवल निम्न स्तर पर बनाए रखे अपितु अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करे और अन्तर्निहित आर्थिक सहायताओं के रूप में वहन करने की उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय प्रारंभ करने एवं वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस भाग में सरकार द्वारा विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1.8.1 निवेश तथा प्रतिलाभ

31 मार्च 2016 तक सरकार ने सांविधिक निगमों (26), सरकारी कम्पनियों (35), संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और साझेदारियों (23), बैंक (एक) एवं सहकारी (130) इत्यादि में ₹ 16,599.57 करोड़ निवेश किए **(तालिका 1.26)**। विगत पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.84 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2011–12 से 2015–16 के दौरान इनकी उधारियों पर औसत 6.76 प्रतिशत ब्याज के रुप में भुगतान किया।

तालिका 1.26: निवेशों पर प्रतिलाभ

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिलाभ/उधारियों की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
वर्ष के अन्त में निवेश	13,183.59	14,656.50	15,275.10	16,104.55	16,599.57
प्रतिलाभ	37.98	18.38	378.72	80.35	129.64
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.29	0.13	2.48	0.50	0.78
सरकार द्वारा लिए गए उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.74	6.48	6.84	6.88	6.86
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.45	6.35	4.36	6.38	6.08

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- मार्च 2016 के अन्त तक 215 इकाईयों में ₹ 16,599.57 करोड़ के कुल निवेश में से, ₹ 1,076.04 करोड़ संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित थे और उनका आवंटन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य लंबित था (सांविधिक निगमः ₹ 411 करोड़; सरकारी कम्पनियाँः ₹ 180.49 करोड़; सहकारी बैंक एवं समितियांः ₹ 483.01 करोड़ और संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ एवं साझेदारियाँः ₹ 1.54 करोड़)।
- 2015–16 के दौरान, इन निवेशों पर प्रतिलाभ 0.78 प्रतिशत था जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपनी उधारियों पर 6.86 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।
- छब्बीस सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों जिनके लेखों को 2015–16 तक अंतिम रुप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिए उनका कुल निवेश ₹ 14,460.30 करोड़ था, घाटे में चल रहीं थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 35,542.78 करोड़ तक हो गया था। विवरण **परिशिष्ट 1.9** में दिए गए हैं।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2016 को अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों (प्रत्येक की लागत ₹ एक करोड़ या अधिक) से संबंधित विभागवार जानकारी **तालिका 1.27** में दी गई है।

तालिका 1.27: 31 मार्च 2016 को अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विवरण	अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों की संख्या	प्रारंभिक बजटीय लागत	वास्तविक संचयी लागत
1	जल संसाधन विभाग	58	3,725.23	4,546.26
2	लोक निर्माण विभाग	19	538.51	121.61
3	नर्मदा घाटी विकास विभाग	14	4,411.50	10,808.81
योग		**91**	**8,675.24**	**15,476.68**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के लिए वित्त लेखे का परिशिष्ट IX एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि ₹ 15,476.68 करोड़ व्यय किए जाने के बावजूद मार्च 2016 तक 91 परियोजनाओं/कार्य अपूर्ण थे। 91 परियोजनाओं/कार्यों में से 20 परियोजनाओं/कार्यों के पूर्ण होने में देरी के परिणामस्वरुप ₹ 9,073.99 करोड़ की लागत वृद्धि हुई जिससे उपयुक्त अनुवीक्षण की कमी दर्शित हुई।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि सभी परियोजनाओं निर्माणाधीन थी। तथापि परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब निविदा प्रक्रिया के कारण हुआ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं

परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यह उन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए बहुमूल्य राजकोषीय व्यवस्था उपलब्ध कराता है जहाँ पर वित्त पोषण नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार डेयरी, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, सड़क, खेलकूद, पर्यटन, परिवहन, नगरीय, माल भण्डारण, प्रचलन तंत्र एवं जल आपूर्ति इत्यादि के क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

हमने देखा कि जून 2016 तक 12 क्षेत्रों के अंतर्गत प्रारम्भ की गई 198 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं (लागतः ₹ 23,069.98 करोड़) में से, ₹ 9,463.64 करोड़

की लागत की केवल 100 परियोजनाओं (50.51 प्रतिशत) को पूर्ण किया गया था। जबकि ₹ 8,266.33 करोड़ लागत वाली 43 परियोजनाओं (21.72 प्रतिशत) में कार्य प्रगति पर था, ₹ 5,340.01 करोड़ लागत वाली 55 परियोजनाएं (27.78 प्रतिशत) प्रक्रियाधीन या बोली के अंतर्गत थीं। विवरण **परिशिष्ट 1.10** में दिया गया है।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को कर्ज तथा अग्रिम भी उपलब्ध करवा चुकी है। **तालिका 1.28** 31 मार्च 2016 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों, विगत तीन वर्षो के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.28: राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

कर्ज की मात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधारियों की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	
			बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
दिए गए कर्ज का प्रारंभिक शेष	27,088	32,072	--	37,842
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	5,077	12,535	4,225	3,158
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	93	6,765	301	162
अन्त शेष	32,072	37,842	--	40,838
निवल संयोजन	4,984	5,770	3,924	2,996
ब्याज प्राप्तियां	12	1,058	--	139
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता में ब्याज प्राप्तियां	0.04	2.80	--	0.34
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता में ब्याज अदायगियां	6.84	6.88	--	6.86
ब्याज अदायगियों तथा ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.80	4.08	--	6.52

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान)

- 31 मार्च 2016 को कुल बकाया कर्ज तथा अग्रिम ₹ 40,838 करोड़[12] थे। इन कर्जो के विरुद्ध प्राप्त ब्याज ₹ 139 करोड़ था। विभिन्न राज्य सरकारी संस्थाओं को दिए गए कर्ज (₹ 3,158 करोड़), वसूल किए गए कर्ज (₹ 162 करोड़) की राशि से बहुत अधिक थे परिणामस्वरूप बकाया कर्जो एवं अग्रिमों में वृद्धि हुई।
- यह देखा गया कि 31 मार्च 2016 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों का 83 प्रतिशत (₹ 34,010 करोड़) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों संबंधित थे, पांच प्रतिशत जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास (₹ 2,109 करोड़) तथा पांच प्रतिशत कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों (₹ 1,845 करोड़) से वसूल किए जाने थे।
- 2015–16 के दौरान उधारियों पर 6.86 प्रतिशत की दर से भुगतान किए गए औसत ब्याज को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की दर 0.34 प्रतिशत थी।

1.8.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.29 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों एवं रोकड़ शेषों का चित्रण करती है।

[12] *छत्तीसगढ़ से संबंधित ₹ 2,186 करोड़ सम्मिलित हैं जिन्हें अंतिम रूप/अंतरित नहीं किया गया है।*

तालिका 1.29: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2016 को अंतिम शेष	वृद्धि(+)/कमी (–)
(1). सामान्य रोकड़ शेष [(i) से (iv)+2]	**4,990.63**	**10,494.73**	**(+)5,504.10**
(i) कोषालयों में रोकड़	--	--	--
(ii) रिजर्व बैंक में जमा	199.32	1,009.49	(+) 810.17
(iii) अन्य बैंकों में जमा	--	--	--
(iv) पारगमन में प्रेषण– स्थानीय	--	--	--
योग (i) से (iv)	**199.32**	**1,009.49**	**(+) 810.17**
(2). रोकड़ शेष निवेश लेखे में हुए निवेश	**4,791.31**	**9,485.24**	**(+)4,693.93**
(3). अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश [(i) से (iii)]	**411.33**	**403.99**	**(-)7.34**
(i) विभागीय रोकड़ शेष	7.02	0.94	(-)6.08
(ii) स्थायी पेशगी	0.84	0.84	0.00
(iii) उद्दिष्ट निधि से निवेश	403.47	402.21	(-)1.26
समग्र रोकड़ स्थिति (1)+(3)	**5,401.96**	**10,898.72**	**(+)5,496.76**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे)

- सरकार के रोकड़ शेषों में विगत वर्ष के ₹ 5,401.96 करोड़ में 2015–16 के अंत में ₹ 5,496.76 करोड़ की वृद्धि हुई।
- मुख्य शीर्ष 8670–चैक एवं देयक के अंतर्गत बकाया शेष, नहीं भुनाए गए चैकों की राशि को दर्शाते हैं। वित्त लेखे 2015–16 के अनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष 2014–15 में ₹ 593.12 करोड़ की तुलना में 2015–16 में ₹ 2,076.01 करोड़ था।
- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 1.96 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि निश्चित करार की न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, तो उस कमी की पूर्ति समय–समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्षण लेकर की जाती है। वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान राज्य द्वारा, अर्थोपाय अग्रिम (साधारण/विशेष) नहीं लिए गए थे।
- तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि अधिक शेषों वाले राज्यों को नई उधारियां लेने से पहले अपने वर्तमान रोकड़ शेषों का उपयोग करने हेतु प्रत्यक्ष प्रयास करने चाहिए। इसके अतिरिक्त यह सुझाव दिया गया कि ऋण विनिमय (debt swap) के लिए उठाई गई बाजार उधारियों के एकमुश्त पुनर्भुगतान के लिए अपने आधिक्य शेषों का उपयोग करने का विचार करें।

 वित्त लेखे 2015–16 के अनुसार, भारत सरकार के खजाना बिलों एवं प्रतिभूतियों में ₹ 9,485.24 करोड़ निवेश किए गए थे जिस पर वर्ष के दौरान ₹ 251 करोड़ ब्याज की प्राप्ति हुई। राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेष निवेश लेखा में किए गए निवेश में 31 मार्च 2015 को ₹ 4,791 करोड़ से 31 मार्च 2016 को ₹ 9,485 करोड़, ₹ 4,694 करोड़ की वृद्धि हुई। चूंकि 31 मार्च 2016 को बाजार कर्ज ₹ 56,141 करोड़ था, अतः राज्य सरकार को जरुरत आधारित उधारी एवं न्यूनतम आधिक्य रोकड़ शेष बनाए रखने की नीति अपनाना चाहिए।

 निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि राज्य सरकार द्वारा सभी उधारियां केवल जरुरत आधारित एवं निर्धारित सीमा के अन्दर थी। राज्य सरकार रोकड़ प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक से सतत रुप से सम्पर्क में थी एवं कैश रिजर्व को अनुकूलतम स्तर पर बनाए रखने के प्रयास किए गए थे।

तथ्य यह है कि इन वित्त वर्षों के अंत में रोकड़ शेष निवेश लेखे में किए गए उच्च स्तर के निवेश यह दर्शाते है कि बेहतर रोकड़ प्रबंधन की आवश्यकता है।

1.9 परिसम्पत्तियां तथा देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा संरचना

विद्यमान सरकारी लेखाकरण पद्धति में सरकार की स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि तथा भवनों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। फिर भी सरकारी लेखे, सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते है।

कुल देयताएं, जिसकी परिभाषा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में दी गई है, राज्य के लोक लेखे एवं समेकित निधि के अंतर्गत देयताएं हैं। समेकित निधि देयताओं में भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम तथा आंतरिक ऋण समाहित है।

इसके अतिरिक्त, आंतरिक ऋण में बाजार कर्ज, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र तथा वित्तीय संस्थाओं से कर्ज सम्मिलित है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि राज्य, विधानसभा के अधिनियम द्वारा समय–समय पर निर्धारित सीमा के अंदर समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारत के क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकते हैं एवं निर्धारित की जाने वाली सीमाओं के अंदर गारंटी दे सकते हैं। लोक लेखे देयताओं में अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि, आरक्षित निधियां एवं अन्य जमा सम्मिलित हैं।

शासकीय परिसंपत्तियों में समेकित निधि के अंतर्गत परिसंपत्तियां एवं रोकड़ सम्मिलित होते हैं। समेकित निधि के अंतर्गत परिसंपत्तियों में निर्धारित परिसंपत्तियों पर पूंजीगत परिव्यय–निगमों एवं कम्पनियों के शेयरों में निवेश एवं कर्ज तथा अग्रिम जिसमें विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज एवं अन्य विकास कर्ज सम्मिलित होते हैं।

परिशिष्ट 1.5 भाग–ख में 31 मार्च 2015 को तदनुरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2016 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

विगत पांच वर्षों के लिए राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति **तालिका 1.30** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.30: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बकाया राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	81,757	90,168	96,826	1,08,688	1,27,144
आन्तरिक ऋण	50,011	54,309	59,395	69,008	83,718
कर्ज तथा अग्रिम	11,359	12,268	12,718	13,254	13,668
लोक लेखा देयताएं	20,387	23,591	24,713	26,426	29,758
राजस्व प्राप्तियां	62,604	70,427	75,749	88,641	1,05,511
राजस्व प्राप्तियां की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	20.73	12.50	7.56	17.02	19.03
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	19.80	20.71	14.40	11.19	16.62
राजकोषीय देयताएं की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	8.28	10.29	7.38	12.25	16.98
उत्प्लावकता अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.05	0.60	0.53	1.52	1.15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजकोषीय देयताए	0.42	0.50	0.51	1.09	1.02

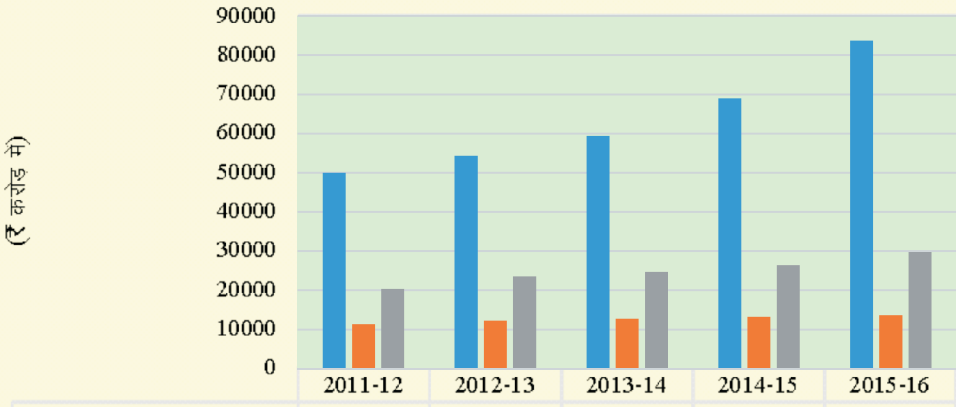
(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताओं में 2011–12 में ₹ 81,757 करोड़ से 2015–16 में ₹ 1,27,144 करोड़ तक की वृद्धि हुई। इन देयताओं में 2014–15 में 12.25 प्रतिशत के

विरूद्ध 2015–16 में 16.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2015–16 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि मुख्यतः बाजार कर्ज (₹ 12,991 करोड़ से), वित्तीय संस्थानों से कर्ज (₹ 1,159 करोड़ से) एवं राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 922 करोड़ से) के अंतर्गत थी।

चार्ट 1.13 2011–16 की अवधि के दौरान बकाया राजकोषीय देयताओं की संरचना को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.13: बकाया राजकोषीय देयताओं की संरचना



	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आंतरिक कर्ज	50011	54309	59395	69008	83718
कर्ज तथा अग्रिम	11359	12268	12718	13254	13668
लोक लेखा देयताएं	20387	23591	24713	26426	29758

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.31 वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के अंत में राज्य की राजकोषीय देयताओं के विवरण का चित्रण करती है।

तालिका 1.31: राज्य की राजकोषीय देयताओं के संघटक

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	नाम	2014-15	2015-16
1.	**समेकित निधि देयताएं (लोक ऋण)**	**82,262**	**97,386**
(i)	बाजार कर्ज	43,150	56,141
(ii)	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	19,260	20,181
(iii)	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र का जारी करना	691	331
(iv)	नाबार्ड से कर्ज	5,512	6,673
(v)	अन्य कर्ज	395	392
(vi)	**योग (i) से (v)**	**69,008**	**83,718**
(vii)	**भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम**	**13,254**	**13,668**
2.	**लोक लेखा देयताएं**	**26,426**	**29,758**
(i)	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	12,659	13,682
(ii)	सब्याज दायित्व	161	803
(iii)	ब्याज रहित दायित्व	13,606	15,273

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चौदहवें वित्त आयोग में निर्धारित 24.87 प्रतिशत की सीमा के विरुद्ध 2015–16 के अंत में राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.50 प्रतिशत थी। ये राजस्व प्राप्तियों की 1.21 गुना तथा राज्य के स्वयं के संसाधन की 2.61 गुना थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में इन देयताओं की उत्प्लावकता, 2011–12 में 0.42 से बढ़कर 2015–16 के दौरान 1.02 हो गई जो मुख्य रूप से इन देयताओं की संवृद्धि दर में वृद्धि के कारण थी।

1.9.3 समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना

बारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट की कंडिका क्रमांक 12.59 में अनुशंसा की कि राज्यों को, समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए एक निक्षेप निधि स्थापित करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को विगत वर्ष के अंत में समेकित निक्षेप निधि में अपनी बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत का अंशदान देना आवश्यक है।

31 मार्च 2015 को ₹ 1,08,686.71 करोड़ की कुल बकाया देयताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को समेकित निक्षेप निधि में ₹ 543.43 करोड़ का अंशदान देना आवश्यक था। तथापि राज्य सरकार ने समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि यदि निक्षेप निधि की स्थापना आवश्यक होती है तो इस पर निर्णय लिया जाएगा।

1.9.4 प्रत्याभूतियों की स्थिति– आकस्मिक देयताएं

प्रत्याभूतियां राज्य की संचित निधि पर प्रभारित वह आकस्मिक देयताएं हैं जो उस उधार गृहिता के लिए जिसके लिए प्रत्याभूति दी गई है द्वारा चूक होने की स्थिति में होती है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार प्रत्याभूति नियम (MPSGGR), 2009 (संशोधित) 20 नवंबर 2009 से प्रभावी हुआ और भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत उन सभी प्रकरणों में लागू होता है जहाँ राज्य सरकार ऋणों के पुनर्भुगतान एवं उस पर ब्याज के लिए प्रत्याभूति देती है। प्रत्याभूतियों के संस्वीकृति के आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाते है।

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 का खंड 9(2)(घ), वार्षिक संवृद्धिकारक प्रत्याभूतियों की सीमा निश्चित करने के लिए राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल प्रत्याभूतियां वर्तमान वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की 80 प्रतिशत से अधिक न हो। वर्ष 2015–16 के दौरान, वार्षिक संवृद्धिकारक प्रत्याभूति, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत थी।

वित्त लेखे के विवरण पत्र 9 में दर्ज अनुसार, राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के लिए अधिकतम राशियाँ और अंतिम तीन वर्षों के लिए बकाया प्रत्याभूतियां **तालिका 1.32** में दी गई है।

तालिका 1.32: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियों का विवरण	2013-14	2014-15	2015-16
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	21,472.12	31,884.57	40,170.97
प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	9,977.62	20,124.25	27,530.40
वर्तमान वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 80 प्रतिशत (राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार मानदंड)	56,341.60	60,599.39	70,912.80
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	28.35	35.97	38.07
पूर्ववती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में बकाया प्रत्याभूति की प्रतिशतता	14.17	26.57	31.06
प्राप्य प्रत्याभूति या शुल्क	102.86	171.81	127.33
प्राप्त प्रत्याभूति या शुल्क	2.50	5.29	14.21

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2015–16 के दौरान, विद्युत क्षेत्र (57), सहकारिता क्षेत्र (10), राज्य वित्तीय निगम क्षेत्र (25), शहरी विकास एवं आवास क्षेत्र (446) तथा अन्य अधोसंरचना (95) के संबंध

में प्रत्याभूतियां दी गई थी। वर्ष 2015–16 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में, अधिकतम राशि जिसकी प्रत्याभूति दी गई थी, में ₹ 8,286.40 करोड़ की अत्यधिक वृद्धि हुई।

प्रत्याभूति मोचन निधि

वर्ष 2005–06 के दौरान, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति मोचन निधि निर्मित की थी जिसमें 2015–16 की समाप्ति पर ₹ 394.58 करोड़ का अंतिम शेष था। सम्पूर्ण राशि निवेशित की गई।

प्रत्याभूति शुल्क प्रमुख ऋणी से एक प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाती है जब तक कि विशेष रुप से छूट नहीं दी गई हो। इस तरह वसूल किया गया शुल्क सरकार के राजस्व में जमा किया जाता है। वर्ष 2015–16 के दौरान, प्राप्य राशि ₹ 127.33 करोड़ में से ₹ 14.21 करोड़ (11.16 प्रतिशत) प्रत्याभूति शुल्क के रुप में वसूल किए गए थे और शासकीय लेखों में जमा किए गए थे। 2015–16 के दौरान कोई भी प्रत्याभूति याचित नहीं हुई।

मध्य प्रदेश शासन वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2006 के अनुसार प्रत्येक वर्ष निधि में अंशदान, पूर्ववर्ती वर्ष में वसूल की गई प्रत्याभूति शुल्क एवं राज्य सरकार द्वारा समरुप अंशदान होना चाहिए। 2014–15 के दौरान ₹ 5.29 करोड़ प्रत्याभूति शुल्क वसूल किया गया था इस प्रकार वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य द्वारा निधि में ₹ 10.58 करोड़ का अंशदान किया जाना था लेकिन राज्य सरकार द्वारा निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया। फलस्वरुप राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य को ₹ 10.58 करोड़ अधिक बताया गया था।

1.9.5 असंचालित आरक्षित निधियाँ

हमने देखा कि मुख्य शीर्ष 8229–200–प्रतिपूर्ति वनरोपण निधि के अंतर्गत आरक्षित निधि में 31 मार्च 2016 को ₹ 31.81 करोड़ का जमा शेष था जिसका पिछले आठ वर्षों से न तो उपयोग किया गया था और न ही निवेश किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इस संबंध में पर्याप्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए जाएंगे।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण संधारणीयता

ऋण संधारणीयता से तात्पर्य राज्य की ऋण को चुकाने की क्षमता से है। राज्य सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण संधारणीयता[13] का निर्धारण करते है। 2011–12 से प्रारंभ होकर पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्य के विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण **तालिका 1.33** में दिया गया है।

[13] *ऋण धारणीयता किसी समयावधि में ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक स्थिर अनुपात बनाए रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित की जाती है तथा अपने ऋणों के निर्वहन के सम्बन्ध में अपने सरोकार को मूर्त रूप देती है। अतएव ऋण की धारणीयता का उल्लेख चालू अथवा प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता एवं अतिरिक्त उधारी की लागत के साथ ऐसी उधारियों से प्रतिलाभ के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता के लिये भी किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ होना चाहिये।*

तालिका 1.33: ऋण संधारणीयता: संकेतक तथा प्रवृत्ति

ऋण संधारणीयता के संकेतक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बकाया ऋण की संवृद्धि दर	8.28	10.29	7.38	12.25	16.98
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर	19.80	20.71	14.40	11.19	16.62
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर	6.74	6.48	6.84	6.88	6.86
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति (प्रतिशत)	8.47	7.91	8.44	7.98	7.67
ऋण पुनर्भुगतान/ऋण प्राप्तियां	0.68	0.57	0.71	0.67	0.63
राज्य के पास उपलब्ध निवल ऋण (₹ करोड़ में)	955	2,838	569	4,793	10,367

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.33 से प्रकट हुआ कि बकाया ऋण की संवृद्धि दर में 2011–12 में 8.28 प्रतिशत से 2015–16 में 16.98 प्रतिशत की वृद्धि अंतरवर्षीय उतार–चढ़ाव के साथ हुई जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर 2011–12 में 19.80 प्रतिशत से 2015–16 में 16.62 प्रतिशत की कमी आई।

ब्याज एवं पुनर्भुगतान के लिए राशि उपलब्ध कराने के पश्चात राज्य के पास उपलब्ध निवल ऋण में 2011–12 में ₹ 955 करोड़ से 2015–16 में ₹ 10,367 करोड़ की वृद्धि हुई। 2011–12 से 2015–16 की अवधि के लिए राज्य की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल देयताओं पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत 7.67 प्रतिशत से 8.47 प्रतिशत के मध्य रहा। 2015–16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 6.74 प्रतिशत की सीमा से थोड़ी सी अधिक अर्थात 7.67 प्रतिशत थी।

1.10.2 ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता

ऋण संधारणीयता का एक और सूचक संवृद्धिता ब्याज देयताओं तथा संवृद्धिता प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की 'संवृद्धि ऋणेत्तर प्राप्तियों'[14] की पर्याप्तता है। यदि संवृद्धि ब्याज देयता तथा संवृद्धि प्रारंभिक व्यय की पूर्ति संवृद्धि ऋणेत्तर प्राप्तियों से होती है तो ऋण संधारणीयता को सरल किया जा सकता है। सकारात्मक संसाधन अंतराल मध्यम से लंबी अवधि में राज्य सरकार की ऋणों को रोकने की क्षमता को सुदृढ़ करता है जबकि नकारात्मक संसाधन अंतराल इसके विपरीत स्थिति का सूचक है।

2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान, संवृद्धिता ऋणेत्तर प्राप्तियां, संवृद्धिता प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी परिणामस्वरुप नकारात्मक संसाधन अंतराल हुआ।

1.10.3 उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता[15]

ऋण मोचन अनुपात ने 2011–16 की अवधि के दौरान 0.79 से 0.98 के मध्य उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाया (**परिशिष्ट 1.4**), जिससे परिसम्पत्ति निर्माण के लिए बहुत कम निधियां उपलब्ध रहीं। वर्ष 2015–16 के दौरान आंतरिक ऋण पुनर्भुगतान (₹ 3,948 करोड़) नवीन आंतरिक ऋण प्राप्तियों (₹ 18,659 करोड़) का 21 प्रतिशत था, भारत सरकार के कर्जों का पुनर्भुगतान (₹ 912 करोड़) नवीन ऋण

[14] *संवृद्धिता ब्याज देयताओं तथा संवृद्धिता प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की संवृद्धि ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि संवृद्धि ब्याज देयता तथा संवृद्धि प्रारंभिक व्यय की पूर्ति संवृद्धि ऋणेत्तर प्राप्तियों से होती है तो ऋण संधारणीयता को सरल किया जा सकता है।*

[15] *कुल ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण परिशोधन (मूलधन + ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और वह मात्रा इंगित करती है जिस मात्रा तक उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता दर्शाते हुये ऋण प्राप्तियां ऋण परिशोधन के लिये प्रयुक्त की जाती हैं।*

प्राप्तियों ₹ 1,326 करोड़ का 69 प्रतिशत था जबकि अन्य दायित्वों के मामलो में पुनर्भुगतान (₹ 26,206 करोड़), नवीन प्राप्तियों ₹ 29,539 करोड़ का 89 प्रतिशत था। इससे यह दर्शित हुआ कि नवीन ऋण प्राप्तियों का ऋण के पुनर्भुगतान में अंशतः उपयोग किया गया था।

वर्ष के दौरान आंतरिक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों ₹ 18,659 करोड़ में, सरकार ने ₹ 14,700 करोड़ बाजार कर्ज से 8.32 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर, ₹ 2,014 करोड़ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से, ₹ 1,884 करोड़ राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से एवं ₹ 61 करोड़ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिए।

भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिमों की प्राप्ति में 2014–15 में ₹ 1,372 करोड़ से 2015–16 में ₹ 1,326 करोड़ की कमी मुख्यतः 'राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजना के लिए कर्ज' के अंतर्गत 'बैक–टू–बैक बेसिस कर्ज' की प्राप्ति में कमी के कारण थी।

1.10.4 राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

तालिका 1.34: वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लिए राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्षों में	वित्तीय वर्ष 2014–15				वित्तीय वर्ष 2015–16			
	6003–आंतरिक ऋण की राशि	6004–कर्ज तथा अग्रिमों की राशि	**कुल राशि**	**ऋणों से देय पुनर्भुगतान का प्रतिशत**	**6003–आंतरिक ऋण की राशि**	6004–कर्ज तथा अग्रिमों की राशि	**कुल राशि**	**ऋणों से देय पुनर्भुगतान का प्रतिशत**
0-1	2,671.65	1,177.70	3,849.35	4.68	0.39	599.62	600.01	0.62
1-3	6,198.88	1,201.15	7,400.03	9.00	6,575.62	1,215.62	7,791.24	8.00
3-5	12,106.91	1,228.04	13,334.95	16.22	12,483.66	1,242.51	13,726.17	14.09
5-7	10,415.48	1,236.70	11,652.18	14.17	10,792.23	1,270.46	12,062.69	12.39
7-9	12,015.48	920.98	12,936.46	15.73	12,392.23	942.45	13,334.68	13.69
9-11	12,587.64	303.61	12,891.25	15.68	27,664.39	337.37	28,001.76	28.75
11-13	1,938.31	214.82	2,153.13	2.62	1,938.31	248.58	2,186.89	2.25
13-15	1,617.81	131.70	1,749.51	2.13	1,617.80	165.45	1,783.25	1.83
15 से अधिक	2,857.37	124.26	2,981.63	3.63	2,857.36	208.66	3,066.02	3.15
विविध*	6,598.15	6,714.87	13,313.02	16.16	7,396.45	7,437.29	14,833.74	15.23
योग	**69,007.68**	**13,253.83**	**82,261.51**		**83,718.44**	**13,668.01**	**97,386.45**	

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

** ऋणों की परिपक्वता के सम्बन्ध में जानकारी राज्य सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतीक्षित है*

उपरोक्त दर्शाए गए राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा यह दर्शाती है कि राज्य सरकार को अपने ऋणों का 35 प्रतिशत सात वर्षों के भीतर, 45 प्रतिशत सात से 13 वर्षों के मध्य तथा पाँच प्रतिशत 13 से 15 वर्षों से अधिक के मध्य पुनर्भुगतान करना होगा। राज्य के ऋणों के लगभग 15 प्रतिशत के पुनर्भुगतान की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं थी क्योंकि जानकारी सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नहीं हुई थी।

1.10.5 उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)

उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2015 में राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन एवं वित्तीय कायाकल्प के लिए प्रारंभ की गई थी। योजना का उद्देश्य ब्याज भार, विद्युत लागत, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानि को कम करना एवं विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन दक्षता में सुधार करना है।

योजना में निर्धारित परिचालन एवं वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संबंधित उत्तरदायित्व अनुबंधित करने के लिए योजनांतर्गत राज्य सरकारों, वितरण कम्पनियों एवं भारत सरकार के मध्य एक अनुबंध की परिकल्पना की गई है। इस अनुबंध के पश्चात राज्य सरकारें 30 सितम्बर 2015 को वितरण कम्पनियों के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत ले लेंगी अर्थात 2015–16 में 50 प्रतिशत एवं 2016–17 में 25 प्रतिशत।

मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त 2016 में वितरण कम्पनियों एवं विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। चूंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2015–16 के दौरान राज्य वितरण कम्पनियों को सहायता प्रदान नहीं की थी अतः 2015–16 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे एवं बकाया देयताओं पर उदय योजना का प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ।

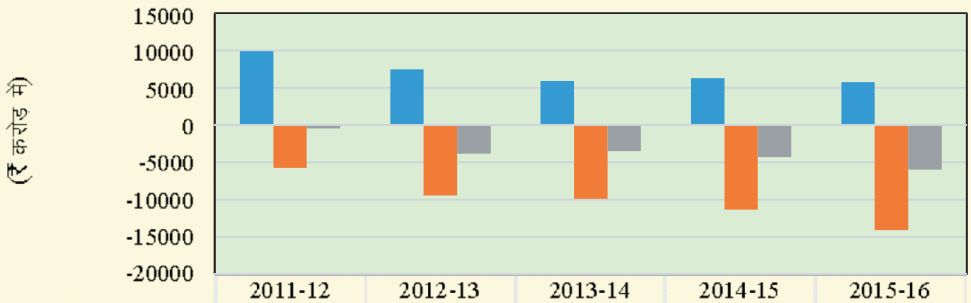
1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड–राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे–एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में सम्पूर्ण राजकोषीय असन्तुलन की मात्रा की ओर इंगित करते हैं। सरकार के लेखाओं में घाटे उसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य अन्तर प्रदर्शित करते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेक का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिस तरह से घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और संसाधनों का सृजन तथा उपयोग किया जाता है, वह इसके राजकोषीय सेहत के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। वित्त वर्ष 2015–16 के लिए इस भाग में प्रवृत्तियों, प्रकृति, प्रमात्रा और इन घाटों को वित्त पोषित करने की रीति तथा राजस्व, प्राथमिक और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का मूल्यांकन राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्रस्तुत किया गया है।

घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट 1.14 एवं **चार्ट 1.15** 2011–16 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते है।

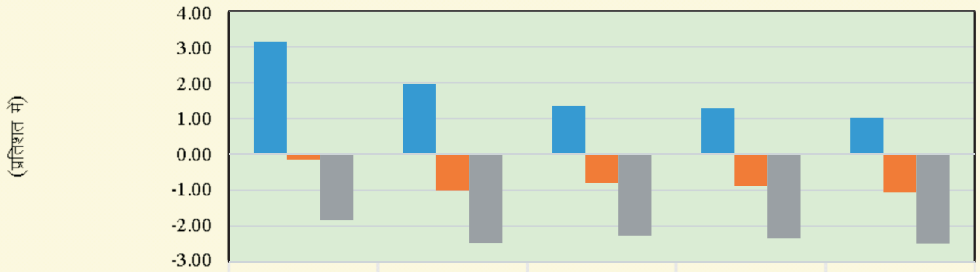
चार्ट 1.14: घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति



	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व आधिक्य	9910	7459	5879	6268	5740
राजकोषीय घाटा	-5760	-9420	-9882	-11352	-14065
प्राथमिक घाटा	-460	-3846	-3491	-4281	-5974

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.15: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति



	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व आधिक्य/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.14	1.96	1.35	1.29	1.02
प्राथमिक घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-0.15	-1.01	-0.80	-0.88	-1.06
राजकोषीय घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-1.83	-2.47	-2.27	-2.34	-2.49

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन)

- जैसा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में निर्धारित किया गया था, मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को विलोपित करने के राजकोषीय लक्ष्य को राज्य ने वर्ष 2004–05 में प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात राज्य ने राजस्व आधिक्य को बनाए रखा जिसमें 2011–12 में ₹ 9,910 करोड़ से 2015–16 में ₹ 5,740 करोड़ तक की अन्तर–वर्षीय परिवर्तनों के साथ कमी आई। इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 528 करोड़ की कमी आई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में राजस्व आधिक्य में 2011–12 में 3.14 प्रतिशत से 2015–16 में 1.02 प्रतिशत तक की कमी, राजस्व आधिक्य में गिरावट एवं सकल राज्य घरेलु उत्पाद में वृद्धि के कारण थी। 2015–16 के दौरान यह बजट अनुमान 1.00 प्रतिशत से अधिक था।
- राजकोषीय घाटा, जो सरकार की समस्त उधारियों और उसके संसाधन अंतराल को प्रदर्शित करता है, 2011–12 में ₹ 5,760 करोड़ से लगातार बढ़कर 2015–16 में ₹ 14,065 करोड़ हो गया। वर्तमान वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2,713 करोड़ की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में 2014–15 में 2.34 प्रतिशत से 2015–16 में 2.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो बजट अनुमान (2.99 प्रतिशत) के भीतर रहा एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 3.50 प्रतिशत साथ ही राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भी भीतर रहा।
- प्राथमिक घाटा 2011–12 में ₹ 460 करोड़ से अत्यधिक बढ़कर अन्तर–वर्षीय परिवर्तनों के साथ 2015–16 में ₹ 5,974 करोड़ हो गया।

1.11.1 राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

राजकोषीय घाटा, राज्य की कुल उधारियों की आवश्यकता होता है तथा राजस्व एवं ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियों पर कर्ज तथा अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का आधिक्य होता है। राजकोषीय घाटे के अपघटन से प्रकट होता है कि राज्य द्वारा राजस्व एवं ऋणेत्तर प्राप्तियों के अलावा निधियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु किस सीमा तक विभिन्न कर्ज लिए गए। राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप **तालिका 1.35** में परिलक्षित होता है।

तालिका 1.35: राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजकोषीय घाटा		**-5,760**	**-9,420**	**-9,882**	**-11,352**	**-14,065**
1	राजस्व आधिक्य	9,910	7,459	5,879	6,268	5,740
2	निवल पूंजीगत व्यय	-9,032	-11,534	-10,777	-11,850	-16,809
3	निवल कर्ज एवं अग्रिम	-6,638	-5,345	-4,984	-5,770	-2,996
राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप*						
1	बाजार उधारियां	3,166	3,363	3,572	8,171	12,991
2	भारत सरकार से कर्ज	403	909	450	536	414
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-167	725	1,270	1,184	922
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	198	210	245	258	798
5	आरक्षित निधियां	1,191	2,020	971	143	1,733
6	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	698	837	948	962	1,025
7	जमा एवं अग्रिम	783	348	-490	618	574
8	उचन्त एवं विविध	-28	-93	32	462	1,457
9	प्रेषण	391	400	286	- 57	-353
10	रोकड़ शेष वृद्धि (+)/कमी (-)	+875	-701	-2,598	+925	+5,497

**आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरण एवं बहिर्गमन का निवल है*
(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2015–16 के दौरान यह देखा गया है कि, राज्य सरकार द्वारा ली गई बाजार उधारियों ने राजकोषीय घाटे के मुख्य भाग को वित्त पोषित करना जारी रखा। 2015–16 में राजकोषीय घाटे को वित्त पोषण करने में इसका अंश 92.36 प्रतिशत था। 2014–15 की तुलना में 2015–16 में आरक्षित निधियां तथा उचन्त एवं विविध की राशि राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में उच्चतर थी जिससे भविष्य में ब्याज भार में वृद्धि दर्शित हुई।

1.12 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे तथा पूंजीगत व्यय (कर्ज एवं अग्रिम सहित) में अपघटन राज्य की वित्त व्यवस्था में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करेगा। मध्य प्रदेश के संबंध में 2004–05 से राजस्व आधिक्य रहा है। प्राथमिक घाटे का विभाजन **(तालिका 1.36)** उस सीमा को इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा हुआ, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता सुधारने के लिए वांछित हो सकता है।

तालिका 1.36: प्राथमिक घाटा/अधिशेष–घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणेत्तर प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कर्ज तथा अग्रिम*	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय की तुलना में ऋणेत्तर प्राप्तियां	प्राथमिक घाटा (–)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (3+4+5)**	**7 (2-3)**	**8 (2-6)**	**9**
2011-12	71,753	47,394	9,055	15,764	72,213	24,359	-460	12.54
2012-13	70,500	57,394	11,567	5,385	74,346	13,106	-3,846	15.56
2013-14	75,880	63,479	10,813	5,079	79,371	12,401	-3,491	13.62
2014-15	95,435	75,302	11,878	12,536	99,716	20,133	-4,281	11.91
2015-16	1,05,701	91,680	16,835	3,160	1,11,675	14,021	-5,974	15.07

**अन्तर्राज्यीय परिशोधन सहित*
(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2011–16 की अवधि के दौरान राज्य के प्राथमिक घाटों के घटकों के विभाजन के परिणामस्वरूप प्रकट हुआ कि प्राथमिक घाटा राज्य सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय और वितरित किए गए कर्ज एवं अग्रिमों के कारण था। दूसरे शब्दों में, राज्य की ऋणेत्तर प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये न केवल पर्याप्त थी अपितु पूंजीगत व्यय के सम्पूर्ण/आंशिक व्यय को पूरा करती थी। यद्यपि आधिक्य ऋणेत्तर प्राप्तियां वर्ष 2015–16 को छोड़कर सभी वर्षों के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी, वे सम्पूर्ण कर्जों एवं अग्रिमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी परिणामस्वरूप 2011–16 के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ।

1.13 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

राजकोषीय स्थिति एवं संसाधन संग्रहण

- राज्य ने वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 5,740 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाये रखा जो कि बजट अनुमानों (₹ 5,588 करोड़) से अधिक था। तथापि इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 528 करोड़ की कमी आई। राज्य आपदा मोचन निधि, प्रत्याभूति मोचन निधि, ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित निक्षेप निधि एवं राज्य शासकीय कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना में कम अंतरण के कारण राजस्व आधिक्य ₹ 916.82 करोड़ अधिक बताए गए।

- वर्तमान वर्ष के दौरान, राज्य के राजकोषीय घाटे (₹ 14,065 करोड़) में विगत वर्ष से ₹ 2,713 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः निवल पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में भी 2014–15 में 2.34 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 2.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि यह चौदहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा बजट अनुमानों द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर था।

- राज्य की राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,05,511 करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में 2015–16 के दौरान 19 प्रतिशत (₹ 16,870 करोड़) की वृद्धि केन्द्रीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश (₹ 14,291 करोड़ से) एवं स्वंय के कर राजस्व (₹ 3,647 करोड़ से) में वृद्धि के कारण हुई। हालांकि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता में 1.52 प्रतिशत (2014–15) से 1.15 प्रतिशत (2015–16) की कमी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर 11.19 प्रतिशत (2014–15) से 16.62 प्रतिशत (2015–16) में वृद्धि के कारण हुई।

- केन्द्रीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश में 2014–15 में ₹ 24,107 करोड़ से 2015–16 के दौरान ₹ 38,398 करोड़ की वृद्धि चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत करों एवं अनुदानों के हस्तांतरण में अत्यधिक वृद्धि के कारण हुई।

- वर्तमान वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत राज्य के स्वंय के संसाधनों से आया जो कि 2014–15 के दौरान 53 प्रतिशत से तुलनात्मक रूप से कम था। कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए आकलन से अत्यधिक कम (क्रमशः 19.22 प्रतिशत एवं 32.51 प्रतिशत से) थी।

राज्य सरकार बेहतर कर (Tax) अनुपालन सुनिश्चित कर, कर एवं करेत्तर स्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु प्रयास कर सकती है। सरकार बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्ति में कमी के कारणों की समीक्षा कर सकती है।

व्यय प्रबंधन एवं राजकोषीय प्राथमिकता

- पूंजीगत व्यय में 2011–12 में ₹ 9,055 करोड़ से 2015–16 में ₹ 16,835 करोड़ की वृद्धि अंतरवर्षीय उतार–चढ़ाव के साथ हुई। 2015–16 के दौरान, इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 4,957 करोड़ (42 प्रतिशत से) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 2,246 करोड़ से), ग्रामीण विकास (₹ 1,170 करोड़ से) एवं परिवहन (₹ 502 करोड़ से) के अंतर्गत थी। हालांकि, 2015–16 के दौरान पूंजीगत व्यय, बजट अनुमान ₹ 18,140 करोड़ से कम (₹ 1,305 करोड़ से) था।

- 2015–16 के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय (₹ 99,771 करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में 21.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 22.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत था। 2015–16 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में ₹ 12,461 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 3,051 करोड़ से), ऊर्जा (₹ 2,146 करोड़ से) एवं शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 1,466 करोड़ से) पर व्यय में वृद्धि के कारण थी। वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 68,319 करोड़) राज्य के मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 68,106 करोड़) से थोड़ा सा उच्च था।

- वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज अदायगियां एवं राजसहायताएं (₹ 48,189 करोड़) पर व्यय, राजस्व व्यय का 48 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत था। ₹ 11,725 करोड़ की कुल राजसहायता भुगतानों में से, 60 प्रतिशत ऊर्जा विभाग से संबंधित थी।

 चूंकि आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का मुख्य भाग वेतन, पेंशन एवं ब्याज अदायगी पर व्यय होता है जो कि मुख्यतः नियंत्रण से बाहर है, राज्य सरकार आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के अन्य संघटकों को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपायों की खोज कर सकती है ताकि परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अवसर देने एवं राज्य के संधारणीय विकास के लिए राजस्व आधिक्य को बनाए रखा जा सके। राजसहायताओं पर व्यय जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है, पर सरकार द्वारा अधिकतम ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

- 2015–16 के दौरान मध्य प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में दी गई प्राथमिकता, जब सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से तुलना की गई, पर्याप्त नहीं थी।

 सरकार को राज्य में शिक्षा क्षेत्र को अधिक राजकोषीय प्राथमिकता देनी चाहिए।

निवेश पर प्रतिलाभ

- 2015–16 के दौरान, सरकारी उधारियों पर औसत ब्याज दर 6.86 प्रतिशत के विरूद्ध सरकार द्वारा 2015–16 तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी

समितियों इत्यादि में किए गए निवेश ₹ 16,599.57 करोड़ पर प्रतिलाभ (₹ 129.64 करोड़) केवल 0.78 प्रतिशत था।

सरकार को अपने निवेशों हेतु बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए।

- छब्बीस सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमों, जिनके लेखे को 2015–16 तक अंतिम रूप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिए उनका कुल निवेश ₹ 14,460.30 करोड़ था, घाटे में चल रही थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 35,542.78 करोड़ तक हो गया।

 सरकार को राज्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों जो अधिक नुकसान में चल रहे हैं, की कार्यप्रणाली की समीक्षा एवं पुनः प्रवर्तन कार्यनीति तैयार करना चाहिए।

रोकड़ शेष एवं देयताओं का प्रबंधन

- राज्य सरकार द्वारा 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में किए गए निवेश में, 31 मार्च 2015 को ₹ 4,791 करोड़ से 31 मार्च 2016 को ₹ 9,485 करोड़, ₹ 4,694 करोड़ की वृद्धि हुई। चूंकि 31 मार्च 2016 को बाजार कर्ज ₹ 56,141 करोड़ था, अतः 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में किए गए उच्च स्तर के निवेशों की समीक्षा की आवश्यकता है।

- बकाया राजकोषीय देयताओं में 2011–12 में ₹ 81,757 करोड़ से 2015–16 के अंत में ₹ 1,27,144 करोड़ की लगातार वृद्धि हुई। इन देयताओं में 2014–15 में 12.25 प्रतिशत के विरूद्ध 2015–16 के दौरान 16.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2015–16 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि मुख्यतः बाजार कर्ज (₹ 12,991 करोड़ से) के अंतर्गत हुई थी। 2015–16 के अंत में राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.50 प्रतिशत थी जो कि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 24.87 प्रतिशत के अंदर थी। ऋण की मात्रा बढ़ जाने के परिणामस्वरूप ऋण को चुकाने की देयताओं में वृद्धि हुई है।

 राज्य सरकार नये ऋण का सहारा लेने से पूर्व आवश्यकता के आधार पर उधारियां लेने एवं उपलब्ध रोकड़ शेषों के उपयोग पर विचार कर सकती है।

अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखे सरकार के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे है जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विशेष रूप से यथा उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों की राशियों से की जाती है। इन लेखाओं में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदानों, समर्पण तथा पुनर्विनियोग स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किये जाते हैं और ये लेखे बजट की प्रभारित तथा दत्तमत मदों दोनों के सम्बन्ध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत व्यय की तुलना में वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त व्यवस्था के प्रबन्धन और बजट सम्बन्धी प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिये वित्त लेखे के संपूरक हैं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वस्तुतः किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकार के अनुसार है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो व्यय भारित होना था वह भारित दिखाया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

2015–16 के दौरान 79 अनुदानों एवं विनियोगों के विरूद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: वर्ष 2015–16 के लिए मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (–)/ आधिक्य (+)	समर्पित राशि	31 मार्च को समर्पित राशि	31 मार्च तक समर्पित राशि से बचत का प्रतिशत (कॉल. 7/कॉल.6)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
दत्तमत	I-राजस्व	1,01,027.10	19,342.71	1,20,369.81	91,242.33	(-)29,127.48	14,110.82	12,911.49	48.44
	II-पूंजीगत	18,637.76	3,257.62	21,895.38	16,886.37	(-)5,009.01	3,671.55	3,243.71	73.30
	III-ऋण एवं अग्रिम	4,232.58	1,248.29	5,480.87	3,159.84	(-)2,321.03	1,595.56	1,375.94	68.74
योग दत्तमत		**1,23,897.44**	**23,848.62**	**1,47,746.06**	**1,11,288.54**	**(-)36,457.52**	**19,377.93**	**17,531.14**	**53.15**
प्रभारित	IV-राजस्व	*9,327.26*	*667.22*	*9,994.48*	*9,606.96*	*(-)387.52*	*79.99*	*79.53*	*20.64*
	V-पूंजीगत	*96.38*	*0.43*	*96.81*	*58.39*	*(-)38.42*	*1.12*	*1.12*	*2.92*
	VI-लोक ऋण–पुनर्भुगतान	*8,773.17*	-	*8,773.17*	*4,860.36*	*(-)3,912.81*	-	-	-
योग प्रभारित		***18,196.81***	***667.65***	***18,864.46***	***14,525.71***	***(-)4,338.75***	***81.11***	***80.65***	***1.87***
आकस्मिकता निधि से विनियोग		-	-	-	-	-	-	-	-
महायोग		**1,42,094.25**	**24,516.27**	**1,66,610.52**	**1,25,814.25**	**(-)40,796.27**	**19,459.04**	**17,611.79**	**47.70**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे)

₹ 40,796.27 करोड़ की समग्र बचत राजस्व अनुभाग के अधीन 74 अनुदानों एवं 42 विनियोगों और पूंजीगत अनुभाग के अधीन 54 अनुदानों एवं सात विनियोगों में बचतों का परिणाम थी। वर्ष के दौरान ₹ 24,516.27 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए जो कि मूल प्रावधानों के 17.25 प्रतिशत थे। वर्ष 2015–16 के दौरान

₹ 1,66,610.52 करोड़ के कुल बजट प्रावधानों के विरुद्ध ₹ 40,796.27 करोड़ (24.49 प्रतिशत) की बड़ी बचतें हुई थी, जो अनुपयुक्त बजट अनुमानों को दर्शाती हैं।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि विभागीय प्रस्तावों की भली भांती जांच के पश्चात अनुपूरक अनुदान के लिए प्रावधान किए गए थे। इसके अतिरिक्त यह भी उत्तर दिया कि बचतों के बेहतर अधिमूल्यन के लिए पुनरीक्षित अनुमान आंकड़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

तथ्य यह है कि अनुदानों के अंतर्गत समग्र बचतें अनुपूरक बजट से अधिक थीं। इसके अतिरिक्त अनुपूरक प्रावधान, आवश्यकताओं की उपयुक्त जांच पर आधारित नहीं थे एवं कंडिका 2.3.6 के विवरणानुसार अनावश्यक/अधिक सिद्ध हुए।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 आवंटनीय प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग–सारभूत बचतें

विनियोग लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹ 40,796.27 करोड़ की कुल बचतों में से, 36 प्रकरणों में ₹ 100 करोड़ एवं उससे अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की सारभूत बचतें कुल ₹ 33,601.88 करोड़ (82.36 प्रतिशत) हुई, जो **तालिका 2.2** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.2: ₹ 100 करोड़ तथा उससे अधिक एवं कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक की बचतों वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/ विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व–दत्तमत							
1	06–वित्त	13,569.63	4.86	13,574.49	7,959.81	5,614.68	41.36
2	07–वाणिज्यिक कर	2,573.73	15.30	2,589.03	1,815.69	773.34	29.87
3	08–भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,247.42	-	1,247.42	911.81	335.61	26.90
4	10–वन	2,241.44	167.51	2,408.95	1,764.97	643.98	26.73
5	13–किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1,881.23	1,647.52	3,528.75	1,292.86	2,235.89	63.36
6	15–अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,323.25	66.68	2,389.93	1,606.53	783.40	32.78
7	17–सहकारिता	498.94	863.41	1,362.35	908.89	453.46	33.29
8	27–स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	6,977.23	75.21	7,052.44	5,595.55	1,456.89	20.66
9	30–ग्रामीण विकास	553.00	5.15	558.15	428.24	129.91	23.28
10	38–आयुष	369.26	40.43	409.69	292.40	117.29	28.63
11	39–खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1,133.83	468.97	1,602.80	1,242.65	360.15	22.47
12	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5,908.07	267.72	6,175.79	3,997.01	2,178.78	35.28
13	44–उच्च शिक्षा	1,725.01	161.00	1,886.01	1,393.78	492.23	26.10
14	47–तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	534.29	22.27	556.56	410.78	145.78	26.19
15	50–उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	449.72	121.75	571.47	454.09	117.38	20.54
16	52–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,332.95	93.99	3,426.94	2,186.62	1,240.32	36.19
17	53–अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	280.07	25.00	305.07	186.38	118.69	38.91
18	64–अनुसूचित जाति उपयोजना	3,847.68	385.84	4,233.52	2,792.65	1,440.87	34.03
19	66–पिछड़ा वर्ग कल्याण	880.45	269.00	1,149.45	777.87	371.58	32.33
20	67–लोक निर्माण कार्य–भवन	641.10	2.90	644.00	440.67	203.33	31.57

स.क्र.	अनुदान/ विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
21	71–सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय	138.00	942.00	1,080.00	729.67	350.33	32.44
22	74–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	11,124.35	3,927.88	15,052.23	11,344.34	3,707.89	24.63
23	77–स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2,364.14	9.50	2,373.64	1,577.79	795.85	33.53
पूंजीगत–दत्तमत							
24	06–वित्त	181.05	-	181.05	43.79	137.26	75.81
25	12–ऊर्जा	3,732.56	201.91	3,934.47	2,532.49	1,401.98	35.63
26	17–सहकारिता	232.30	390.00	622.30	167.75	454.55	73.04
27	22–नगरीय विकास एवं पर्यावरण	271.24	-	271.24	138.33	132.91	49.00
28	27–स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	233.50	137.21	370.71	241.25	129.46	34.92
29	30–ग्रामीण विकास	1,508.55	-	1,508.55	1,166.56	341.99	22.67
30	39–खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	114.20	23.82	138.02	19.77	118.25	85.68
31	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,699.30	690.74	3,390.04	2,291.83	1,098.21	32.40
32	42–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	855.13	-	855.13	653.40	201.73	23.59
33	48–नर्मदा घाटी विकास	1,640.48	सांकेतिक	1,640.48	1,038.32	602.16	36.71
34	64–अनुसूचित जाति उपयोजना	2,488.64	549.82	3,038.46	2,200.73	837.73	27.57
35	71–सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय	137.00	431.00	568.00	402.79	165.21	29.09
पूंजीगत–प्रभारित							
36	पी.डी.–लोक ऋण	8,773.17	-	8,773.17	4,860.36	3,912.81	44.60
योग		**87,461.91**	**12,008.39**	**99,470.30**	**65,868.42**	**33,601.88**	**33.78**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे)

71 प्रकरणों में, सारभूत कुल बचतें ₹ 36,004.11 करोड़ थी। प्रत्येक प्रकरण में, बचतें ₹ 10 करोड़ तथा उससे अधिक एवं संबंधित बजट प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक थी (**परिशिष्ट 2.1**)। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अनुदानों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 123 योजनाओं में सारभूत बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ या अधिक) पाई गई जो कि ₹ 4,000 करोड़ तक की थी। विवरण **परिशिष्ट 2.2 (क)** में दिए गए हैं।

2.3.2 सतत बचतें

12 प्रकरणों में, विगत पाँच वर्षों 2011–12 से 2015–16 के दौरान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की सतत बचतें हुई थी जिन्हें **तालिका 2.3** में दिखाया गया है।

तालिका 2.3: अनुदानों/विनियोगों जिनके अंतर्गत 2011–16 के दौरान सतत बचतें हुई

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	बचतों की राशि (कोष्ठकों में कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
राजस्व–दत्तमत						
1	16–मछली पालन	13.04 (21.53)	12.25 (21.43)	17.77 (26.78)	26.88 (36.16)	19.11 (27.19)
बचत मुख्य शीर्ष 2405–मछली पालन के अंतर्गत हुई।						
2	31–योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	386.39 (84.12)	211.54 (75.54)	121.62 (50.42)	195.23 (73.02)	81.14 (54.35)
बचत मुख्य शीर्षों 3451–सचिवालय–आर्थिक सेवाएं एवं 3454–जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के अंतर्गत हुई।						
3	38–आयुष	76.08 (30.99)	136.12 (39.55)	169.39 (44.55)	234.29 (50.87)	117.29 (28.63)
बचत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत हुई।						
4	40–जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय–आयाकट	109.64 (97.52)	2.67 (51.84)	3.82 (50.73)	6.22 (51.53)	6.24 (53.70)
बचत मुख्य शीर्ष 2705–कमान क्षेत्र विकास के अंतर्गत हुई।						

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	बचतों की राशि (कोष्ठकों में कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
5	61–बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	70.36 (47.28)	107.00 (67.10)	180.56 (90.28)	113.16 (78.82)	15.86 (27.66)
बचत मुख्य शीर्षों 2405–मछली पालन एवं 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुई।						
राजस्व–प्रभारित						
6	06–वित्त	*14.23* (96.28)	*12.93* (52.18)	*13.24* (89.64)	*12.40* (83.90)	*15.53* (89.87)
बचत मुख्य शीर्ष 2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ के अंतर्गत हुई।						
पूंजीगत–दत्तमत						
7	06–वित्त	1,501.78 (92.80)	1,374.53 (95.53)	234.74 (81.98)	141.27 (30.01)	137.26 (75.81)
बचत मुख्य शीर्षों 4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय एवं 6075–विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज के अंतर्गत हुई।						
8	27–स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	1.12 (25.00)	13.06 (49.73)	34.85 (71.41)	24.97 (21.44)	129.46 (34.92)
बचत मुख्य शीर्ष 4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत हुई।						
9	58–प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.50 (85.62)	2.50 (76.69)	2.50 (100)	2.50 (100)	3.00 (100)
बचत मुख्य शीर्ष 6245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज के अंतर्गत हुई।						
10	61–बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	258.29 (41.71)	249.71 (35.44)	211.00 (51.63)	120.56 (32.65)	62.41 (22.00)
बचत मुख्य शीर्षों 4401–फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय एवं 4705–कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत हुई।						
11	67–लोक निर्माण कार्य–भवन	41.39 (38.11)	45.79 (32.98)	91.29 (49.98)	75.72 (40.33)	68.62 (28.48)
बचत मुख्य शीर्षों 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय एवं 4853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत हुई।						
पूंजीगत–प्रभारित						
12	लोक ऋण	*3,650.31* (53.68)	*3,903.17* (52.13)	*4,018.05* (50.08)	*4,256.48* (46.38)	*3,912.80* (44.60)
बचत मुख्य शीर्षों 6003–राज्य सरकार का आंतरिक ऋण एवं 6004– केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम के अंतर्गत हुई।						

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

सतत बचतों से प्रदर्शित हुआ कि बजट अनुमान वास्तविक रूप से तैयार नहीं किए गए थे एवं संबंधित विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावशाली नहीं थे।

2.3.3 योजनाओं के अंतर्गत अधिक व्यय

39 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ₹ 4,476.36 करोड़ का कुल आधिक्य व्यय, प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधान से ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक और प्रत्येक योजना के लिए किए गए प्रावधानों के 20 प्रतिशत से भी अधिक था। जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.2 (ख)** में दिया गया है।

2.3.4 योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान

81 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक) के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान, कुल ₹ 13,374.82 करोड़ अप्रयुक्त रहा। जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.2 (ग)** में दिया गया है।

2.3.5 विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है

वर्ष 2003–04 से 2006–07 एवं 2008–09 से 2014–15 से संबंधित राशि के ₹ 918.09 करोड़ अधिक व्यय को **परिशिष्ट 2.3** में दिए गए विवरणों के अनुसार अब भी नियमित किया जाना है। नियमितीकरण हेतु लंबित अधिक व्यय की राशियों का वर्षवार सारांश **तालिका 2.4** में दिया गया है।

तालिका 2.4: विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संख्या		अधिक व्यय	नियमन की स्थिति (31 अक्टूबर 2016 की स्थिति में)
	अनुदान	विनियोग		
1	2	3	4	5
2003-04	04	03	2.54	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2004-05	13	02	83.66	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2005-06	04	02	37.58	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2006-07	02	01	35.99	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2008-09	02	02	5.80	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2009-10	04	निरंक	123.96	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2010-11	निरंक	02	12.62	अनुदान संख्या 23 (राजस्व प्रभारित) के संदर्भ में ₹ 0.02 करोड़ को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2011-12	04	02	135.10	अनुदान संख्या 33 के संदर्भ में ₹ 10.88 करोड़ को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2012-13	निरंक	02	0.24	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए गए।
2013-14	02	01	34.32	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए गए।
2014-15	03	03	446.28	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए गए।
योग	**38**	**20**	**918.09**	

वर्षों से अनुदानों/विनियोगों के अधीन प्रावधान से आधिक्य का नियमितीकरण न किया जाना अनुदानों/विनियोगों पर विधायी नियंत्रण की विफलता है।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने बताया कि वर्ष 2002–2003 तक के अधिक व्यय को नियमित किया जा चुका था। लोक लेखा समिति की अनुसंशाओं के अनुसार अन्य प्रकरणों के लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया की जा रही थी।

तथ्य यह है कि अधिक व्यय का नियमितीकरण कई वर्षों से लंबित था।

2.3.6 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

अनुदानों/विनियोगों के 54 प्रकरणों में, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए कुल ₹ 6,089.83 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या इससे अधिक पूर्ण रूप से अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय, मूल प्रावधान से कम था। विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दर्शाया गया है।

27 प्रकरणों में ₹ 9,945.92 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरूद्ध ₹ 17,980.89 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचतें हुयी जिनका कुल योग ₹ 8,034.97 करोड़ था, को **परिशिष्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

2.3.7 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण

पुनर्विनियोग, विनियोग की एक इकाई जहाँ बचतें अनुमानित हैं, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है को अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। हमने 46 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग या समर्पण देखा, जिसके परिणामस्वरुप 12 अनुदानों (14 प्रकरणों) के संबंध में प्रत्येक

प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचतें हुई एवं 17 अनुदानों (32 प्रकरणों) के संबंध में प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक का आधिक्य भी हुआ। जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दिया गया है।

2.3.8 समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.9 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय में प्रत्याशित बचतों का विवरण पत्रक 15 जनवरी तक वित्त विभाग को आवश्यक रूप से सौंपना होता है।

वर्ष 2015–16 की समाप्ति पर, 32 प्रकरणों (18 अनुदानों एवं पांच विनियोगों में) जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) हुईं लेकिन संबंधित विभागों द्वारा इनके किसी भी भाग को समर्पित नहीं किया गया था। इन प्रकरणों में समाविष्ट राशि ₹ 6,729.45 करोड़ (कुल बचतों ₹ 40,796.27 करोड़ का 16.49 प्रतिशत) थी (**परिशिष्ट 2.7**)।

113 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक की निधियों का समर्पण), ₹ 17,329.84 करोड़ (**परिशिष्ट 2.8**) की कुल बचतों का समर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को किया गया, जिससे इन निधियों की अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु गुंजाइश नहीं बची।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि सभी विभागों को स्थाई आदेश जारी कर दिए गए थे एवं इन आदेशों का पुनः जारी किया जाएगा।

2.3.9 निधियों के पुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृतियां

राज्य सरकार के अनुदेशों (फरवरी 2012) एवं इसके वित्तीय नियमों के अनुसार (i) पुनर्विनियोगों/समर्पणों की समस्त स्वीकृतियां वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी की जानी चाहिए एवं उन्हे लेखाओं में समावेशन के लिए यथासमय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, (ii) योजनाओं के उपयुक्त विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए एवं स्वीकृतियों का योग सही होना चाहिए, (iii) एक अनुदान से दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोजन अनुमत्य नहीं है, (iv) जिन शीर्षों से समर्पण/पुनर्विनियोग स्वीकृत किए गए हैं उनसे संबंधित शीर्षों में प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए।

उपर्युक्त अनुदेशों के उल्लंघन में ₹ 2,501.27 करोड़ की पुनर्विनियोग या समर्पण की कुल 66 स्वीकृतियां (32 अनुदान/विनियोग के अंतर्गत) वर्ष 2015–16 के दौरान जारी की गई थीं अतः इन्हें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखाओं में शामिल किए जाने के लिए स्वीकार नहीं किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 2.9** में दिया गया है।

2.3.10 व्यय की अत्यधिकता

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.13 के अनुसार, व्यय की अत्यधिकता विशेष रूप से वित्त वर्ष के अंतिम माहों में साधारणतया वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।

हमने पाया कि 26 अनुदानों/विनियोगों के 49 प्रकरणों[1] में ₹ 4,497.24 करोड़ (इन अनुदानों/विनियोगों के अधीन कुल व्यय का 87 प्रतिशत) वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय किए गए। इनमें से ₹ 4,463.11 करोड़ का व्यय मार्च माह में किया गया था। प्रत्येक प्रकरण में कुल व्यय की तुलना में माह मार्च के दौरान किए गए व्यय का प्रतिशत 50 से 100 के मध्य रहा। विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दिया गया है। इससे त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन दर्शित हुआ जिसके कारण व्यय का एकरूप प्रवाह नहीं बनाए रखा जा सका, जो कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है।

[1] *जहां अंतिम तिमाही में व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक हुआ।*

2.3.11 निधियों का आहरण एवं सिविल जमा में रखना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 284 के प्रावधान के अनुसार, कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो।

2015–16 के दौरान, 31 मार्च 2016 को ₹ 54.01 करोड़ आहरित किए गए थे एवं लेखे में संबंधित योजनाओं के अंतर्गत अंतिम व्यय दर्शाते हुए 8443–सिविल जमा–800–अन्य जमा में अंतरित किए गए थे, जैसा कि **परिशिष्ट 2.11** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए राशियों को आवश्यकता से अधिक आहरित किया गया, जो कि संहितागत प्रावधान के प्रतिकूल है।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने बताया कि सिविल जमा में निधियों को रखे जाने को हतोत्साहित किया गया था। समेकित निधि से लोक लेखे में अंतरण केवल अपवादात्मक प्रकरणों में किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 31 मार्च 2016 को निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए, निधियों को सिविल जमा शीर्षों में जमा किया गया था।

2.3.12 बिना प्रावधान के किए गए व्यय

हमने देखा कि ₹ 0.20 लाख शीर्ष '6003–101–002–11.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2001' के अधीन एवं ₹ 0.29 लाख शीर्ष '6003–101–8134–11.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2011' के अधीन (प्रभारित अनुदान–लोक ऋण में) का व्यय बजट अनुमानों में प्रावधान किए बिना किया गया था। बिना किसी प्रावधान के इन शीर्षों के अंतर्गत व्यय के कारण सूचित नहीं किए गए थे (नवम्बर 2016)।

2.3.13 अवास्तविक बजट अनुमान

मध्य प्रदेश शासन बजट नियमावली खंड–1 (भाग ब) की कंडिका बी–7 एवं 8 के अनुसार, समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए व्यय एवं प्राप्तियों के अनुमान को संग्रहित करने के साथ ही साथ आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान विभागीय योजनाओं के लिए प्राप्त की जाने वाली बजटेत्तर निधियों के अनुमानों की तैयारी एवं व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों को अंतिम रूप देने के उत्तरदायी है। बजट नियंत्रण अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार सभी अनुमानों को संग्रहित करना एवं व्यय तथा प्राप्तियों के अनुमानों को अंतिम रुप देने के लिए इनकी समीक्षा करना चाहिए।

विनियोग लेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि सात योजनाओं (जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी) में वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः ₹ 2,259.38 करोड़, ₹ 2,210.35 करोड़ एवं ₹ 2,134.24 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था जो पूर्णतः अप्रयुक्त रहा। इससे यह दर्शित होता है कि बजट प्रावधान बिना वास्तविक आवश्यकता के तदर्थ आधार पर तैयार किए गए थे। विवरण **परिशिष्ट 2.12** में दिए गए हैं।

2.3.14 पूंजीगत अनुभाग एवं राजस्व अनुभाग के अंतर्गत बजट प्रावधानों का गलत वर्गीकरण

लेखांकन एवं सहायतानुदान के वर्गीकरण के संबंध में भारत सरकार लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.)–2 के अनुसार अनुदानदाता द्वारा संवितरित की गई सहायतानुदानों को अनुदानदाता के वित्तीय विवरणों में, इस बात पर विचार किए बिना कि जिस भी उद्देश्य के लिए निधियां संवितरित की गई थी, राजस्व व्यय के रुप में लेखांकन एवं वर्गीकृत किया जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के

राष्ट्रपति द्वारा केवल विशिष्ट रुप से प्राधिकृत प्रकरणों में, इन्हें सरकार के वित्तीय विवरणों में लेखे के पूंजीगत शीर्ष के नामे किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन मुख्य शीर्षों में ₹ 370.59 करोड़ के सहायता अनुदान पूंजीगत व्यय के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, शासकीय लेखाकरण नियम 1990 के नियम 30(1) के अनुसार मौटे तौर पर पूंजीगत प्रकृति का व्यय सारभूत एवं स्थाई प्रकार की प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों की वृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया व्यय कहा जायेगा। पूंजीगत प्रकृति के व्यय को शासकीय लेखों में राजस्व व्यय से अलग रखा जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चार मुख्य शीर्षों में ₹ 39.86 करोड़ संधारण के लिए पूंजीगत व्यय के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किए गए थे, जहां प्रत्येक प्रकरण में बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक थे। विवरण **परिशिष्ट 2.13 (क)** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 19 मुख्य शीर्षों में ₹ 678.92 करोड़ मशीनरी के लिए एवं दो मुख्य शीर्षों में वृहद् कार्य के लिए ₹ 3.17 करोड़ राजस्व व्यय के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किए गए थे, जहां प्रत्येक प्रकरण में बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक थे। विवरण **परिशिष्ट 2.13 (ख)** में दिए गए हैं।

2.3.15 जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के लिए बजट आवंटन की बचतों को समर्पित नहीं किया जाना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 8.3.10 में निर्देशानुसार, बचतों के व्यपगत होने का पूर्वानुमान होने पर बजट नियंत्रण अधिकारी को स्वविवेक पर उपलब्ध अनुदानों के भागों या विनियोगों, जिनकी वर्ष के दौरान आवश्यकता की संभावना नहीं है, को समर्पण करना होता है। बचतों का पूर्वानुमान होने पर बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रत्याशित बचतों का पूर्ण विवरण कारण सहित तत्काल वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करना चाहिए, यदि इन बचतों की उसी अनुदान के कुछ अन्य शीर्ष के अंतर्गत निधियों की प्रत्याशित अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु जरुरत न हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुदान क्रमांक 59–ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के अंतर्गत, अनुदान क्रमांक 41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना एवं 64–अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना योजना के लिए क्रमशः ₹ 10 करोड़, ₹ 11.20 करोड़ एवं ₹ नौ करोड़ का प्रावधान किया गया था जिसे 30 जून 2015 को बंद कर दिया गया था। इन अनुदानों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों को 31 मार्च 2016 को समर्पित किया गया था। जबकि बजट नियमावली के अनुसार सम्पूर्ण प्रावधान को जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना योजना के बंद करने के पश्चात तत्काल समर्पित कर दिया जाना चाहिए था। यह नियंत्रक विभागों में बजटीय नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम

विधानसभा में अनुदानों की मांगों पर मतदान होने के उपरांत राज्य की समेकित निधि से सभी प्रकार के धन के विनियोग हेतु एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो (क) विधानसभा द्वारा दी गई अनुदानों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति करता है। विनियोग विधेयक पर राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने के उपरांत, विनियोग अधिनियम और संलग्न अनुसूचियों में दर्शाई गई राशियाँ, विभिन्न मांगों में व्यय के लिए स्वीकृत अनुदान मानी जाती है।

हमने दो अनुदानों अर्थात अनुदान क्रमांक 27–स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) एवं अनुदान क्रमांक 47–तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित व्यय पर नियंत्रण तथा बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा की (जुलाई–अगस्त 2016)। आयुक्त, राज्य शिक्षा

केन्द्र, भोपाल एवं लोक निदेश संचालनालय भोपाल, मध्य प्रदेश अनुदान क्रमांक 27 के बजट नियंत्रण अधिकारी हैं। संचालक, तकनीकी शिक्षा (सतपुड़ा भवन), भोपाल, मध्य प्रदेश एवं संचालक, कौशल विकास, जबलपुर अनुदान क्रमांक 47 के बजट नियंत्रण अधिकारी हैं।

वर्ष 2015–16 के लिए वित्त विभाग द्वारा बजट अनुमान प्रस्तुत करने की समय अनुसूची के संबंध में जारी निर्देशों (अगस्त 2013) के अनुसार प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोजनेत्तर एवं आयोजना व्यय के लिए अनुमान क्रमशः 17.10.2014 एवं 25.10.2014 तक वित्त विभाग को प्रस्तुत करने थे। तथापि विभाग (अनुदान क्रमांक 27) के लिए बजट अनुमान स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) विभाग द्वारा वित्त विभाग को 22.11.2014 को प्रस्तुत किए गए थे एवं अनुदान क्रमांक 47 तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास द्वारा 25.10.2014 को वित्त विभाग को प्रस्तुत किए गए थे।

2.4.1 सारांशीकृत स्थिति

वर्ष 2015–16 के दौरान अनुदान क्रमांक 27 एवं 47 के अंतर्गत बजट, किए गए व्यय एवं बचत की राशियों के विवरण **तालिका 2.5** में सारांशीकृत हैं।

तालिका 2.5: 2015–16 के दौरान सारांशीकृत विनियोग

(₹ करोड़ में)

अनुदान का विवरण	अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का कुल अनुदान से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान क्रमांक 27	राजस्व (दत्तमत)	6,977.23	75.21	7,052.44	5,595.55	1,456.89	20.66
	पूंजीगत (दत्तमत)	233.50	137.21	370.71	241.25	129.46	34.92
अनुदान क्रमांक 47	राजस्व (दत्तमत)	534.29	22.27	556.56	410.78	145.78	26.19
	पूंजीगत (दत्तमत)	67.65	62.19	129.84	99.77	30.07	23.16
योग		**7,812.67**	**296.88**	**8,109.55**	**6,347.35**	**1,762.20**	**21.73**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे)

इन अनुदानों की समीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआः

2.4.2 सतत बचतें

हमने देखा कि पिछले तीन वर्षों 2013–14 से 2015–16 के दौरान आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र एवं लोक निदेश संचालनालय, भोपाल, मध्य प्रदेश (अनुदान क्रमांक–27) एवं कौशल विकास विभाग (अनुदान क्रमांक–47) के वेतन एवं मजदूरी में सतत बचतें हुईं थी। इन अनुदानों में बजट आवंटन, व्यय एवं बचत की राशि का वर्षवार विवरण **तालिका 2.6** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 2.6: वेतन एवं मजदूरी के अंतर्गत सतत बचतें

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत/समर्पण	बचतों का प्रतिशत
अनुदान क्रमांक–27				
2013-14	128.59	100.06	28.53	22.19
2014-15	123.43	104.71	18.72	15.17
2015-16	131.68	108.83	22.85	17.35
योग	**383.70**	**313.60**	**70.10**	**18.27**
अनुदान क्रमांक–47				
2013-14	108.63	105.88	2.75	2.53
2014-15	138.19	129.96	8.23	5.96
2015-16	148.27	133.82	14.45	9.75
योग	**395.09**	**369.66**	**25.43**	**6.44**

(स्रोतः स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) विभाग एवं तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

इस ओर इंगित किए जाने पर अनुदान क्रमांक 27 एवं 47 के बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बताया था कि स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों को न भरे जाने कारण बचतें हुईं थी।

तथ्य यह है कि प्रावधान तदर्थ आधार पर किए गए थे जिसके परिणामस्वरुप वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान सतत बचतें हुईं थी।

2.4.3 महत्वपूर्ण बचतें

हमने देखा कि 20 योजनाओं में, जहां बचतें ₹ पांच करोड़ या अधिक थी, ₹ 1,648.22 करोड़ की महत्वपूर्ण बचतें थी जो कि वर्ष 2015–16 के दौरान योजनाओं के अंतर्गत कुल अनुदान/विनियोग के 8.55 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक थी। विवरण **परिशिष्ट 2.14** में दिए गए हैं।

2.4.4 चयनित अनुदानों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में अप्रयुक्त प्रावधान

अनुदान क्रमांक 27 के अंतर्गत चार प्रकरणों एवं अनुदान क्रमांक 47 के अंतर्गत दो प्रकरणों में विभिन्न योजनाओं (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) के अंतर्गत किया गया सम्पूर्ण प्रावधान कुल ₹ 31 करोड़ अप्रयुक्त रहा। विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है।

तालिका 2.7: वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न योजनाओं में अप्रयुक्त प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
27–स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)					
1	2202–01–101–0801–6491–आई.डी.एम.आई. योजना अंतर्गत अनुदान	1.00	निरंक	1.00	100
2	2203–03–103–0101–7617–जबलपुर में विस्थापित भवन निर्माण (पी.एस.एम. परिसर)	5.00	निरंक	5.00	100
3	4202–01–201–0101–5776–सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना	20.00	निरंक	20.00	100
4	4202–02–105–0101–0067–अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई संस्थान, भोपाल	1.00	निरंक	1.00	100
47–तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास					
1	2203–001–0101–7469–राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	2.00	निरंक	2.00	100
2	2230–03–003–0717–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	2.00	निरंक	2.00	100
योग		**31.00**	**निरंक**	**31.00**	**100**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे एवं विस्तृत विनियोग लेखे)

2.4.5 बजट प्रावधानों का गलत वर्गीकरण

अनुदान क्रमांक 47 के अंतर्गत 12 योजनाओं में वर्ष 2015–16 के दौरान उद्देश्य शीर्ष 63–मशीनों एवं उपकरण के अंतर्गत ₹ 14.80 करोड़ (जहॉ प्रावधान एक लाख या अधिक थे) के बजट प्रावधान राजस्व अनुभाग के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किए गए थे जबकि उद्देश्य शीर्ष 63–मशीनों एवं उपकरणों की प्रकृति पूंजीगत अनुभाग से संबंधित है। उद्देश्य शीर्षवार एवं योजनावार विवरण **परिशिष्ट 2.15** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर (जुलाई–अगस्त 2016) बजट नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि उद्देश्य शीर्ष 63–मशीनों एवं उपकरणों के अंतर्गत प्रावधान वित्त विभाग द्वारा किए गए थे। आगे बजट नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि प्रकरण को वित्त विभाग की जानकारी में लाया जाएगा।

2.4.6 केंद्रीय निधियों का सिविल जमा में रखना

हमने अनुदान क्रमांक 27 (बजट नियंत्रण अधिकारी–2004) में देखा कि निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए केंद्र प्रवर्तित योजनाओं "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए" के ₹ 68.65 लाख 31 मार्च 2016 को आहरित किए गए एवं लोक लेखे में शीर्ष 8443–सिविल जमा में अंतरित किए गए थे जिससे राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत वर्ष के व्यय बढ़े हुए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर (जुलाई 2016), बजट नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि कोषालय द्वारा मार्च 2016 के अंत में आहरण पर प्रतिबंध लगा दी गई थी जिसके कारण केंद्रीय निधियां वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्ति के पश्चात के–जमा (के–डिपोजिट) में रखी गई थी जिनका शीघ्र ही उपयोग किया जाएगा।

तथ्य यह है कि वित्त वर्ष के अंत में सिविल जमा में निधियों के अंतरण के फलस्वरुप राज्य की समेकित निधि में राज्य के व्यय को बढ़ा हुआ बताया गया।

2.5 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

मूल एवं अनुपूरक अनुदानों के अंतर्गत बढ़े हुए प्रावधान

- वर्ष 2015–16 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 1,66,610.52 करोड़ के विरुद्ध ₹ 40,796.27 करोड़ (24.49 प्रतिशत) की बड़ी बचतें हुईं थी। 36 प्रकरणों में (28 अनुदानों/विनियोगों) में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ एवं अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की कुल ₹ 33,602 करोड़ की समग्र बचतें हुई थी जो अनुपयुक्त बजट अनुमानों को दर्शाता है।

 व्यय के उचित अनुवीक्षण द्वारा सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। अनुपूरक अनुदानों के अनावश्यक प्रावधानों से बचा जाना चाहिए।

बचतों का विलम्ब से समर्पण/समर्पण में विफलता

- वर्ष के दौरान कुल बचतों का केवल 47.70 प्रतिशत (₹ 19,459 करोड़) समर्पित किया गया था। 113 प्रकरणों में, ₹ 17,330 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक) की बचतें वित्त वर्ष के अंतिम दिवस को समर्पित की गई थी, जिससे इन निधियों की अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु गुंजाइश नहीं बची।

 सभी प्रत्याशित बचतों को समय से समर्पित किया जाना चाहिए ताकि निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सके।

आधिक्य व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है

- पूर्व वर्षों के 38 अनुदानों एवं 20 विनियोगों से संबंधित ₹ 918.09 करोड़ के अधिक व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है।

 2003–04 से लंबित आधिक्य व्यय का नियमितीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

सिविल जमा में रखने के लिए राज्य की समेकित निधि से निधियों का अंतरण

- निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए, 31 मार्च 2016 को आहरित ₹ 54.01 करोड़ की निधियों को राज्य की समेकित निधि से लोक लेखे में

सिविल जमा में अंतरित किया गया था, जिससे राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत उस वर्ष के लिए व्यय बढ़ा हुआ था।

वित्त वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त निधियों का राज्य की समेकित निधि से सिविल जमा में अंतरण के परिणामस्वरुप राज्य का व्यय बढ़ा हुआ बताता है जिससे बचा जाना चाहिए।

अध्याय 3

वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय 3

वित्तीय प्रतिवेदन

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक स्वस्थ आन्तरिक वित्तीय सूचनातंत्र, राज्य सरकार द्वारा दक्ष एवं प्रभावी सुशासन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों के अनुपालन के साथ इन अनुपालनों की समयबद्धता और सूचना की गुणवत्ता की स्थिति अच्छे सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावशाली एवं प्रक्रियात्मक है तो यह राज्य सरकार की मूलभूत प्रबंधन उत्तरदायित्व निभाने के साथ सामरिक महत्व की योजना व निर्णय लेने में भी सहायता करता है। इस अध्याय में वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निदेशों के अनुपालन की स्थिति एवं एक विहंगावलोकन दिया गया है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड–1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदानों के मामले में, जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से सहायता अनुदान देयक आहरित किया जाता है, वह अधिकारी जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके आगामी वर्ष के 30 सितम्बर को या उसके पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे।

2015–16 तक विभिन्न विभागों में सहायता–अनुदान स्वीकृति के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र की स्थिति **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
2013-14 तक	27593	20,630.58
2014-15	02	401.49
2015-16	17	327.21*
योग	**27612**	**21,359.28**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे)

** 31 मार्च 2016 तक दिए गए अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2016 को या इससे पूर्व देय थे सिवाय इसके जहां स्वीकृति आदेश में अन्यथा निर्देश नहीं दिए गए हों।*

जैसा कि उपर्युक्त में देखा गया कि 31 मार्च 2016 को 41 मुख्य शीर्षों से संबंधित कुल राशि ₹ 21,359.28 करोड़ के 27612 उपयोगिता प्रमाण–पत्र बकाया थे। विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है। वृहद् रूप से लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण मुख्य रुप से मुख्य शीर्ष 3604–स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा एवं समनुदेशन (₹ 8,711 करोड़), 2408–खाद्य भंडारण एवं भांडागार (₹ 4,796 करोड़), 2202–सामान्य शिक्षा (₹ 1,928 करोड़), 2501–ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (₹ 1,022 करोड़) एवं 2801–विद्युत (₹ 975 करोड़) से संबंधित था।

3.2 राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखने की स्थिति

राज्य सरकार ने कृषि, गृह निर्माण, श्रम कल्याण, नगरीय विकास इत्यादि क्षेत्रों में अनेक स्वायत्त निकायों की स्थापना की है। राज्य में छह स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। 30 सितम्बर 2016 को लेखापरीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखे भेजना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना तथा विधानमंडल में उनकी प्रस्तुति **तालिका 3.2** में दी गई है।

तालिका 3.2: स्वायत्त निकायों के लेखे प्रस्तुत करने की स्थिति

स. क्र.	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए थे	अवधि जब तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति	लेखों की प्रस्तुति/ अप्रस्तुति में विलंब[1] (माहों में)
1	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3) के तहत सौंपा	2013–14	2012–13	2011–12 (पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 09.12.2015 को रखे गए) वर्ष 2012–13 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए। राज्य विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को रखने की स्थिति के बारे में जानकारी प्रतीक्षित थी।	2013–14 (24) 2014–15 (15) 2015–16 (03)
2	मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	2014–15	2013–14	2013–14 (पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 09.12.2015 को रखे गए)	2013–14 (03) 2014–15 (08)
3	मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	2011–12	2011–12	वर्ष 2003–04 से 2011–12 तक के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए। राज्य विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को रखने की स्थिति के बारे में अनुस्मरण (सितम्बर 2016) के बावजूद जानकारी प्रतीक्षित थी।	2011–12 (23) 2012–13 (39) 2013–14 (27) 2014–15 (15) 2015–16 (03)
4	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	1997–98 से 2012–13	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, से वर्ष 1997–98 से 2012–13 के लेखे अगस्त 2015 में प्राप्त हुए थे जबकि, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लेखे स्थापना से ही प्राप्त नहीं हुए थे।	–	1997–98 (205)से 2012–13 (25) 2013–14 (27) 2014–15 (15)
5	मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास मंडल, भोपाल	राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा सौंपा	2015–16	2014–15	2014–15 (पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 25.07.2016 को रखे गए)	2012–13 (16) 2013–14 (09) 2014–15 (04)
6	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	2015–16	2014–15	2014–15 (पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 09.12.2015 को रखे गए)	-

[1] *विलम्ब की अवधि, लेखा प्राप्ति की नियत दिनांक अर्थात आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 सितम्बर 2016 तक ली गई है।*

जैसा कि **तालिका 3.2** में देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में 205 महीनों तक का अत्यधिक विलंब किया गया था। तथापि जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लेखे अभी भी प्रतीक्षित थे।

राज्य विधानमंडल में पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं लेखों के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप निकायों जिनमें सरकारी निवेश किया जाता है, की कार्यप्रणाली की जाँच में देरी होती है, इसके साथ ही स्वायत्त निकायों में वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलंब होता है।

3.3 दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि की सूचना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड–1 के नियम 22(1) में कहा गया है कि कोई भी लोक धन की हानि, गबन से हो या अन्य किसी कारण से, तत्काल महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिये, चाहे इस हानि को जिम्मेदार पक्षकार द्वारा पूरा कर दिया गया हो।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2016 तक दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के 3099 प्रकरण सूचित किए थे जिनमें ₹ 37.19 करोड़ समाविष्ट था, जिन पर जून 2016 तक अंतिम कार्यवाही लंबित थी। इस राशि में वर्ष 2015–16 के लिए ₹ 4.04 करोड़ (270 प्रकरण) सम्मिलित थे। ₹ 15.52 करोड़ (2501 प्रकरण) एवं ₹ 8.30 करोड़ (11 प्रकरण) के वृहद मात्रा में प्रकरण क्रमशः मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी तथा मुख्य शीर्ष 2054–कोषालय एवं लेखा प्रशासन के वसूली/नियमितीकरण हेतु लंबित थे। 2015–16 के अंत में दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के लंबित प्रकरणों का मुख्य शीर्षवार विवरण तथा उनका अवधिवार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है। मुख्य शीर्षवार और अनियमितता की प्रकृति अनुसार इन प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है। इन परिशिष्टों से उद्भूत लंबित प्रकरणों की अवधिनुसार रूपरेखा के साथ अनियमितताओं की प्रकृति को **तालिका 3.3** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.3: दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरणों की अवधिनुसार रूपरेखा			लंबित प्रकरणों का विवरण		
विस्तार वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि	प्रकरण की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि
0 – 5	672	14.04	चोरी	173	6.47
5 – 10	322	12.23			
10 – 15	321	2.69	दुर्विनियोग/सामग्री की हानि	2926	30.72
15 – 20	389	4.03			
20 – 25	544	2.16			
25 और उससे अधिक	851	2.04			
योग	**3099**	**37.19**	**योग**	**3099**	**37.19**

आगे विश्लेषण से प्रकट हुआ कि जिन कारणों से प्रकरण बकाया थे उनको **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: दुर्विनियोग, हानि, गबन इत्यादि के बकाया प्रकरणों के कारण

(₹ करोड़ में)

विलंब/बकाया प्रकरणों के कारण		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	विभागीय एवं आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित	12	0.37
(ii)	विभागीय कार्यवाही प्रारंभ परंतु अंतिम रूप नहीं दिया	15	0.75
(iii)	आपराधिक कार्यवाही जिसे अंतिम रूप दिया गया लेकिन राशि की वसूली के लिए प्रमाण पत्र प्रकरणों का निष्पादन लंबित था	04	0.17
(iv)	वसूली अथवा अपलेखन हेतु आदेश प्रतीक्षित	2991	26.86
(v)	न्यायालयों में लंबित	77	9.04
योग		**3099**	**37.19**

इस प्रकार, ₹ 37.19 करोड़ के 3099 प्रकरणों में से ₹ 10.92 करोड़ के 2105 प्रकरण (68 प्रतिशत) 10 वर्ष से अधिक लंबित थे। 2991 प्रकरणों (97 प्रतिशत) में वसूली अथवा अपलेखन के आदेश प्रतिक्षित थे।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि, संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015–16 के दौरान राशि ₹ 63.21 लाख के हानि के 127 प्रकरणों का अपलेखन किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया है। 2015–16 के दौरान 388 प्रकरणों से संबंधित राशि ₹ 53.07 लाख की वसूली की जाकर शासकीय खाते में जमा करा दी गई थी। विवरण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है।

नागरिक विमानन विभाग के भंडार में कमी के कारण हानि

विमानन विभाग की अधिसूचना (जनवरी 2000) की कंडिका 6(3) के अनुसार पुर्जों के क्रय, स्टॉक इत्यादि की खरीद का भौतिक सत्यापन वर्ष में दो बार किया जाएगा एवं सत्यापन दल में कोष एवं लेखा सेवा संचालनालय में पदस्थ अधिकारी नामांकित होंगे। आगे, मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 135 (ii) (ब) के अनुसार कम पाई गई वस्तु स्टॉक लेखा में निरंतर बनी रहेगी जब तक कि हानि का समायोजन या तो वसूली द्वारा या अपलेखन स्वीकृत न हो जाए।

संचालनालय, नागरिक विमानन, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2016) के दौरान यह देखा गया कि, फरवरी 2015 में इसकी तकनीकी शाखा के भौतिक सत्यापन के दौरान राशि ₹ 1.22 करोड़ के 15 आयटम्स की कमी पाई गई थी। जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दर्शाया गया है। आगे, जाँच में प्रकट हुआ कि गुम हुए उपकरण एयरक्राफ्ट/हेलिकॉप्टर के पुर्जे थे। इस कमी में स्थानीय बाजार से अधिप्राप्त किए गए ₹ 9.64 लाख के उपकरण भी सम्मिलित थे, यद्यपि स्थानीय बाजार से ऐसी अधिप्राप्ति वर्जित थी। तथापि, जिम्मेदारी निर्धारित करने एवं वसूली या अपलेखन द्वारा भंडार का समायोजन करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर संचालनालय ने उत्तर (जून 2016) दिया कि, सघन जांच के पश्चात जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, विभाग ने एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी।

3.4 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की प्रस्तुति में विलंब

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग–1 के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि वर्तमान माह के प्रथम दिवस से पूर्व उनके द्वारा आहरित समस्त आकस्मिक प्रभारों के लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को प्रतिहस्ताक्षर के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषण हेतु अग्रेषित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 327 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को मासिक विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नियंत्रण अधिकारी को आगामी महीने की पांच तारीख तक प्रस्तुत कर देने चाहिए। नियंत्रण अधिकारी को पारित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक महालेखाकार को प्रस्तुत करना होता है, ताकि ये देयक महालेखाकार कार्यालय में उसी महीने की 25 तारीख तक प्राप्त हो जाए। तथापि, वित्त विभाग के अनुदेश (जुलाई 2011) द्वारा सभी विभागों के लिए संक्षिप्त आकस्मिक देयकों से आहरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हमने देखा कि मार्च 2016 के अन्त तक ₹ 7.59 करोड़ के 19 विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक लंबित थे, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत राज्य शिष्टाचार अधिकारी, भोपाल द्वारा आहरित किए गए थे। इन आहरणों के प्रकरण न्यायालय में निर्णय के लिए लंबित था। प्रकरण माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 13.03.2012 को बंद कर दिया गया था, तथापि ये संक्षिप्त आकस्मिक देयक समायोजन हेतु प्रतिक्षित थे। विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को प्रस्तुत करने में हुआ वर्षवार विलंब **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की संख्या	राशि
2004-05	11	4.60
2005-06	05	2.74
2006-07	03	0.25
योग	**19**	**7.59**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे)

3.5 विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी उनके द्वारा संधारित किये गये लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों से मिलान और गलत वर्गीकरण को पहचान कर एवं ठीक करवाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

हमने देखा कि 2015–16 के दौरान कुल व्यय ₹ 1,19,766 करोड़ (लोक ऋण की अदायगियों को छोड़कर) के विरूद्ध दिनांक 31 मार्च 2016 तक सभी 117 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 64,790 करोड़ (54.10 प्रतिशत) का आंशिक मिलान किया गया था।

इसके अतिरिक्त, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित आंकड़ों से सरकार की प्राप्तियों का मिलान करने की आवश्यकता होती है। वर्ष 2015–16 के दौरान सभी 117 बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा "लोक ऋण" के अंतर्गत प्राप्तियों को छोड़कर कुल प्राप्तियॉ ₹ 1,05,701 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1,118 करोड़ (1.06 प्रतिशत) का आंशिक मिलान किया गया।

नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय और प्राप्तियों के मिलान में असफल होने से वित्तीय प्रबंधन में कमी दर्शित हुई। यद्यपि विभागीय आंकड़ों के मिलान न किए जाने के बारे में हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उल्लेख किया गया है तथापि 2015–16 के दौरान इस विषय में नियंत्रण अधिकारियों की ओर से चूक करना निरन्तर रूप से जारी रहा।

3.6 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 53 (4) के अनुसार, अस्थायी अग्रिमों का समायोजन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए एवं समायोजन में किसी भी स्थिति में तीन माह से अधिक विलंब नहीं किया जाना चाहिए। वित्त विभाग के निर्देश (अक्टूबर 2001), के अनुसार शासकीय कर्मचारियों द्वारा यात्रा या आकस्मिक व्यय हेतु लिए गए अस्थायी अग्रिमों का समायोजन अग्रिम लेने की दिनांक से तीन माह के अन्दर या वित्त वर्ष के अंत तक, जो भी पहले हो, तक कर लिया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर गलती करने वाले कर्मचारी/अधिकारी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सावधि जमा पर ब्याज की दर के अनुसार ब्याज अधिरोपित किया जाना चाहिए।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी (उपलब्ध सीमा तक) से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2016 तक 12 विभागों[2] में कुल ₹ 8.39 करोड़ के 2552 प्रकरण, अभिलेखों में समायोजन हेतु लंबित थे। हमने देखा कि, सामान्य प्रशासन विभाग (₹ 5.65 करोड़) तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास (₹ 1.62 करोड़) से संबंधित अस्थाई अग्रिम (एक करोड़ से अधिक) वृहद् संख्या में लंबित थे। जो समायोजन के लिए लंबित थे।

विभागों द्वारा अस्थायी अग्रिमों का समायोजन नहीं किए जाने के कारण सूचित नहीं किए थे। लंबित अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6: मार्च 2016 तक लंबित अग्रिम प्रकरणों का अवधिवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लंबित	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	10 वर्ष से अधिक	647	0.47
2	5 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक	380	0.27
3	एक वर्ष से अधिक एवं पाँच वर्ष तक	488	6.03
4	एक वर्ष तक	1037	1.62
योग		**2552**	**8.39**

(स्रोतः विभागों द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

[2] *(1) वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगारः ₹ 1.18 लाख, (2) शिक्षाः ₹ 7.24 लाख, (3) किसान कल्याण तथा कृषि विकासः ₹ 161.65 लाख, (4) मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकासः ₹ 1.53 लाख, (5) सामान्य प्रशासन (निर्वाचन): ₹ 564.79 लाख, (6) उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करणः ₹ 78.48 लाख, (7) गृह (लोक अभियोजन): ₹ 0.20 लाख, (8) जेलः ₹ 1.44 लाख, (9) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरणः ₹ 3.35 लाख, (10) पंचायत एवं ग्रामीण विकासः ₹ 3.20 लाख, (11) आदिम जाति कल्याणः ₹ 0.04 लाख, (12) जल संसाधन विभागः ₹ 15.64 लाख*

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि 25 प्रतिशत प्रकरण (संख्या 647) दस वर्ष से अधिक पुराने थे एवं इस तरह, उनकी वसूली की संभावना बहुत कम प्रतीत होती है।

अग्रिमों की वसूली न होने से संबंधित विभागों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की कमी दर्शित हुई।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

3.7 शासकीय लेखों में अपारदर्शिता

चूंकि अधिकतर शासकीय गतिविधियां महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी केन्द्र व राज्य के मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष की सूची में स्पष्ट वर्णित है एवं मध्य प्रदेश बजट नियमावली के पैरा 8.3.5(VI) के अनुसार भी बजट नियंत्रण अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि लघुशीर्ष '800–अन्य प्राप्तियां/व्यय' का संचालन कम से कम हो।

वित्त लेखे 2015–16 की जांच में पाया गया कि ₹ 17,699.83 करोड़ का व्यय जो राजस्व एवं पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 1,16,606.17 करोड़ का 15.15 प्रतिशत था, को लघुशीर्ष '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

हमने यह भी देखा कि लेखों के 37 मुख्य शीर्षों (राजस्व एवं पूंजीगत) के अंतर्गत, राशि ₹ 16,148.78 करोड़ के अधिकतर भाग (10 प्रतिशत या अधिक) जो इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत को कुल व्यय ₹ 29,942.10 करोड़ का 53.93 प्रतिशत था, को लेखों के लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। यह व्यय संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय के 11 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में विस्तृत किया गया है।

इसी तरह ₹ 11,890.88 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,05,510.60 करोड़) का 11.27 प्रतिशत संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज की गईं थी, लघुशीर्ष '800–अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत की गईं थी। लेखों के 30 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, राशि ₹ 11,747.50 करोड़ के अधिकतर भाग (10 प्रतिशत या अधिक) जो इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 19,477.79 करोड़) के 60.31 प्रतिशत थे, को लघुशीर्ष '800–अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इन प्रकरणों में लघुशीर्ष '800–अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत दर्ज लेन देन संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों के 10 से 100 प्रतिशत के मध्य थी। विवरण **परिशिष्ट 3.8** में दिया गया है।

लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियां' एवं '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज की गई वृहद् राशियां वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं क्योंकि इससे लेखों में सरकार की विभिन्न गतिविधियों पर विखण्डित जानकारी पृथक से प्राप्त नहीं हो पाती है।

3.8 पूर्व वर्षों के दायित्वों का भुगतान आगामी वर्षों के बजट से किया जाना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 283 के अनुसार वास्तविक रुप से किए गए समस्त भारों का अविलंब आहरण तथा भुगतान किया जाना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में अगले वर्ष के अनुदान से भुगतान के लिए अनुमति नहीं होनी चाहिए। जहां तक संभव हो, व्यय को नए बजट की स्वीकृति प्राप्त होने तक के लिए स्थगित किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह एक वर्ष के भार को दूसरे वर्ष के अनुदान के लिए छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक (रेडियो), भोपाल (जुलाई 2016) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विभाग ने वित्त वर्ष 2015–16 में सिंहस्थ 2016 के लिए सात फर्मों से राशि ₹ 36.94 करोड़ कीमत के सीसीटीवी एवं डिजीटल रेडियो ट्रेकिंग सिस्टम (टर्नकी आधार पर), डाटा सिमें तथा अन्य उपकरण खरीदे। तथापि, बजट की उपलब्धता के बावजूद वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान संबंधित फर्मों को शेष राशि ₹ 28.29 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया **(परिशिष्ट 3.9)**। इस प्रकार एक वर्ष में किए गए व्यय को दूसरे वर्ष के अनुदान के लिए छोड़ दिया गया था जो कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 283 का उल्लंघन था।

विभाग ने उत्तर दिया कि बजट आवंटन की अनुपलब्धता के कारण लंबित देयक पास नहीं किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को सिंहस्थ 2016 के लिए ₹ 36.32 करोड़ का आवंटन किया गया था, जिसमें से विभाग द्वारा केवल ₹ 9.99 करोड़ का व्यय किया गया था एवं विभाग के पास ₹ 26.33 करोड़ शेष था।

प्रकरण सरकार (अगस्त 2016) को संदर्भित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त (नवम्बर 2016) नहीं हुआ था। तथापि निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा।

3.9 बैंक खातों का अनियमित संधारण

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 6 एवं मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 284 के अनुसार तत्काल आवश्यकता न होने पर राज्य की समेकित निधि से निधियों का आहरण पूर्णतः प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 9 के अनुसार सरकार की विशेष अनुमति को छोड़कर शासकीय सेवक राज्य की संचित निधि और लोक खाते से आहरित धनराशि बैंक में जमा नहीं कर सकता है। वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश (फरवरी 2009) के अनुसार शासकीय कार्यालय द्वारा जिनमें विभिन्न योजनाओं के लिए कोषालय से निधियों का आहरण किया गया एवं बैंक खाते, जो कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गए थे, में जमा कर दिया गया था, इन बैंक खातों से धन को तत्काल निकाला जाए एवं शासकीय खातों में जमा किया जाए।

जहां शासकीय धन को बैंक खातों में रखा जा रहा था, कि जांच करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार के सभी विभागों के विभागीय प्राधिकारियों से बैंक खातों में जमा निधियों की जानकारी मांगी गयी थी। 35 विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन विभागों के विभागीय अधिकारियों द्वारा बैंक खातों में जमा के कोई प्रकरण नहीं थे। 12 विभागों से जानकारी प्रतीक्षित थी (नवम्बर 2016)।

छः विभागों[3] के प्रकरणों में, ₹ 28.25 करोड़ समेकित निधि से आहरित किए गए थे जो कि 31 मार्च 2016 को 40 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा संचालित किए जा रहे 51 बैंक खातों में जमा कराए गए थे। वित्त विभाग के निर्देशानुसार इन खातों में रखी गई राशि को आहरित कर शासकीय खातों में जमा किया जाना चाहिए था लेकिन इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। इन 40 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में शेषों का विवरण **परिशिष्ट 3.10** में दर्शाया गया है।

कार्यालय उप संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, सतना[4] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (जून 2016) में प्रकट हुआ कि उप संचालक, ने अप्रैल 2012 से जनवरी

[3] *(1) वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, (2) उच्च शिक्षा, (3) वित्त विभाग, (4) मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, (5) गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास, (6) उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण*

[4] *परिशिष्ट 3.10 में उल्लेखित 40 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में शामिल*

2014 के दौरान आदिवासी उप योजना क्षेत्र के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत हितग्राहियों को भुगतान के लिए कोषालय से ₹ 21.75 लाख[5] का आहरण किया एवं इस राशि को अपने बैंक खाते में जमा कर दिया था तथापि यह राशि अप्रयुक्त रही।

इस ओर इंगित किए जाने पर, उप संचालक ने उत्तर (जून 2016) दिया कि चूंकि हितग्राही किसानों का चयन पूर्व में नहीं किया गया था एवं बजट व्यपगत हो रहा था। अतः उक्त राशि कोषालय से आहरित कर बैंक खाते में जमा की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियों को बैंक में जमा करने हेतु वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त बिना तत्काल आवश्यकता के निधियों का आहरण तथा निधियों को बैंक में जमा करना मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग के निर्देशों का उल्लंघन था।

उक्त प्रकरण सरकार (मई 2016) को संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2016) था।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इस संबंध में सभी विभागों को पूर्व में निर्देश जारी कर दिए गए थे। तथापि विशिष्ट प्रकरणों को संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जाएगा।

3.10 निकायों एवं प्राधिकरणों को दिए गए अनुदान या ऋण के विवरणों का प्रस्तुतीकरण

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत जिन निकायों या प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की जानी है उनको पहचानने के लिए, सरकार/विभागाध्यक्षों को विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, जिस उद्देश्य के लिए सहायता प्रदान की गई और संस्थानों के कुल व्यय की विस्तृत जानकारी प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा, विनियम 2007 उपबंधित करता है कि सरकार एवं विभागाध्यक्ष, जिन निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान एवं/या ऋण संस्वीकृत करते हैं, वे प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में, उन निकायों एवं प्राधिकरणों जिनको पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान एवं/या ऋण का भुगतान किया था, का विवरण पत्र, जिसमें (अ) सहायता की राशि (ब) जिस उद्देश्य के लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी (स) निकाय या प्राधिकरण का कुल व्यय दर्शित हो, लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

वर्ष 2015–16 के दौरान, विभिन्न संस्थानों को वित्तीय सहायता के संबंध में केवल छह निकायों[6] से जानकारी प्राप्त हुई थी। सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता पर पूर्ण जानकारी के अभाव में विधानमंडल/सरकार को, अनुदान के उपयोग के संबंध में जिसके लिए अनुदान स्वीकृत/भुगतान किया गया था, उचित आश्वासन नहीं दिया गया था। यह शासकीय व्यय पद्धति पर विधानमंडल के नियंत्रण को कमजोर बनाता है।

प्रकरण को वित्त विभाग को मई 2016 में भेजा गया। नवम्बर 2016 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

[5] *(1) ₹ 1.75 लाख (अप्रैल 2012), (2) ₹ 15.00 लाख (अक्टूबर 2013), (3) ₹ 5.00 लाख (जनवरी 2014)*

[6] *(1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारत भवन न्यास (ट्रस्ट), भोपाल, (2) संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, निकाय एवं प्राधिकारण को जारी अनुदान, (3) कस्तूरबा वनवासी कन्या आश्रम निवाली, बड़वानी, (4) मध्य प्रदेश वनवासी सेवा मंडल, मंडला, (5)परियोजना प्रशासक/सचिव, विशेष पिछड़ी जाति बैगा विकास अभिकरण, डिण्डौरी, (6) राज्य स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)*

3.11 व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण

व्यक्तिगत जमा खाते वे जमा खाते हैं जो कि, प्रशासक के नाम से कोषालय में खोले जाते हैं। राशि को 8443–सिविल जमा 106–व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत रखा जाता है। इन खातों को वित्त विभाग के अनुमोदन से खोला जा सकता है। वर्तमान नियमानुसार महालेखाकार की सहमति आवश्यक नहीं है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 543 एवं 584 से 590 के प्रावधानों के अनुसार जो कि व्यक्तिगत जमा खाते के संधारण से संबंधित है, ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते जो राज्य की समेकित निधि से विकलन कर खोले जाते हैं, उनको वित्त वर्ष की समाप्ति पर संबंद्ध सेवा शीर्ष को ऋणात्मक नामे डालकर बंद कर देना चाहिए। वित्त विभाग के फरवरी 2010 के अनुदेशों के अनुसार, यदि अगले वर्ष व्यक्तिगत जमा खाते खोलना आवश्यक है तो सामान्य प्रक्रिया से खोले जा सकते हैं। व्यक्तिगत जमा खाते जो लगातार तीन वर्ष से अप्रचलित हैं उन्हें कोषालय अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक को सूचना देकर बंद कर देना चाहिए एवं शेष राशि को राजस्व जमा के रूप में शासकीय खाते में अंतरित करने की कार्रवाई प्रारम्भ कर देनी चाहिए।

व्यक्तिगत जमा खातों की समग्र स्थिति

31 मार्च 2016 की स्थिति में खुले रहे व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति का **तालिका 3.7** में विस्तृत विवरण है।

तालिका 3.7: 31 मार्च 2016 को व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान जमा		वर्ष के दौरान बंद किए गए		अंतशेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
802	2,704.45	45	2,356.97	61	1,829.50	786*	3,231.92

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे)

**शासकीयः 783, अर्द्धशासकीयः 3, इसमें से ₹ 48.66 करोड़ के 414 व्यक्तिगत जमा खाते एक वर्ष से अधिक अवधि से अप्रचलित रहे*

व्यक्तिगत जमा खातों के अंतिम शेष से प्रकट हुआ कि प्रशासकों ने नियमानुसार वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को सुसंगत सेवा शीर्षों को ऋण नामे में डालकर बंद नहीं किया। चूंकि राज्य की समेकित निधि से व्यक्तिगत जमा खातों में अंतरित राशि को अंतिम व्यय के रूप मे दर्शाया जाता है, वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करने में असफल होने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान समेकित निधि के अंतर्गत व्यय बढ़ा हुआ होता है।

लेखापरीक्षा में पाँच व्यक्तिगत जमा खातों[7] के प्रशासकों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2014 एवं मई से अगस्त 2016) की गई थी। जानकारी में आई अभ्युक्तियों की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गई हैः

प्रशासक द्वारा निधियों को व्यक्तिगत जमा खाते के स्थान पर बैंक खाते में रखना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 6 एवं मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 284 के अनुसार बिना तत्काल आवश्यकता के राज्य की समेकित निधि से निधियों का आहरण पूर्णतः निषिद्ध है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 9 के अनुसार एक शासकीय सेवक सरकार की विशेष अनुमति को छोड़कर, राज्य के लोक

[7] *(1) जिलाधीश, खरगौन, (2) आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल, (3) संचालक, उद्यान एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल, (4) वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, कटनी, (5) परियोजना अधिकारी, सघन फलोद्यान विकास योजना, बैतूल*

लेखे एवं राज्य की समेकित निधि से आहरित धनराशि को बैंक में जमा नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन ने निर्देश (अगस्त 2005) दिए कि भूमि अधिग्रहण के लिए बैंक खातों में रखी गई निधियों को आहरित किया जाकर व्यक्तिगत जमा खाते में जमा किया जाना चाहिए।

कार्यालय जिलाधीश, खरगौन (नवम्बर 2014) के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि ओंकारेश्वर/महेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत डूब प्रभावित शासकीय/सार्वजनिक/धार्मिक स्थानों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु राशि ₹ 1.92 करोड़[8] प्राप्त हुए थे जिसे जिलाधीश, खरगौन के नाम से भारतीय स्टेट बैंक के ब्याज देने वाले खाते (संख्या 53022455961) में जमा किया गया था जबकि इस राशि को वित्त विभाग (अगस्त 2005) द्वारा जारी निर्देश के अनुसार व्यक्तिगत जमा खाते में रखा जाना चाहिए था।

आगे जांच में प्रकट हुआ कि जिलाधीश, खरगौन ने बैंक खाते से राशि ₹ 1.22 करोड़ व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 31 (दिसम्बर 2015) जिला कोषालय, खरगौन में अंतरित किए थे एवं ₹ 0.61 करोड़ चैक के माध्यम से हितग्राहियों को जारी किए गए थे। शेष राशि ₹ 9.37 लाख अभी भी बैंक खाते में पड़े हुए थे।

इस ओर इंगित किए जाने पर जिलाधीश, खरगौन ने उत्तर (नवम्बर 2016) दिया कि राशि ₹ 9.37 लाख मंदिर की कृषि भूमि के भूमि अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति से संबंधित थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि अधिग्रहण से संबंधित धनराशि को व्यक्तिगत जमा खाते में जमा कराया जाना चाहिए था न कि बैंक खाते में।

प्रकरण सरकार (फरवरी 2015) को संदर्भित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त (नवम्बर 2016) नहीं हुआ था।

व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करने के लिए वित्त विभाग के निर्देश का अनुपालन करने में असफलता

वित्त विभाग ने व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 54 एवं 05 (जैसा कि **तालिका 3.8** में विवरण दिया गया है) को दिनांक 26 मार्च 2016 के पहले बंद करने एवं इन व्यक्तिगत जमा खातों में जमा निधियों को राज्य की समेकित निधि में अंतरित करने के निर्देश (मार्च 2016) जारी किए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन व्यक्तिगत जमा खातों के प्रशासकों ने वित्त विभाग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया था।

तालिका 3.8: व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण जिन्हे वित्त विभाग के निर्देशानुसार बंद किया जाना था

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक का नाम	व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक	31 मार्च 2016 को शेष
1	संचालक, उद्यान एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल	54	3.77
2	वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कटनी	05	2.44
योग			**6.21**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

[8] *(1) जिलाधीश (धर्मस्व शाखा), खरगौनः ₹ 61.16 लाख (10/2010), (2) भू–अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगौनः ₹ 9.37 लाख (07/2010), (3) भू–अर्जन अधिकारी, महेश्वर हाइडल विद्युत परियोजना, खरगौनः ₹ 56.18 लाख (12/2010), (4) भू–अर्जन अधिकारी, महेश्वर हाइडल विद्युत परियोजना, खरगौनः ₹ 41.97 लाख (01/2011), (5) भू–अर्जन अधिकारी, महेश्वर हाइडल विद्युत परियोजना, खरगौनः ₹ 23.70 लाख (05/2011)*

- वित्त विभाग के निर्देशों के बावजूद, संचालक, उद्यान एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल ने न तो व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 54 में पड़े हुए राशि ₹ 3.77 करोड़ राज्य की समेकित निधि में अंतरित किए और न ही व्यक्तिगत जमा खाता बंद किया गया था। वित्त वर्ष 2015–16 के लिए इस व्यक्तिगत जमा खाते को निरन्तर बनाए रखने की अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई थी।

 इस ओर इंगित किए जाने पर, संचालक, उद्यान एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल ने उत्तर दिया कि अव्ययित राशि विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं से संबंधित थी जिसका भुगतान किया जाना था। इसलिए व्यक्तिगत जमा खाते को बंद नहीं किया गया था। व्यक्तिगत जमा खाते को निरन्तर बनाए रखने के लिए अनुमति प्राप्त की जा रही थी।

 उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, विभाग ने वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया था।

- वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कटनी द्वारा फरवरी 2013 से संचालित व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 05 में कोई भी लेनदेन नहीं किया गया था। प्रशासक की रोकड़ बही के अनुसार, मार्च 2016 तक व्यक्तिगत जमा खाते में ₹ 2.44 करोड़ का अंतिम शेष था, जबकि कोषालय के अनुसार खाते में ₹ 2.98 करोड़ थे। कोषालय एवं प्रशासकों के मध्य ₹ 0.54 करोड़ का अंतर दर्शाता है कि प्रशासक ने कोषालय से आंकडों का मिलान नहीं किया था। साथ ही प्रशासक व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करने एवं व्यक्तिगत जमा खाते की निधियों को राज्य की समेकित निधि में अंतरित करने के वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश (मार्च 2016) के अनुपालन में असफल रहे।

 इस ओर इंगित किए जाने पर वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कटनी ने उत्तर (जून 2016) दिया कि कोषालय से व्यक्तिगत जमा खाते को बंद करने एवं निधियों को राज्य की समेकित निधि में अंतरित करने का अनुरोध (जून 2016) किया गया था।

 तथ्य यह है कि कोषालय से व्यक्तिगत जमा खाता को जून 2016 में बंद करने हेतु अनुरोध किया गया था जबकि वित्त विभाग के अनुदेश के अनुसार इस खाते को 26 मार्च 2016 तक बंद कर दिया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, प्रशासक द्वारा कोषालय से आंकड़ों का मिलान नहीं किया गया था।

असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों में उपलब्ध निधियों को शासकीय खाते में अंतरित करने में असफलता

मार्च 2016 की स्थिति में तीन वर्ष से अधिक से, असंचालित दो व्यक्तिगत जमा खातों की नमूना जांच की गई जिनमें ₹ 12.68 करोड़ शेष था। विवरण **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9: असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक का नाम	व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक	असंचालन की तिथि	31 मार्च 2016 को शेष
1	परियोजना अधिकारी, सघन फलोद्यान विकास योजना, बैतूल	54	मार्च 2010	1.80
2	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल	26	अगस्त 2008	10.88
योग				**12.68**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

उपर्युक्त व्यक्तिगत जमा खातों का विश्लेषण करते समय, निम्नलिखित अभियुक्तियां पायी गयीः

- ग्रामीण हाट बाजार योजना के अंतर्गत परियोजना अधिकारी, सघन फलोद्यान विकास योजना, बैतूल के नाम से व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 54 में राशि ₹ 1.80 करोड़ जमा (मार्च 2010) कराए गए थे, जो कि वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक अव्ययित रहे। चूंकि विभाग ने वित्त विभाग से व्यक्तिगत जमा खाते को निरन्तर रखने की अनुमति प्राप्त नहीं की थी, अव्ययित राशि को शासकीय खाते में अंतरित कर इस व्यक्तिगत जमा खाते को बंद कर देना चाहिए था लेकिन प्रशासक द्वारा ऐसा नहीं किया गया था।

 इस ओर इंगित किए जाने पर परियोजना अधिकारी, सघन फलोद्यान विकास योजना, बैतूल ने उत्तर (मई 2016) दिया कि व्यक्तिगत जमा खाते को निरन्तर बनाए रखने की अनुमति के अभाव में व्यक्तिगत जमा खाते में जमा निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

 विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि व्यक्तिगत जमा खाता पिछले तीन वर्षों से असंचालित था लेकिन न तो खाते को बंद किया गया और न ही राशि को शासकीय खाते में अंतरित किया गया जो कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन था।

- राज्य में स्वास्थ्य भवनों (उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) के निर्माण के उद्देश्य से आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल के द्वारा व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 26 संचालित (2003) किया जा रहा था। यह देखा गया कि व्यक्तिगत जमा खाते की रोकड़ बही का रखरखाव निर्धारित प्रपत्र में नहीं किया गया। मार्च 2016 को कोषालय के अभिलेखों के अनुसार, व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 26 में दिनांक 05.08.2008 से ₹ 10.88 करोड़ का शेष अप्रयुक्त पड़ा हुआ था।

 इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक ने कोषालय से आंकड़ो के शेष का मिलान नहीं किया था। लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि मार्च 2016 को ₹ 2.20 करोड़ (कोषालय आंकड़ेः ₹ 10.88 करोड़ एवं रोकड़ बही आंकड़ेः ₹ 8.68 करोड़) का असंगत अंतर था।

 इस ओर इंगित किए जाने पर, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल ने उत्तर (अगस्त 2016) दिया कि कोषालय अधिकारी, भोपाल से इस व्यक्तिगत जमा खाते को बंद करने एवं इसकी राशि शासकीय खाते में अंतरित करने का अनुरोध किया गया था। तथापि तथ्य यह है कि व्यक्तिगत जमा खाते को अभी तक बंद नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इन प्रकरणों को संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जाएगा।

3.12 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

अनुदानों के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दी गयी राशि ₹ 21,359.28 करोड़ के सहायता अनुदानों के संबंध में 31 मार्च 2016 को उपयोगिता प्रमाण–पत्र (27612) बकाया थे जो संबंधित विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमी को दर्शाता है।

 संगठनों, जिनको अनुदान जारी किए गए थे, द्वारा समय से उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण पर निगरानी रखने के लिए सरकार के विभागों के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है।

स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

- पांच स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब (205 महीनों तक) हुआ, परिणामस्वरुप स्वायत्त निकायों की कार्यपद्धति की संवीक्षा में देरी हुई।

 सरकार को स्वायत्त निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को लेखों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

दुर्विनियोग, हानियाँ एवं गबन के प्रकरण

- 30 जून 2016 को विभिन्न विभागों में राशि ₹ 37.19 करोड़ के दुर्विनियोग, हानियों इत्यादि के कुल 3099 प्रकरण लंबित थे। 2991 प्रकरणों (97 प्रतिशत) में वसूली या अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित थे।

 सरकार को दुर्विनियोग, हानियों इत्यादि के प्रकरणों में शीघ्रता से जांच एवं ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।

बहुप्रयोजन लघुशीर्ष '800' का संचालन

- लघुशीर्ष '800–अन्य प्राप्तियां/व्यय' के अंतर्गत दर्ज की गईं वृहद् राशियों (राजस्व एवं पूंजीगत व्यय मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 17,669.83 करोड़ एवं राजस्व प्राप्तियों मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 11,890.88 करोड़) के वर्गीकरण ने वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता को प्रभावित किया।

 सरकार को लघुशीर्ष–'800' के सामान्य संचालन को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बना देता है।

बैंक खातों का अनियमित रखरखाव

- छः विभागों में 31 मार्च 2016 की स्थिति में राज्य की समेकित निधि से राशि ₹ 28.25 करोड़ आहरित कर 51 बैंक खातों में रखी गई थी।

 राज्य की समेकित निधि से बाहर कर एवं विभिन्न बैंक खातों में रखी गई राशि को सरकार द्वारा शासकीय खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

व्यक्तिगत जमा खातों में रखी गई निधियां

- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत जमा खाते, बिना वित्त विभाग के अनुमोदन के, वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी जारी रहे थे। मार्च 2016 की समाप्ति तक व्यक्तिगत जमा खातों में कुल राशि ₹ 3,231.92 करोड़ का अत्यधिक अंतिम शेष था। वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को बन्द करने में असफल होने के परिणामस्वरुप वर्ष के दौरान समेकित निधि के अंतर्गत व्यय को बढ़ा हुआ बताया गया।

 विभागों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करना सुनिश्चित करना चाहिए एवं शेष को राज्य की समेकित निधि में अंतरित किया जाना चाहिए।

(सौरभ के. मल्लिक)
महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

ग्वालियर
दिनांकः 23 जनवरी 2017

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 24 जनवरी 2017

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)
(संदर्भः कंडिकाएं राज्य की रूपरेखा, 1.3 एवं 1.7.2; पृष्ठ 1, 11 एवं 31)

क.	सामान्य आंकड़े			
स.क्र.	विवरण			आंकड़े
1	क्षेत्र			308245 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या			
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार		6.03 करोड़
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार		7.26 करोड़
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)		196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
	ख.	जनसंख्या[1] का घनत्व (2011 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)		236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
4	गरीबी रेखा[2] से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 29.50%)			44.30 प्रतिशत
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8%)		69.69 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00%)		69.32 प्रतिशत
6	*शिशु मृत्यु दर[2] (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत =39 प्रति 1000 जीवित बच्चे)			52 प्रति 1000 जीवित बच्चे
7	**जन्म के समय जीवित रहने की आशा (अखिल भारतीय औसत = 67.50 वर्ष)			63.30 वर्ष
8	***जिनी कोएफीशियेन्ट[3]			
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय औसत = 0.29)		0.29
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय औसत = 0.38)		0.36
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2015–16 चालू मूल्य पर			₹ 565053 करोड़
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2006–07 से 2015–16)		मध्य प्रदेश	14.52 प्रतिशत
			सामान्य संवर्ग के राज्य	14.27 प्रतिशत
11	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर[4] (2006–07 से 2015–16)		मध्य प्रदेश	16.35 प्रतिशत
			सामान्य संवर्ग के राज्य	15.75 प्रतिशत
12	जनसंख्या वृद्धि दर[5] (2006–07 से 2015–16)		मध्य प्रदेश	15.38 प्रतिशत
			सामान्य संवर्ग के राज्य	12.24 प्रतिशत

ख. वित्तीय आंकड़े							
विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)					
संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर		2006–07 से 2014–15		2011–12 से 2014–15		2014–15 से 2015–16	
		सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश	सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश	सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश
क.	राजस्व प्राप्तियों के	14.74	16.74	13.40	12.29	15.00	19.03
ख.	स्वंय के कर राजस्व के	15.08	16.92	12.55	10.67	13.28	9.97
ग.	करेत्तर राजस्व के	10.20	18.56	13.09	11.51	6.00	-17.41
घ.	कुल व्यय के	16.71	17.96	15.52	11.27	16.42	12.15
ड़.	पूंजीगत व्यय के	13.21	10.96	16.78	9.47	25.80	41.73
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय के	17.08	20.40	12.98	18.25	12.17	5.14
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के	18.70	20.60	18.42	22.97	13.44	15.64
ज.	वेतन एवं मजदूरी के	15.49	15.45	10.61	12.32	9.95	2.79
झ.	पेन्शन के	18.59	18.55	12.67	15.91	11.79	14.38

स्रोतः वित्तीय आँकडे वित्त लेखे पर आधारित है

* सितम्बर 2014 का एस.आर.एस. बुलेटिन ** आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16 *** जिनी कोएफीशियेन्ट जनसंख्या में आय वितरण की असमानता का माप है। मूल्य दर शून्य से एक तक है, शून्य के निकट मूल्य कम असमानता को दर्शित करता है। (2009–10 के लिये उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों को अंगीकृत किया गया है)

[1] *अंतिम कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार*

[2] *गरीबी को मापने के लिए क्रियाविधि की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) की रिपोर्ट, योजना आयोग (जून 2014)*

[3] *http://planningcommission.nic.in/data//datatable/data 2312/DatabookDec2014%20106.*

[4] *CSO (http://mospi.nic.in/Mospi_New/site/inner.aspx?status=3&menu_id=82)*

[5] *भारत एवं राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2001–2026 (पुनरीक्षित दिसम्बर 2006) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट तालिका 14 (1 अक्टूबर 2001–2026 को लिंग अनुसार कुल आबादी का प्रक्षेपण)*

परिशिष्ट 1.2
भाग–क
सरकारी लेखों की संरचना
(संदर्भः कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है यथा–समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा।

भाग I समेकित निधिः राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ एक समेकित निधि का निर्माण करती है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की समेकित निधि" नाम से जाना जाता है।

भाग II आकस्मिकता निधिः संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि अग्रदाय प्रकृति की होती हैं जो विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अनवेक्षित व्यय करने के लिये अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती हैं। बाद में इस प्रकार के व्यय हेतु तथा समतुल्य राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III लोक लेखाः प्राप्ति एवं संवितरण से संबंधित कुछ लेन–देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते है, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते है और राज्य विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

वित्त लेखों की रूपरेखा 2015–16

वित्त लेखे दो भागों में तैयार किये जाते है जिसके भाग–1 में सरकार के संक्षिप्त वित्तीय विवरण है और भाग–2 में इनके विस्तृत विवरण दिए गए है। रूपरेखा का विवरण नीचे दिया गया है। आगे, भाग–2 में मुख्य शीर्षवार वेतन एवं राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय, राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता एवं सहायता अनुदान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें, आयोजनागत योजना पर व्यय, केन्द्रीय योजना निधियों का क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष अंतरण, शेषों का सारांश, सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम, बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं में लागू मुख्य नीतिगत निर्णय और अनुरक्षण व्यय जो कि विभिन्न परिशिष्टों में आये हैं, के विवरण समाहित है।

विवरण क्रमांक	संक्षिप्त एवं विस्तृत विवरण
1	वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण पत्रक
3	प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)
4	व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक
6	उधारियों एवं अन्य देयताओं का विवरण पत्रक
7	सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों का विवरण पत्रक
8	सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक
9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक
10	सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदान का विवरण पत्रक
11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक
12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्त्रोतों और अनुप्रयोग का विवरण पत्रक
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश का विवरण पत्रक
14	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
16	पूंजीगत व्यय का लघु शीर्ष एवं उप शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक
18	राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक
20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक
21	आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा लेन–देनों का विस्तृत विवरण पत्रक
22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक

परिशिष्ट 1.2 (समाप्त)
भाग–ख
31 मार्च 2016 को पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र
(संदर्भः कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

मदें	31 अक्टूबर 2000 को शेष	विभाजन		विभाजन लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश के लेखाओं में रोककर रखे गये शेष	वित्त लेखे की विवरण पत्रक संख्या का संदर्भ
		मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़		
I- देयताएं-					
1. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	7371.51	5570.57	1239.45	561.49	12 एवं 21
2. निक्षेप	1872.19	1516.52	358.05	(-)2.38	12 एवं 21
3. आरक्षित निधियां	657.94	543.93	11.55	102.46	12 एवं 21
4. उचन्त एवं विविध शेष	39.58	25.47	5.93	8.18	21
II- परिसम्पत्तियां-					
1. सकल पूंजीगत परिव्यय	15760.57	7529.11	2245.12	5986.34	5 एवं 16
2. कर्ज तथा अग्रिम	2883.18	559.84	137.08	2186.26	7 एवं 18
3. प्रत्याभूतियां	9709.60	--	--	986.91	9 एवं 20

टिप्पणीः और अधिक विवरण हेतु कृपया वित्त लेखे देखें

परिशिष्ट 1.3
भाग–क
राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली
(संदर्भः कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

चयनित राजकोषीय बदलाव के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय संचयों को मूर्त रूप देने हेतु अपने लक्ष्यों सहित निर्धारित मापदण्ड/परिसीमन और राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम **(परिशिष्ट 1.3 का भाग–ख)** के अधीन विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु आवश्यक अन्य विवरण पत्रों में दी गई वचनबद्धताएँ/निर्धारित लक्ष्यों का उपयोग प्रमुख राजकोषीय संचयों की प्रवृत्ति तथा प्रणाली के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन हेतु किया जाता है। यह मान लेने पर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेतक है, प्रमुख राजकोषीय संचय जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा राजकोषीय घाटा, चालू बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बद्ध राजकोषीय बदलाव हेतु गुणांक उत्प्लावकता का भी यह मूल्यांकन करने हेतु आकलन किया गया है कि क्या संसाधनों का संग्रहण, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ तालमेल रख सकते है अथवा ये राजकोषीय संचय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित होते है।

अन्तिम पाँच वर्षो के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियों को निम्नानुसार दर्शाया है:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

	2011-12	**2012-13**	**2013-14(P)**	**2014-15(Q)**	**2015-16(A)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2011–12)	315561	380926	435790	484538	565053
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर* (प्रतिशत में)	19.80	20.71	14.40	11.19	16.62

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार

**2011–12 से 2014–15 की अवधि के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान पुनरीक्षित हैं इसलिए पूर्व के प्रतिवेदनों में दर्शित 2011–12 से 2014–15 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में विभिन्न मापदण्डों की प्रतिशत अनुपात/उत्प्लावकता को भी पुनरीक्षित कर दिया गया है।*

*नोटः **P**- अनंतिम अनुमान, **Q**- त्वरित अनुमान, **A**- अग्रिम अनुमान*

परिशिष्ट 1.3 निरंतर
भाग–ख
राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005
(संदर्भः कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

राज्य सरकार ने राजकोषीय प्रबन्धन में बुद्धिमता सुनिश्चित करने हेतु तथा राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी करके राजकोषीय स्थिरता, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय धारणीयता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन, सरकार के राजकोषीय कार्यक्रमों में अत्यधिक पारदर्शिता और मध्यम कालीन संरचना में राजकोषीय नीति के संचालन तथा उससे सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 बनाया है जो 1 जनवरी 2006 से प्रभाव में आया था। इस अधिनियम में निर्दिष्ट तथा/अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों (30 जनवरी 2006) के अनुसार राजकोषीय प्रबन्धन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार के लिए निम्नांकित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये थेः

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा को कम कर इसे 31 मार्च 2009 तक समाप्त करेगी तथा उसके पश्चात राजस्व आधिक्य करेगी;
- मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन अनुसार, राज्य सरकार निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को इस प्रकार कम करेगी जिससे कि 31 मार्च 2016 तक वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत से अधिक न रहे और तत्पश्चात उसे बनाए रखेगी अर्थात;

 (i) पिछले वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत या उससे कम हो; तथा

 (ii) पिछले वित्तीय वर्ष में, कुल परादेय ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात का 25 प्रतिशत या उससे कम हो।

 यदि उपरोक्त उप–खण्ड (i) या (ii) में वर्णित किसी एक शर्त की पूर्ति नहीं होती है तो उस वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को इस प्रकार कम करेगी कि वह उस वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.25 प्रतिशत से अधिक न रहे और यदि उपरोक्त उप–खण्ड (i) एवं (ii), दोनों शर्तों की पूर्ति नहीं होती है तो राजकोषीय घाटे को इस प्रकार कम करेगी जिससे कि वह उस वित्तीय वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.00 प्रतिशत से अधिक न रहे।
- वार्षिक संवृद्धि कारक प्रत्याभूति को परिसीमित करना जिससे यह सुनिश्चित हो कि चालू वर्ष की कुल प्रत्याभूतियां पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक नही है।

परन्तु शर्त यह है कि राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा भारत संघ के बजट अनुमान के संबंध में केंद्रीय कर हस्तांतरण में कमी के आधारों के कारण और/या राज्य सरकार के वित्त पर आन्तरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न अकल्पित बाध्यताओं या ऐसे अन्य अपवादिक आधारों के कारण, जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकता है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2015–16 हेतु बजट के साथ (क) वृहद् आर्थिक रूप रेखा विवरण, (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण एवं (ग) राजकोषीय नीति युक्ति विवरण प्रस्तुत किये हैं।

चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्याकंन में किया गया है, की परिभाषा

चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्याकंन में किया गया है, की परिभाषाएं भी नीचे दी गई हैं:

शब्द	गणना का आधार
मापदण्डों की उत्प्लावकता	मापदण्ड की संवृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि
मानदण्ड (X) की अन्य मापदण्ड (Y) के सन्दर्भ में उत्प्लावकता	मापदण्ड (X) की संवृद्धि दर/मानदण्ड (Y) की संवृद्धि दर
संवृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि)-1]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100
ब्याज प्रसार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि (–) औसत ब्याज दर
प्रमात्रा प्रसार	ऋण भण्डार* ब्याज प्रसार
बकाया कर्ज के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज/ [(प्रारम्भिक शेष + कर्ज तथा अग्रिमों का अन्त शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां– राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय+निवल कर्ज तथा अग्रिम–राजस्व प्राप्तियां–विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा–ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां–मुख्य शीर्ष 2048–'ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन' के अंतर्गत लेखबद्ध व्यय को छोड़कर सभी आयोजना अनुदान एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय
ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	संवृद्धिता ऋणेत्तर प्राप्तियां–(संवृद्धिता प्राथमिक व्यय + संवृद्धिता ब्याज अदायगी)

परिशिष्ट 1.4
राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े
(संदर्भः कंडिकाएं 1.1, 1.3 एवं 1.10.3; पृष्ठ 2, 10 एवं 39)

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भाग क. प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	**62604**	**70427**	**75749**	**88641**	**105511**
(i) कर राजस्व	**26973(43)**	**30582(43)**	**33552(44)**	**36567(41)**	**40214(38)**
कृषि आय पर कर	**--**	--	--	--	--
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	12517(46)	14856(49)	16650(50)	18136(50)	19806(49)
राज्य उत्पाद शुल्क	4317(16)	5078(17)	5907(18)	6695(18)	7923(20)
वाहन कर	1357(5)	1531(5)	1599(5)	1824(5)	1933(5)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3284(12)	3944(13)	3400(10)	3893(11)	3868(10)
भू–राजस्व	279(1)	444(1)	366(1)	243(1)	277(1)
माल तथा यात्री कर	2047(8)	2395(8)	2579(8)	2686(7)	3085(8)
अन्य कर	3172(12)	2334(8)	3051(9)	3090(8)	3322(8)
(ii) करेत्तर राजस्व	**7483(12)**	**7000(10)**	**7705(10)**	**10375(12)**	**8569(8)**
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	**18219(29)**	**20805(30)**	**22715(30)**	**24107(27)**	**38398(37)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**9929(16)**	**12040(17)**	**11777(16)**	**17592(20)**	**18330(17)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**23**	**31**	**36**	**28**	**26**
2क. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	**3**	**9**	**2**	**1**	**2**
3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	**9123**	**33**	**93**	**6765**	**162**
4. कुल राजस्व तथा ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+2क+3)	**71753**	**70500**	**75880**	**95435**	**105701**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**6750**	**8791**	**9541**	**15069**	**19985**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष छोड़कर)	5718	7234	8328	13696	18659
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	**--**	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1032	1557	1212	1372	1326
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**78503**	**79291**	**85421**	**110504**	**125686**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	**100**	**--**	**--**	**300**	**--**
8. लोक लेखा प्राप्तियां	**76315**	**86248**	**94811**	**110295**	**132772**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**154918**	**165539**	**180232**	**221099**	**258458**
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**52694(68)**	**62968(79)**	**69870(81)**	**82373(77)**	**99771(83)**
आयोजना	16017(30)	18349(29)	19427(28)	26515(32)	31452(32)
आयोजनेत्तर	36677(70)	44619(71)	50443(72)	55858(68)	68319(68)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	16229(31)	17705(28)	20591(29)	22365(27)	25700(26)
सामाजिक सेवाएं	20297(38)	24375(39)	27768(40)	32067(39)	42651(43)
आर्थिक सेवाएं	12965(25)	16823(27)	16972(24)	23715(29)	25529(25)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	3203(6)	4065(6)	4539(7)	4226(5)	5891(6)
11. पूंजीगत व्यय	**9055(12)**	**11567(14)**	**10813(13)**	**11878(11)**	**16835(14)**
आयोजना	9023(100)	11543(100)	10770(100)	11821(100)	16678(99)
आयोजनेत्तर	32(0)	24(0)	43(0)	57(0)	157(1)
सामान्य सेवाएं	167(2)	205(2)	197(2)	258(2)	549(3)
सामाजिक सेवाएं	1599(18)	1621(14)	1899(17)	2070(18)	3024(18)
आर्थिक सेवाएं	7289(80)	9741(84)	8717(81)	9550(80)	13262(79)
12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण	**15760(20)**	**5378(7)**	**5077(6)**	**12535(12)**	**3158(3)**
13. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	**4**	**7**	**2**	**1**	**2**
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	**77513**	**79920**	**85762**	**106787**	**119766**
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**3150**	**3584**	**4005**	**4921**	**4860**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षो को छोड़कर)	2520	2936	3243	4084	3948

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्जे तथा अग्रिम	630	648	762	837	912
16. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**100**	**--**	**--**	**300**	**--**
17. समेकित निधि में से कुल संवितरण (14+15+16)	**80763**	**83504**	**89767**	**112008**	**124626**
18. आकस्मिकता निधि संवितरण	**--**	**--**	**--**	**1**	**--**
19. लोक लेखा संवितरण	**73279**	**82736**	**93064**	**108165**	**128337**
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	**154042**	**166240**	**182831**	**220174**	**252963**
भाग ग. घाटे					
21. राजस्व घाटे(–) / राजस्व आधिक्य(+) (1-10)	9910	7459	5879	6268	5740
22. राजकोषीय घाटा(–) / राजकोषीय आधिक्य(+) (4-14)	-5760	-9420	-9882	-11352	-14065
23. प्राथमिक घाटा(–) / आधिक्य(+) (22+24)	-460	-3846	-3491	-4281	-5974
भाग घ. अन्य आंकड़े					
24. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	5300	5574	6391	7071	8091
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	10830	13487	14953	18668	22656
26. ली गई अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
ली गई अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	--	--	--	--	-
लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम / अधिविकर्षों पर ब्याज	--	--	--	--	--
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद[6]	315561	380926	435790	484538	565053
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	81757	90168	96826	108688	127144
30. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	5605	7720	9978	20124	27530
31. प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	11108	14752	21472	31885	40171
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	45	55	201	68	91[7]
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी	9356	2413	34465	14344	15477[7]
भाग ङ राजकोषीय स्थिति संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	8.55	8.03	7.70	7.55	7.12
स्वंय के करेत्तर राजस्व / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	2.37	1.84	1.77	2.14	1.52
केन्द्रीय अंतरण[8]/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	8.92	8.62	7.91	8.61	10.04
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता (प्रतिशत)	0.80	0.93	0.78	1.89	1.91
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	24.56	20.98	19.68	22.04	21.20
कुल व्यय / राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	123.81	113.48	113.22	120.47	113.51
राजस्व व्यय / कुल व्यय (प्रतिशत)	67.98	78.79	81.47	77.14	83.30
सामान्य सेवाओं पर व्यय / कुल व्यय (प्रतिशत)	21.16	22.47	24.24	21.18	21.93
सामाजिक सेवाओं पर व्यय / कुल व्यय (प्रतिशत)	28.43	32.69	34.67	31.98	38.16

6 *वर्ष 2011–12 से 2014–15 के लिये सरकार द्वारा सूचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया।*

7 *वित्त लेखे 2015–16।*

8 *केन्द्रीय अंतरण में संघ करों / शुल्क का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान समाविष्ट है।*

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	46.28	39.75	35.79	42.88	34.99
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	11.68	14.47	12.61	11.12	14.06
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	11.47	14.22	12.37	10.88	13.60
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा(–)/आधिक्य(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	3.14	1.96	1.35	1.29	1.02
राजकोषीय घाटा(–)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-1.83	-2.47	-2.27	-2.34	-2.49
प्राथमिक घाटा(–)/आधिक्य(+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-0.15	-1.01	-0.80	-0.88	-1.06
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	15.02	15.07	14.57	15.54	16.23
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	25.91	23.67	22.22	22.43	22.50
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	130.59	128.03	127.82	122.62	120.50
प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा	(+)9401	(+)7788	(+)3326	(-)108	(+)4634
ऋण मोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां (अनुपात)	0.95	0.86	0.98	0.87	0.79
V अन्य राजकोषीय संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (₹ करोड़ में तथा कोष्ठक में प्रतिशत)	37.98 (0.29)	18.38 (0.13)	378.72 (2.48)	80.35 (0.49)	129.64 (0.78)
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	18112	14101	17069	19616	22851
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.72	0.67	0.63	0.62	0.63

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के योगों को तुलना में प्रतिशतता (पूर्णांक में) प्रदर्शित करते हैं।

परिशिष्ट 1.4 एवं 1.5 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. उपरोक्त दिए गए विवरण पत्रों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखे में दी गयी टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाये। सरकारी लेखे मुख्य रूप से रोकड़ के आधार पर होने के कारण **परिशिष्ट 1.5** में दर्शाए अनुसार सरकारी लेखाओं में घाटा वाणिज्यिक लेखाकरण में उपार्जन के आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति इंगित करते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य मदें अथवा प्राप्ति योग्य मदें अथवा मदें जैसे मूल्य ह्रास या स्टॉक में भिन्नता आदि के आंकड़े लेखाओं में नहीं दिए गए है। उचन्त तथा विविध शेषों में जारी किये गये किन्तु भुगतान न किए गए चैक राज्य की ओर से किए गए भुगतान एवं अन्य लम्बित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।
2. मार्च 2016 के लेखाओं के बंद होने पर "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 1009.49 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 566.36 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में ₹ 443.13 करोड़ (नामे) का अन्तर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन–देनों की गलत रिपोर्टिंग है।
3. लागू नहीं क्योंकि राज्य ने 2004-05 से वर्तमान तक राजस्व आधिक्य बनाए रखा है।

परिशिष्ट 1.5
भाग–क
वर्ष 2015–16 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भः कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण				
2014-15		2015-16		2014-15		2015-16		
योग			योग	योग		आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
				भाग–कः राजस्व				
88640.78	**I.**	**राजस्व प्राप्तियां**	**105510.60**	**82372.82**	**राजस्व व्यय**	**68319.27**	**31451.43**	**99770.70**
36567.12		-कर राजस्व	40213.66	**22365.11**	**सामान्य सेवाएं**	**25370.91**	**329.35**	**25700.26**
				32067.15	**सामाजिक सेवाएं**	**22845.98**	**19804.95**	**42650.93**
10375.23		-करेत्तर राजस्व	8568.79	16222.33	-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	12514.61	4540.13	17054.74
				4521.34	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2628.69	2599.33	5228.02
24106.99		-संघ करों में राज्य का भाग	38397.84	3277.10	-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1515.57	4758.40	6273.97
4425.31		-आयोजनेत्तर अनुदान	3990.10	154.13	-सूचना एवं प्रसारण	177.82	9.48	187.30
				2214.12	-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	407.29	2560.77	2968.06
9010.60		-राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	13370.61	330.66	-श्रम तथा श्रमिक कल्याण	192.48	87.04	279.52
				5227.01	-समाज कल्याण एवं पोषण	5270.72	5249.46	10520.18
4155.53		-केंद्रीय तथा केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिए अनुदान	969.60	120.46	-अन्य	138.80	0.34	139.14
				23715.12	**आर्थिक सेवाएं**	**15125.15**	**10403.37**	**25528.52**
				8290.58	-कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	3501.58	3974.48	7476.06
				6617.12	-ग्रामीण विकास	1816.84	4290.98	6107.82
				845.20	–सिंचाई तथा बाढ़ नियत्रण	584.51	45.94	630.45
				5105.75	-ऊर्जा	6842.95	375.89	7218.84
				1286.49	-उद्योग एवं खनिज	1084.03	1393.27	2477.30
				1288.35	-परिवहन	1209.49	-	1209.49
				106.09	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	8.01	202.49	210.50
				175.54	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	77.74	120.32	198.06
				4225.44	**सहायता अनुदान एवं अंशदान**	**4977.23**	**913.76**	**5890.99**
	II.	**भाग ख में अग्रेनीत राजस्व घाटा**		**6267.96**	**भाग ख में अग्रेनीत राजस्व आधिक्य**			**5739.90**
88640.78		**योग**	**105510.60**	**88640.78**	**योग**			**105510.60**

भाग–खः अन्य								
प्राप्तियां				संवितरण				
2014-15			2015-16	2014-15		2015-16		
योग			योग	योग		आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
4477.03	**III**	**प्रारम्भिक नकद शेष स्थाई अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित**	**5401.96**	**--**	**भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अधिविकर्ष**			
27.73	**IV**	**विविध पूंजीगत प्राप्तियां**	**26.47**	**11877.68**	**पूंजीगत परिव्यय**	**156.90**	**16678.57**	**16835.47**
				257.16	**सामान्य सेवाएं**	**121.90**	**427.32**	**549.22**
				2070.31	**सामाजिक सेवाएं**	**1.96**	**3022.53**	**3024.49**
				321.91	-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	0.58	757.74	758.32
				240.48	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.82	225.24	226.06
				1090.44	-जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	0.45	1526.96	1527.41
				-	-सूचना एवं प्रसारण	--	--	--
				295.36	-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.03	409.18	409.21
				100.99	-समाज कल्याण एवं पोषण	0.08	57.73	57.81
				21.13	-अन्य सामाजिक सेवाएं	--	45.68	45.68
				9550.19	**आर्थिक सेवाएं**	**33.04**	**13228.72**	**13261.76**
				171.40	-कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	--	117.20	117.20
				1248.89	-ग्रामीण विकास	--	2418.78	2418.78
				4127.16	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	26.36	6346.34	6372.70
				910.39	-ऊर्जा	1.64	548.05	549.69
				136.48	-उद्योग एवं खनिज	5.04	242.65	247.69
				2874.78	-परिवहन	--	3377.04	3377.04
				20.88	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	--	1.30	1.30
				60.21	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	--	177.36	177.36
6765.05	**V**	**कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ**	**162.32**	**12534.61**	**संवितरित कर्ज तथा अग्रिम**	**2110.65**	**1047.26**	**3157.91**
				11839.75	-बिजली परियोजनाओं के लिए			2595.20
				392.41	कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिये			256.70
				292.16	उद्योग तथा खनिज के लिये			259.00
0.06		-सरकारी कर्मचारियों से	0.03	-	-सरकारी कर्मचारियों को			-
6764.99		-अन्यों से	162.29	10.29	-अन्यों को			47.01
0.91	**VI**	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन**	**1.93**	**0.98**	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन**	--	--	**1.94**

6267.96	**VII**	**अधोनीत राजस्व आधिक्य**	**5739.90**	--	**अधोनीत राजस्व घाटा**	--	--	
15068.71	**VIII**	**लोक ऋण प्राप्तियां**	**19985.30**	**4920.52**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	--	--	**4860.36**
13696.48		-अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	18659.18	4083.90	-अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	--	--	3948.42
		अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन–देन			अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन–देन			
		अधिविकर्षो के अधीन निवल लेन–देन						
1372.23		-केंद्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1326.12	836.62	-केंद्र सरकार को कर्ज तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान			911.94
300.00	**IX**	**आकस्मिकता निधि को विनियोग**	**--**	**300.00**	**आकस्मिकता निधि को विनियोग**			**--**
निरंक	**X**	**आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि**	**1.08**	**1.08**	**आकस्मिकता निधि से व्यय**			**--**
110294.74	**XI**	**लोक लेखा प्राप्तियां**	**132772.19**	**108165.30**	**लोक लेखा व्यय**			**128336.75**
3143.44		-अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां	3498.21	2181.13	-अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां			2473.70
1171.96		-आरक्षित निधियां	2719.07	1028.17	-आरक्षित निधियां			986.05
76098.86		-उचंत तथा विविध	87337.99	75636.93	-उचंत तथा विविध			85881.02
13531.91		- प्रेषण	15867.66	13588.93	-प्रेषण			16220.77
16348.57		-जमा एवं अग्रिम	23349.26	15730.14	-जमा एवं अग्रिम			22775.21
--	**XII**	**भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम अधिविकर्ष**		**5401.96**	**वर्ष के अन्त में रोकड़ शेष**			**10898.72**
					-खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण			
				199. 32	-रिजर्व बैंक में जमा			1009.49[9]
				7.86	-स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			1.78
				5194.78	-रोकड़ शेष निवेश तथा उद्दिष्ट निधियों से निवेश			9887.45
143202.13		**योग**	**164091.15**	**143202.13**	**योग**			**164091.15**

[9] *मार्च 2016 के लेखाओं के बंद होने पर "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 1009.49 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 566.36 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में ₹ 443.13 करोड़ (नामे) का अन्तर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन–देनों की गलत रिपोर्टिंग है।*

परिशिष्ट 1.5 (समाप्त)
भाग–ख
31 मार्च 2016 को मध्य प्रदेश सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति
(संदर्भः कंडिका 1.9.1; पृष्ठ 35)

(₹ करोड़ में)

31.03.2015 की स्थिति में	देयताएं	31.03.2016 की स्थिति में
69007.68	**आन्तरिक ऋण–**	**83718.44**
43149.52	ब्याज सहित बाजार कर्ज	56140.26
0.39	ब्याज रहित बाजार कर्ज	0.39
73.00	भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	62.70
6525.16	अन्य संस्थाओं से कर्ज	7333.75
19259.61	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	20181.34
निरंक	अर्थोपाय पेशगियां (प्रदत्त ब्याज सहित)	निरंक
निरंक	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	निरंक
13253.83	**केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम–**	**13668.01**
1.88	1984–85 से पूर्व के कर्ज	1.88
42.82	आयोजनेत्तर कर्ज	39.16
13209.13	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	13626.97
--	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
--	केंद्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
500.00	**आकस्मिकता निधि**	**500.00**
12659.14	**अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि**	**13682.37**
7771.83	**जमा**	**8345.83**
6398.98	**आरक्षित निधियां**	**8132.00**
583.65	**उचन्त तथा विविध शेष**	**2047.61**
1309.25	**प्रेषण शेष**	**956.14**
111484.36	**योग**	**131050.40**
	परिसम्पत्तियां	
110345.99	**स्थाई परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय–**	**127147.75**
16104.05	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	16599.57
94241.94	अन्य पूंजीगत परिव्यय	110548.18
37841.90	**कर्ज तथा अग्रिम**	**40837.49**
31414.55	बिजली परियोजनाओं हेतु कर्ज	34009.75
6398.61	अन्य विकास कर्ज	6799.07
28.74	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज तथा विविध कर्ज	28.67
4.86	**अग्रिम**	**4.80**
--	**प्रेषण शेष**	--
5401.96	**रोकड़–**	**10898.72**
--	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	--
199.32	रिजर्व बैंक में जमा	1009.49
7.86	स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	1.78
4971.31	रोकड़ शेष निवेश	9485.24

31.03.2015 की स्थिति में	**परिसम्पत्तियां**	**31.03.2016 की स्थिति में**
403.47	आरक्षित निधि निवेश	402.21
-42110.35	**सरकारी लेखाओं में घाटा–**	**-47838.36**
-6267.96	(i) चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य को घटा कर	-5739.90
0.07	(क) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.01
1.86	(ख) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	6.99
731.52	(ग) वर्ष के दौरान प्रोफार्मा/अन्य समायोजन	4.89
301.08	(घ) आकस्मिकता निधि	--
-36876.92	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा	-42110.35
111484.36	**योग**	**131050.40**

परिशिष्ट 1.6
श्रेणी 1 एवं 2 के अंतर्गत जेण्डर बजट के उपयोगिता में कमी का विवरण
(संदर्भः कंडिका 1.1.4; पृष्ठ 7)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	योजनाओं का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत	प्रावधान के साथ बचतों की प्रतिशतता
आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग					
श्रेणी–1					
1	0762–कन्या शिक्षा परिसर	55.68	14.25	41.43	74.41
2	4691–कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं (कक्षा छठी)	1.64	0	1.64	100.00
3	6813–साईकिल का प्रदाय	2.71	0.84	1.87	69.00
श्रेणी–2					
4	2773–प्राथमिक शालाएं	1128.39	811.99	316.40	28.04
5	0364–आदर्श उच्चतर माध्यमिक	16.23	10.70	5.53	34.07
6	0581–उच्चतर माध्यमिक	550.07	49.34	500.73	91.03
7	3496–माध्यमिक शालाएं	718.31	591.54	126.77	17.65
8	4980–जिला उत्कृष्ट विद्यालयों को प्रबंधन हेतु सहायता	6.11	5.06	1.05	17.18
9	0495–आश्रम और शालाएं	81.92	61.47	20.45	24.96
10	0978–क्रीडा परिसर	25.86	16.40	9.46	36.58
11	1398–छात्रावास/आश्रमों का संचालन	223.00	164.69	58.31	26.15
12	2676–पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	240.98	150.91	90.07	37.38
13	9416–प्राथमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	681.74	624.70	57.04	8.37
14	9417–उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	30.09	22.78	7.31	24.29
15	9418–माध्यमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	18.37	16.09	2.28	12.41
16	5216–हाई स्कूल	121.77	95.61	26.16	21.48
17	6502–पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	22.32	8.52	13.80	61.83
18	7562–उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	11.05	6.48	4.57	41.36
19	8832–आश्रमों/छात्रावासों का सुदृढ़ीकरण	164.21	84.48	79.73	48.55
20	0494–आश्रम	135.09	102.99	32.10	23.76
21	0671–एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान	10.85	8.20	2.65	24.42
22	5228–कम्प्यूटर प्रशिक्षण	2.10	0.43	1.67	79.52
23	7223–विज्ञान एवं सामयिक विषयों में प्रवेश पर प्रोत्साहन	4.60	3.13	1.47	31.96
24	9817–व्यवसायिक शिक्षा	6.62	5.48	1.14	17.22
25	7851–युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना	8.00	3.91	4.09	51.13
26	8804–राहत योजना	1.18	0	1.18	100.00
27	8799–छात्रावास भवन निर्माण	50.00	46.83	3.17	6.34

स.क्र.	योजनाओं का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत	प्रावधान के साथ बचतों की प्रतिशतता
28	2949–गणवेश का प्रदाय	11.26	7.62	3.64	32.33
29	4722–अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों का विकास	66.51	45.38	21.13	31.77
आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग					
श्रेणी–2					
1	0538–इलैक्ट्रानिक में शिक्षित युवकों को स्व–रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं अद्योसंरचना निर्माण हेतु अनुदान	10.00	1.75	8.25	82.50
2	0671–एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान	14.67	8.70	5.97	40.70
3	1398–छात्रावास/आश्रमों का संचालन	68.41	56.14	12.27	17.94
4	5133–अन्य छात्रवृत्तियां	212.10	191.00	21.10	9.95
5	5191–अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत सहायता/पुनर्वास सहायता	28.90	26.88	2.02	6.99
6	5903–पोस्ट मैट्रिक शिक्षा	10.00	7.68	2.32	23.20
7	7851–युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना	20.00	5.00	15.00	75.00
8	8801–सैनिक स्कूल/निजी संस्थाओं में अध्यनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति	8.00	6.40	1.60	20.00
9	8829–अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय	34.00	29.56	4.44	13.06

(स्रोतः संबंधित विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट 1.7
2015–16 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग
(₹ दस लाख या उससे अधिक)
(संदर्भः कंडिका 1.3.4; पृष्ठ 15)

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष एवं नामकरण	बजट में कुल प्रावधान	स्थिति				अप्रयुक्त राशि का प्रतिशत
		समर्पण(-)/ पुनर्विनियोजन	कुल बजट प्रावधान	व्यय	बचतें(-) आधिक्य(+)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**(6/4)*100**
राजस्व लेखा						
2014-105-6269 न्याय व्यवस्था में सुधार	2017.01	197.10	2214.11	1148.20	-1065.91	48.14
2055-109-6463 पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन	305.85	-73.48	232.37	232.36	-0.01	0
2070-800-7720 केन्द्रीय वित्त आयोग	400000.00	0.00	400000.00	0.00	-400000.00	100
2406-01-101-6898 वानिकी अनुरक्षण एवं विकास	0.01	129.51	129.52	99.67	-29.85	23.05
पूंजीगत लेखा						
4235-02-102-5360 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	8316.23	-3756.89	4559.34	4613.64	54.30	0
5452-01-190-6559 प्रदेश में बुद्धिस्ट परिपथ का निर्माण	100.00	0.00	100.00	100.00	0	0
5452-01-190-6560 धार्मिक पर्यटन का विकास	1800.00	-0.03	1799.97	1799.97	0	0
5452-01-190-6561 जैन परिपथ का विकास	200.00	0.00	200.00	200.00	0	0
5452-01-190—6563 हैरिटेज पर्यटन का विकास	100.00	0.00	100.00	100.00	0	0
5452-01-190-6565 ईको एवं एडवेंचर पर्यटन का विकास	1300.00	0.00	1300.00	1300.00	0	0
5452-01-190-6566 विद्यमान पर्यटक सुविधाओं का विस्तार एवं उन्नयन	1250.00	0.00	1250.00	1250.00	0	0
5452-01-190-6567 पहुंच मार्गों एवं आन्तरिक मार्गों का उन्नयन	100.00	0.00	100.00	100.00	0	0
5452-01-190-6568 राष्ट्रीय राजमार्ग शहरों में साइनेजेस	100.00	0.00	100.00	100.00	0	0
5452-01-190-6571 मेला एवं उत्सव	150.00	0.00	150.00	150.00	0	0
योग	**415739.10**	**-3503.79**	**412235.31**	**11193.84**	**-401041.47**	

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विस्तृत विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 1.8
कः राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण
(संदर्भः कंडिका 1.6.6.1; पृष्ठ 27)

स. क्र.	कार्य का नाम
1	नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है
2	भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण
3	आर्थिक और सामाजिक विकास योजना
4	सड़कें और पुल
5	घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध
7	अग्निशमन सेवाएं
8	नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि
9	समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा
10	गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन
11	नगरीय निर्धनता उन्मूलन
12	नगरीय सुख–सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि
14	शव गाड़ना और कब्रिस्तान; शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह
15	कांजी हाउस; पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण
16	जन्म–मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है
17	सार्वजनिक सुख–सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं
18	वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन

खः राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों का हस्तांतरण

स. क्र.	कार्य का नाम
1	कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है
2	भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल–आच्छादन विकास
4	पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट–पालन
5	मत्स्यिकी
6	सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनोद्योग
7	लघु वन उत्पाद
8	लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है
9	खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग
10	ग्रामीण आवास
11	पेयजल
12	ईंधन एवं चारा
13	सड़क, पुलियां, पुल, फेरी, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन
14	ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी है
15	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17	शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भी हैं

स. क्र.	कार्य का नाम
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा
19	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा
20	पुस्तकालय
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप
22	बाजार एवं मेले
23	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं
24	परिवार कल्याण
25	महिला एवं बाल विकास
26	समाज कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रुप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है
27	कमजोर वर्गों का कल्याण, और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
29	सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण

परिशिष्ट 1.9
31 मार्च 2016 की स्थिति में हानि में चलने वाले सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति, अद्यतन वर्ष जिसके लिये लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया था
(संदर्भः कंडिका 1.8.1; पृष्ठ 32)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	कम्पनी/ निगम के नाम	जिस वर्ष तक के लेखा प्रस्तुत किये गये थे	वर्ष के अन्त में निवेशित राशि (प्रदत्त पूंजी)				वर्ष के अन्त में 31 मार्च को संचित हानि (–)	क्षेत्र
			राज्य	केन्द्र	अन्य	योग		
1	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2012-13	81.09	0.00	0.00	81.09	583.37	वित्त
2	पीथमपुर आटो क्लस्टर प्रायवेट लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	12.12	12.12	7.36	निर्माण
3	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड	2014-15	21.91	0.00	0.00	21.91	3.49	निर्माण
4	क्रिस्टल आई.टी. पार्क लिमिटेड, इन्दौर	2014-15	0.00	0.00	0.05	0.05	0.08	निर्माण
5	मध्य प्रदेश राज्य माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	2014-15	2.20	0.00	0.00	2.20	17.84	निर्माण
6	मध्य प्रदेश ए.एम. आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	1.00	1.00	0.66	निर्माण
7	मध्य प्रदेश ए.एम. आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	1.00	1.00	0.33	निर्माण
8	मध्य प्रदेश ए.एम. आर.एल. (बिचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	1.00	1.00	6.03	निर्माण
9	मध्य प्रदेश ए.एम. आर.एल. (मरकी बारका) कोल कंपनी लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	1.00	1.00	1.28	निर्माण
10	मध्य प्रदेश जे.पी. कोल लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	10.00	10.00	6.07	निर्माण
11	मध्य प्रदेश जे.पी. मिनरल्स लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	61.22	61.22	90.02	निर्माण
12	मध्य प्रदेश जे.पी. कोल क्षेत्र लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	10.00	10.00	9.66	निर्माण
13	मध्य प्रदेश सैनिक कोल माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	33.30	33.30	0.73	निर्माण

स. क्र.	कम्पनी / निगम के नाम	जिस वर्ष तक के लेखा प्रस्तुत किये गये थे	वर्ष के अन्त में निवेशित राशि (प्रदत्त पूंजी)				वर्ष के अन्त में 31 मार्च को संचित हानि (–)	क्षेत्र
			राज्य	केन्द्र	अन्य	योग		
14	मध्य प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड	2014-15	2553.14	0.00	0.00	2553.14	236.17	ऊर्जा
15	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	1816.90	1816.90	9986.02	ऊर्जा
16	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	2065.38	2065.38	8794.40	ऊर्जा
17	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	1918.23	1918.23	11401.07	ऊर्जा
18	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2014-15	5140.55	0.00	185.00	5325.55	3047.01	ऊर्जा
19	बाणसागर ताप विद्युत परियोजना लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	0.05	0.05	2.81	ऊर्जा
20	श्री सिंगाजी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	0.05	0.05	0.01	सेवा
21	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2012-13	24.97	0.00	0.00	24.97	2.05	सेवा
22	मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम	2007-08	109.96	31.85	0.00	141.81	1024.52	सेवा
23	मध्य प्रदेश राज्य टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2007-08	6.86	0.00	0.00	6.86	112.13	निर्माण
24	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2014-15	0.08	0.00	0.00	0.08	0.68	सेवा
25	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित, भोपाल	2013-14	0.25	0.00	0.00	0.25	0.02	सेवा
26	मध्य प्रदेश वित्तीय निगम इन्दौर	2014-15	348.70	0.00	22.44	371.14	208.97	सेवा
योग			**8289.71**	**31.85**	**6138.74**	**14460.30**	**35542.78**	

(स्रोतः कम्पनियों से प्राप्त अंतिम लेखे)

परिशिष्ट 1.10
जून 2016 तक विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं की स्थिति
(संदर्भः कंडिका 1.8.2; पृष्ठ 33)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	क्षेत्र	कुल परियोजनाएं		योजना/ पाईप लाइन के अंतर्गत		निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत		लागू होने/निर्माण के अंतर्गत		पूर्ण परियोजनाएं	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	पशुपालन	2	93.14	2	93.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	7	1082.18	4	786.08	1	78.52	2	217.58	0	0.00
3	ऊर्जा	4	552.70	0	0.00	0	0.00	1	170.00	3	382.70
4	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1	138.50	0	0.00	0	0.00	1	138.50	0	0.00
5	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2	374.92	1	125.00	1	249.92	0	0.00	0	0.00
6	वन	4	196.68	1	130.00	1	50.00	1	15.68	1	1.00
7	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	3	334.69	1	223.19	2	111.50	0	0.00	0	0.00
8	आवास एवं पर्यावरण	3	47.00	1	45.00	0	0.00	0	0.00	2	2.00
9	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	67.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	67.00
10	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	5	1185.13	5	1185.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	लोक निर्माण कार्य	126	14476.62	1	286.25	7	32.47	30	5429.74	88	8728.16
12	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	2	99.93	2	99.93	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	खेलकूद एवं युवा कल्याण	1	900.00	0	0.00	0	0.00	1	900.00	0	0.00
14	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	3	331.30	1	176.30	0	0.00	2	155.00	0	0.00
15	पर्यटन	3	35.00	1	15.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00
16	परिवहन	1	1094.00	0	0.00	0	0.00	1	1094.00	0	0.00
17	नगरीय प्रशासन एवं विकास	30	2061.19	19	1607.68	2	24.90	4	145.83	5	282.78
योग		**198**	**23069.98**	**39**	**4772.70**	**16**	**567.31**	**43**	**8266.33**	**100**	**9463.64**

(स्रोतः संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी)

परिशिष्ट 2.1
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिनमें बचतें ₹ 10 करोड़ या अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र
(संदर्भः कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 49)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	लोक ऋण	लोक ऋण (पूंजीगत प्रभारित)	8773.17	3912.80	44.60
2	01	सामान्य प्रशासन (राजस्व प्रभारित)	70.41	28.03	39.81
3	04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय (राजस्व दत्तमत)	67.15	35.25	52.49
4	06	वित्त (राजस्व प्रभारित)	17.28	15.53	89.87
5	06	वित्त (राजस्व दत्तमत)	13574.49	5614.68	41.36
6	06	वित्त (पूंजीगत दत्तमत)	181.05	137.26	75.81
7	07	वाणिज्यिक कर (राजस्व दत्तमत)	2589.03	773.35	29.87
8	08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन (राजस्व दत्तमत)	1247.43	335.61	26.90
9	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	60.82	25.13	41.32
10	10	वन (पूंजीगत दत्तमत)	60.00	13.74	22.90
11	10	वन (राजस्व दत्तमत)	2408.95	643.98	26.73
12	12	ऊर्जा (पूंजीगत दत्तमत)	3934.47	1401.98	35.63
13	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास (राजस्व दत्तमत)	3528.75	2235.89	63.36
14	14	पशुपालन (राजस्व दत्तमत)	720.58	146.90	20.39
15	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	2389.93	783.40	32.78
16	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (पूंजीगत दत्तमत)	60.00	58.96	98.27
17	16	मछली पालन (राजस्व दत्तमत)	70.28	19.11	27.19
18	17	सहकारिता (राजस्व दत्तमत)	1362.35	453.46	33.29
19	17	सहकारिता (पूंजीगत दत्तमत)	622.30	454.55	73.04
20	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण (पूंजीगत दत्तमत)	271.24	132.92	49.00
21	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल (राजस्व दत्तमत)	1517.85	342.76	22.58
22	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल (पूंजीगत दत्तमत)	2897.45	663.81	22.91
23	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल (पूंजीगत प्रभारित)	94.50	37.25	39.42
24	25	खनिज साधन (राजस्व दत्तमत)	39.08	11.65	29.81
25	26	संस्कृति (राजस्व दत्तमत)	139.03	29.38	21.13
26	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) (राजस्व दत्तमत)	7052.44	1456.89	20.66
27	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) (पूंजीगत दत्तमत)	370.71	129.46	34.92
28	30	ग्रामीण विकास (राजस्व दत्तमत)	558.15	129.91	23.28

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
29	30	ग्रामीण विकास (पूंजीगत दत्तमत)	1508.55	341.99	22.67
30	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी (राजस्व दत्तमत)	149.29	81.14	54.35
31	34	सामाजिक न्याय (राजस्व दत्तमत)	227.96	67.30	29.52
32	36	परिवहन (राजस्व दत्तमत)	121.80	57.01	46.81
33	38	आयुष (राजस्व दत्तमत)	409.69	117.29	28.63
34	38	आयुष (पूंजीगत दत्तमत)	31.50	19.98	63.43
35	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण (राजस्व दत्तमत)	1602.80	360.16	22.47
36	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण (पूंजीगत दत्तमत)	138.02	118.25	85.68
37	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (राजस्व दत्तमत)	6175.79	2178.78	35.28
38	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (पूंजीगत दत्तमत)	3390.03	1098.20	32.39
39	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल (पूंजीगत दत्तमत)	855.13	201.73	23.59
40	43	खेल और युवक कल्याण (राजस्व दत्तमत)	105.52	31.23	29.60
41	44	उच्च शिक्षा (राजस्व दत्तमत)	1886.01	492.23	26.10
42	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (राजस्व दत्तमत)	556.56	145.78	26.19
43	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (पूंजीगत दत्तमत)	129.84	30.07	23.16
44	48	नर्मदा घाटी विकास (पूंजीगत दत्तमत)	1640.48	602.17	36.71
45	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (राजस्व दत्तमत)	571.46	117.38	20.54
46	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	3426.94	1240.32	36.19
47	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (पूंजीगत दत्तमत)	50.00	49.60	99.20
48	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	305.07	118.69	38.91
49	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूंजीगत दत्तमत)	68.97	68.97	100.00
50	55	महिला एवं बाल विकास (पूंजीगत दत्तमत)	77.41	37.36	48.26
51	56	ग्रामोद्योग (राजस्व दत्तमत)	222.50	72.32	32.50
52	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (राजस्व दत्तमत)	10.00	10.00	100.00
53	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय (पूंजीगत दत्तमत)	239.20	53.75	22.47

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
54	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	57.34	15.86	27.66
55	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (पूंजीगत दत्तमत)	283.71	62.41	22.00
56	62	पंचायत (राजस्व दत्तमत)	175.72	40.24	22.90
57	63	अल्प संख्यक कल्याण (राजस्व दत्तमत)	62.97	45.09	71.61
58	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (राजस्व दत्तमत)	4233.52	1440.87	34.03
59	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (पूंजीगत दत्तमत)	3038.46	837.73	27.57
60	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण (राजस्व दत्तमत)	1149.45	371.58	32.33
61	67	लोक निर्माण कार्य–भवन (राजस्व दत्तमत)	644.00	203.33	31.57
62	67	लोक निर्माण कार्य–भवन (पूंजीगत दत्तमत)	240.91	68.62	28.48
63	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	48.90	22.05	45.09
64	71	सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	1080.00	350.33	32.44
65	71	सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय (पूंजीगत दत्तमत)	568.00	165.21	29.09
66	72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास (राजस्व दत्तमत)	95.94	21.30	22.20
67	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	15052.23	3707.89	24.63
68	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूंजीगत दत्तमत)	25.45	25.00	98.23
69	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा (राजस्व दत्तमत)	51.05	48.12	94.26
70	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (राजस्व दत्तमत)	2373.64	795.85	33.53
71	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (पूंजीगत दत्तमत)	71.72	47.29	65.94
योग			**107832.42**	**36004.11**	**33.39**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.2 (क)
तालिका 2.2 में दिए गए अनुदानों/विनियोगों से संबंधित योजनाओं के प्रकरण जिनमें सारभूत बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ या अधिक) हुई
(संदर्भः कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 49)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
(राजस्व दत्तमत)				
06–वित्त				
1	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	केन्द्रीय वित्त आयोग	4000.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
2	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	अन्य व्यय	1062.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
3	2071-पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभ–101	एकीकृत मध्यप्रदेश	670.59	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
4	2071-पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभ–104	एकीकृत मध्यप्रदेश	556.82	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
5	2071-पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभ–105	एकीकृत मध्यप्रदेश	146.92	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
6	2071-पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभ	मध्यप्रदेश	108.47	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
7	2071-पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभ–115	एकीकृत मध्यप्रदेश	271.44	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
07–वाणिज्यिक कर				
8	2030–स्टाम्प और पंजीकरण	मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण	150.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
9	2030–स्टाम्प और पंजीकरण	मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये अतिरिक्त शुल्क का मध्य प्रदेश पंचायत भू–राजस्व तथा स्टाम्प शुल्क निधि में अंतरण	425.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
10	2040–बिक्री, व्यापार आदि पर कर	जिला स्थापना	56.55	बचत नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से विभिन्न श्रेणी के नये पदों के रिक्त रहने से, विभागीय पुनर्गठन होने से तथा राजपत्रित पद तथा 1238 लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त रहने के कारण हुई।
08–भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन				
11	2029–भू–राजस्व	जिला खर्च	87.09	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
12	2053–जिला प्रशासन	जिला स्थापना	80.07	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
13	2053–जिला प्रशासन	उपसंभागीय स्थापना	59.66	₹ 70.00 लाख की अंशतः बचत तहसील कार्यालय द्वारा उपकरण खरीदने के लिए समय से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गए।
10–वन				
14	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	वन विकास उपकर निधि से व्यय	59.57	बचत मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।
15	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन–पुनर्स्थापना समूह	79.97	बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा व्यय की सीमा में कमी किये जाने के कारण हुई।
16	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	टिम्बर	49.47	बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
13–किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
17	2401–फसल कृषि–कर्म	अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	62.80	बचत अंशतः वेतन एवं भत्तों में बचत के कारण हुई (58.76 करोड़)। शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
18	2401–फसल कृषि–कर्म	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	177.44	बचत भारत सरकार द्वारा रिलीज प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग द्वारा निधियों के आहरण पर प्रतिबंध के कारण हुई।
19	2401–फसल कृषि–कर्म	नेशनल ऑयल सीड एण्ड ऑयल पॉम मिशन	50.26	बचत भारत सरकार द्वारा रिलीज प्राप्त न होने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध एवं योजना के बजट कियान्वयन के अनुपात में परिवर्तन के कारण हुई।
20	2401–फसल कृषि–कर्म	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	1622.78	बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
15–अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
21	2501–ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	बेकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना	81.40	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
22	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	अन्य छात्रवृत्तियां	61.61	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
23	2216–आवास	मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना	57.59	बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई
24	2505–ग्राम रोजगार	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	239.18	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।
25	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	137.02	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।
17–सहकारिता				
26	2425–सहकारिता	अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	204.70	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
27	2425–सहकारिता	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	58.41	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
28	2425–सहकारिता	सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	160.64	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
27–स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)				
29	2202–सामान्य शिक्षा	माध्यमिक शालायें	252.03	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
30	2202–सामान्य शिक्षा	सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना	566.45	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
31	2202–सामान्य शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान	297.50	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
32	2202–सामान्य शिक्षा	प्राथमिक पाठशाला	70.37	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
33	2202–सामान्य शिक्षा	सरकारी माध्यमिक शालाओं के लिए सहायतानुदान	58.71	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
34	2202–सामान्य शिक्षा	माध्यमिक शालायें	99.97	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
30–ग्रामीण विकास				
35	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	54.06	बचत मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।
38–आयुष				
36	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय	61.04	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
39–खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण				
37	2408-खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार	म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	50.37	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
38	2408-खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार	गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए अन्नपूर्णा योजना	122.32	बचत मितव्ययी उपायों के अपनाये जाने एवं संभावित बचत का आंकलन किये जाने से हुई (29.98 करोड़)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2016)।
39	2408-खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार	खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	58.85	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
40	2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी	कार्ययोजना के समूह कार्यान्वयन का पुनर्स्थापन	64.60	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
41	2202–सामान्य शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान	509.17	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
42	2202–सामान्य शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	104.10	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
43	2202–सामान्य शिक्षा	मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	60.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
44	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275(1)	52.50	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
45	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	तांत्या भील स्वरोजगार योजना	70.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
46	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	50.57	बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय की सीमा में कमी किये जाने के कारण हुई।
47	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	आश्रमों/छात्रावासों का सुदृढ़ीकरण	66.79	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
48	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	एकीकृत आदिम विकास परियोजना के अंतर्गत स्थानीय विकास कार्यक्रम	170.31	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
44–उच्च शिक्षा				
49	2202–सामान्य शिक्षा	महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान	148.32	बचत अपेक्षित मांग प्राप्त न होने, छठवें वेतन आयोग एवं यू.जी.सी. के पे–बैंड के आदेश जारी न होने एवं योजनान्तर्गत प्रक्रिया अपूर्ण रहने, रिक्त पद नहीं भरे जाने एवं महाविद्यालयों द्वारा अपेक्षित व्यय नहीं किये जाने से हुई।
50	2202–सामान्य शिक्षा	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियोजन योजना का क्रियान्वयन	184.14	बचत अपेक्षित मांग प्राप्त न होने, छठवें वेतन आयोग एवं यू.जी.सी. के पे–बैंड के आदेश जारी न होने एवं योजनान्तर्गत प्रक्रिया अपूर्ण रहने, रिक्त पद नहीं भरे जाने एवं महाविद्यालयों द्वारा अपेक्षित व्यय नहीं किये जाने से हुई।
47–तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास				
51	2203–तकनीकी शिक्षा	स्किल डेवलपमेंट मिशन माड्यूलर इम्प्लायबल	59.26	बचत आवंटित राशि का उपयोग नहीं होने की संभावना से हुई।

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
52–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
52	2501–ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	बेकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना	209.60	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
53	2501–ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित विशेष अधोसंरचना योजना	100.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
54	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	52.93	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
55	2202–सामान्य शिक्षा–197	प्राथमिक शालायें	62.24	बचत पदों की पूर्ति न होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा कम किये जाने के कारण हुई।
56	2202–सामान्य शिक्षा–198	प्राथमिक शालायें	78.45	बचत पदों की पूर्ति न होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा कम किये जाने के कारण हुई।
57	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	छात्रवृत्तियां और वृत्तियां	58.03	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
58	2505–ग्राम रोजगार	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	260.01	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने/कम प्राप्त होने के कारण हुई।
59	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	85.13	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने/कम प्राप्त होने के कारण हुई।
53–अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
60	2217–शहरी विकास	जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	55.54	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
64–अनुसूचित जाति उपयोजना				
61	2401–फसल कृषि–कर्म	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	62.23	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
62	2202–सामान्य शिक्षा	आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	53.32	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
63	2202–सामान्य शिक्षा	सर्वशिक्षा अभियान	343.68	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
64	2202–सामान्य शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	64.12	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
65	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	56.49	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
66	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	66.43	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
66–पिछड़ा वर्ग कल्याण				
67	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–0801	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	67.89	बचत भारत सरकार से स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हुई।
68	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–0101	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	299.85	बचत जिलों द्वारा दी गई व्यय की स्वीकृति के कारण हुई।
67–लोक निर्माण कार्य–भवन				
69	2059–लोक निर्माण कार्य	निष्पादन	73.15	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
70	2216–आवास	एफ टाईप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों का अनुरक्षण	50.42	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
71–सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय				
71	2217–शहरी विकास	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये	349.96	बचत अंशतः कोषालय से आहरण पर प्रतिबंध होने एवं सिंहस्थ मेला के देयकों के लंबित न होने के कारण हुई (16.62 करोड़)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
74–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
72	2216–आवास	इन्दिरा आवास योजना	301.28	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।
73	2501–ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	इंटीग्रेटेड वाटरशेड मेनेजमेंट प्रोग्राम	55.39	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।
74	2501–ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	51.97	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।
75	2505–ग्राम रोजगार	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	2133.40	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।
76	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	260.02	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।
77	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	82.38	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
78	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	मध्यान्ह भोजन के लिए दुग्ध का वितरण	98.81	बचत वित्त विभाग से आहरण की अनुमति प्राप्त न होने एवं योजना प्रभारी से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।
79	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	बेकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना	356.20	बचत अंशतः (₹ 224.40 करोड़) योजनान्तर्गत प्रावधानुसार केन्द्र से बजट आवंटन की संस्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2016)।
80	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–197	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	289.29	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
81	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	213.96	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
77–स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)				
82	2202–सामान्य शिक्षा	उच्चतर माध्यमिक शालायें	186.50	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
83	2202–सामान्य शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	322.56	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
84	2202–सामान्य शिक्षा	मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	100.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
85	2202–सामान्य शिक्षा	हाई स्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन	66.57	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
(पूंजीगत दत्तमत)				
06–वित्त				
86	6075–विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज	गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	50.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
12–ऊर्जा				
87	4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	300.00	बचत मुख्यतः (₹ 240.00 करोड़) वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2016)।

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
88	4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	150.00	बचत मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के कारण हुई।
89	6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	ट्रेडिंग कम्पनी की विद्युत परियोजना के विद्युत देयकों की देनदारियों का सतत ऋण में परिवर्तन वर्ष 2016–17 तक	229.66	बचत अंशतः सरदार सरोवर परियोजना (₹ 118.31 करोड़) के अंतर्गत कम विद्युत क्रय किये जाने के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2016)।
90	6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.बी.–3)	207.27	बचत कुछ टर्न की कांट्रक्टरों के कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण हुई।
91	6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	कृषि उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	91.85	बचत मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता एवं निर्माणाधीन कार्यों में कुछ टर्न–की कांट्रेक्टरों (₹ 78.84 करोड़) द्वारा कार्य में विलंब किये जाने के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2016)।
92	6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	142.71	बचत वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के कारण हुई।
93	6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों एवं डी.टी.आर. मीटरिंग के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु	140.00	बचत वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के कारण हुई।
94	6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	75.77	बचत वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता एवं बिलों के परीक्षण एवं प्रमाणीकरण में विलम्ब के कारण हुई।
17–सहकारिता				
95	6425–सहकारिता के लिये कर्ज	अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	445.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
22–नगरीय विकास एवं पर्यावरण				
96	4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	मंत्रालय का विस्तार	53.43	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
27–स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)				
97	4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–201–0701	सर्वशिक्षा अभियान	106.25	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
98	4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–800–0701	सर्वशिक्षा अभियान	106.25	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
30–ग्रामीण विकास				
99	4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	150.27	बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने एवं परियोजना प्रभारी (₹ 78.19 करोड़) द्वारा कम राशि प्राप्त किये जाने से हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2016)।
100	4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी	50.62	बचत वित्त विभाग से आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से हुई।

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
39–खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण				
101	6408–खाद्य, भण्डारण एवं भांडागार के लिए कर्ज	धान पर अधिरोपित क्रय कर के भुगतान हेतु ब्याज रहित ऋण	100.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
102	6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	71.87	बचत वित्त विभाग द्वारा बजट में कटौती किये जाने के कारण हुई।
103	6425–सहकारिता के लिए कर्ज	अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	75.42	बचत योजनांतर्गत राशि की मांग न होने के कारण हुई।
104	4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	जन भागीदारी योजना	51.69	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
105	4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	64.26	बचत मुख्यतः (₹ 46.98 करोड़) आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा निधियों का आहरण नहीं किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय की सीमा कम किये जाने के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है। (सितम्बर 2016)।
106	4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	एकीकृत आदिम विकास परियोजनांतर्गत स्थानीय विकास कार्यक्रम	68.97	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
107	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना	149.75	बचत निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई।
108	4215–जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	107.48	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
42–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल				
109	5054–सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	केन्द्रीय सड़क निधि	66.59	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
110	5054–सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	मुख्य जिला सड़कों का उन्नयन	55.65	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
48–नर्मदा घाटी विकास				
111	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	बरगी नहर व्यपवर्तन योजना	63.75	बचत मुख्यतः (₹ 50.22 करोड़) भू–अर्जन से संबंधित कार्य पूर्ण न होने एवं टनल कार्य मशीन में तकनीकी दिक्कत आने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2016)।
112	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	नर्मदा मालवा–गंभीर लिंक उद्वहन योजना	350.00	बचत वन विभाग से स्वीकृति में देरी होने, भू–अर्जन कार्य प्रक्रियाधीन होने एवं वित्त विभाग द्वारा निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।
64–अनुसूचित जाति उपयोजना				
113	6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	68.71	बचत वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता बरते जाने से हुई।
114	5054–सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	वृहद पुलों का निर्माण	54.33	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
115	5054–सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	मुख्य जिला सड़कों का उन्नयन	99.01	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
116	5054–सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	61.17	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
117	4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	80.57	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
71–सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय				
118	4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–800–0101	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये	113.21	बचत संबंधित विभागों (₹ 25.15 करोड़) से राशि के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2016)।
119	4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–05–800–0101	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये	52.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
(पूंजीगत प्रभारित)				
लोक ऋण				
120	6003–राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से कर्जे	116.92	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
121	6003–राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	उपाय तथा साधन अग्रिम	2000.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
122	6003–राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
123	6004–केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	ब्लॉक कर्जे	127.24	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.2 (ख)
अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में आधिक्य व्यय जिनमें प्रत्येक में व्यय ₹ 10 करोड़ या अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, का विवरण पत्र
(संदर्भः कंडिका 2.3.3; पृष्ठ 50)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान/विनियोग के अंतर्गत योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	पी.डी.–लोक ऋण	6003-111-6835-केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	770.60	961.99	191.39	24.84
2	पी.डी.–लोक ऋण	6004-02-101-9086-बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बेक–टू–बेक ऋण	175.00	314.33	139.33	79.62
3	06–वित्त	2071-01-101-9998-मध्य प्रदेश	448.11	1035.14	587.03	131.00
4	06–वित्त	2071-01-102-9998-मध्य प्रदेश	7.02	30.97	23.95	341.17
5	06–वित्त	2071-01-104-9998-मध्य प्रदेश	196.56	557.73	361.17	183.75
6	06–वित्त	2071-01-105-9998-मध्य प्रदेश	115.60	309.95	194.35	168.12
7	06–वित्त	2071-01-117-6854-अंशदायी पेंशन योजना	87.75	284.92	197.17	224.70
8	13–किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)-1227-परंपरागत खेती विकास योजना	24.41	46.46	22.05	90.33
9	19–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं सामान्य-5724-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	980.00	1242.51	262.51	26.79
10	19–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-103-0101-राज्य आयोजना सामान्य-7317-ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	16.75	27.86	11.11	66.33
11	20–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-4379-समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	78.00	105.45	27.45	35.19
12	22–नगरीय विकास एवं पर्यावरण	2217-05-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7706-स्वच्छ भारत अभियान	0.50	14.80	14.30	28.60
13	22–नगरीय विकास एवं पर्यावरण	2217-05-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1238-अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन	177.99	314.22	136.23	76.54
14	23–जल संसाधन	2701-80-001-0101-राज्य आयोजना सामान्य-3300-मण्डल स्थापना	40.25	60.11	19.86	49.34
15	24–लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	5054-03-101-0101-राज्य आयोजना सामान्य- 6651-रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	50.00	89.95	39.95	79.90
16	27–स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-01-201-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7592-शालाओं में शौचालयों का निर्माण/जीर्णोद्धार	50.00	156.25	106.25	212.50
17	29–विधि और विधायी कार्य	2014-105-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6269-न्याय व्यवस्था में सुधार (13वां वित्त आयोग)	0.001	11.48	11.48	1148000.00

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान/विनियोग के अंतर्गत योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
18	40–जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय–आयाकट	4705-800-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य–6648–वृहत एवं मध्यम परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र विकास, फील्ड चेनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेंसी	2.00	16.91	14.91	745.50
19	40–जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय–आयाकट	4705-223-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-2823-फील्ड चेनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेंसी, ड्रेन एवं अन्य कार्य	7.50	17.50	10.00	133.33
20	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	10–वन विभाग 2406-01-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–7882-कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन–संरक्षण समूह	4.94	17.23	12.29	248.79
21	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	23–योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 4515-796-103-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–8284-म.प्र. विधान सभा निर्वाचन (क्षेत्र) विकास योजना	39.36	50.99	11.63	29.55
22	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25–आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–1385-छात्र गृह योजना	20.79	40.06	19.27	92.69
23	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31–जल संसाधन विभाग 4701-95-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	सांकेतिक	10.00	10.00	-
24	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31–जल संसाधन विभाग 4702-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–3828-लघु सिंचाई योजना	35.00	102.60	67.60	193.14
25	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31–जल संसाधन विभाग 4702-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–6079-सुधार, सुदृढ़ीकरण, पुनर्स्थापना (आर.आर.आर)	20.00	36.71	16.71	83.55
26	42–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	5054-04-796-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि–2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	0.0001	13.27	13.27	13270000.00
27	45–लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6079-सुधार, सुदृढ़ीकरण, पुनर्स्थापना (आर.आर. आर)	50.00	83.34	33.34	66.68
28	55–महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-6741-मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (विदेशी सहायता)-	0.0008	52.40	52.40	6550000.00
29	58–प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-101-0747-ओला पीड़ितों को राहत	145.00	394.45	249.45	172.03

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान/विनियोग के अंतर्गत योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
30	58–प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-05-101-0475-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण प्राकृतिक आपदा अनखर्चि मार्जिन–धन निधि अकाल राहत निधि	877.00	1545.00	668.00	76.17
31	58–प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-7249-कीट प्रकोप से फसल को क्षति	70.00	436.19	366.19	523.13
32	64–अनुसूचित जाति उपयोजना	27–नर्मदा घाटी विकास विभाग 4700-43-789-800-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एस.सी.एस.पी.)-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	53.15	119.55	66.40	124.93
33	73–चिकित्सा शिक्षा	4210-03-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6335-चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नयन	0.0002	11.65	11.65	5825000.00
34	74–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2501-06-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7571-मुख्यमंत्री स्वरोजगार आर्थिक कल्याण योजना	2.65	12.65	10.00	377.36
35	74–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-198-6226-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को विशेष क्षेत्र अनुदान	0.0001	20.32	20.32	20320000.00
36	74–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-198-6244-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को सामान्य अनुदान	0.0001	204.08	204.08	204080000.00
37	74–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-198-8214-सचिवालयीन व्यवस्था	50.00	87.74	37.74	75.48
38	75–नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-1319-मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना एवं पेयजल योजनाओं हेतु हुडको से लिये गये ऋण/ब्याज का पुनर्भुगतान	115.00	144.06	29.06	25.25
39	75–नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1237-हाउसिंग फार ऑल	25.00	231.47	206.47	825.88
योग			**4735.93**	**9212.29**	**4476.36**	**94.52**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.2 (ग)
योजनाओं के प्रकरण जिनमें ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा
(संदर्भः कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 50)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पी.डी.	लोक ऋण	6003–110–0779–कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100
2	पी.डी.	लोक ऋण	6003–110–0637–उपाय तथा साधन अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100
3	03	पुलिस	2055–109–1501–अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)–7448–महानगरीय पुलिस सुरक्षा व्यवस्था एवं राजमार्ग सुरक्षा	25.00	निरंक	25.00	100
4	03	पुलिस	2055–800–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–7350–ऑटोमेटिक स्वचलित अंगुल चिन्ह व्यवस्था	16.10	निरंक	16.10	100
5	03	पुलिस	4055–208–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–7185–राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना	22.63	निरंक	22.63	100
6	06	वित्त	2070–800–1301–केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)–7720–केन्द्रीय वित्त आयोग	4000.00	निरंक	4000.00	100
7	06	वित्त	2071–01–200–5653–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	39.78	निरंक	39.78	100
8	06	वित्त	2070–800–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–0224–अन्य व्यय	1062.00	निरंक	1062.00	100
9	06	वित्त	2701–01–101–9999–एकीकृत मध्य प्रदेश	14.00	निरंक	14.00	100
10	06	वित्त	6075–800–6787–गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	50.00	निरंक	50.00	100
11	06	वित्त	6075–800–6788–राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	निरंक	25.00	100
12	07	वाणिज्यिक कर	2030–02–797–6001–म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण	150.00	निरंक	150.00	100
13	08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029–103–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–5070–कम्प्यूटरों का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी उपकरण	12.37	निरंक	12.37	100
14	10	वन	2406–01–001–0812–कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	26.63	निरंक	26.63	100
15	10	वन	2406–01–102–1306–वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय	31.81	निरंक	31.81	100
16	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	6851–101–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–7140–एम.पी.एस.आई.डी.सी. के कर्जदारों को भुगतान हेतु ऋण	22.16	निरंक	22.16	100
17	12	ऊर्जा	2801–80–101–9023–कृषक समृद्धि योजना हेतु अनुदान	143.50	निरंक	143.50	100

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
18	12	ऊर्जा	6801–190–1201–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाऐं (सामान्य)–1284– पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.वी.–3)	207.27	निरंक	207.27	100
19	12	ऊर्जा	6801–190–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–2967–बिजली बोर्ड को अन्य उधार (जनरेटिंग कम्पनी)	40.00	निरंक	40.00	100
20	12	ऊर्जा	6801–204–0101– राज्य आयोजना (सामान्य)–6869– राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	30.71	निरंक	30.71	100
21	12	ऊर्जा	6801–205–1201–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाऐं (सामान्य)–7255–33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों एवं डी.टी.आर. मीटरिंग के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु	140.00	निरंक	140.00	100
22	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401–102–0801–केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य–7499– सब मिशन स्वाईल हेल्थ मेनेजमेंट	15.00	निरंक	15.00	100
23	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401–105–0101–7716–राज्य आयोजना सामान्य–7716– सोलर पंप पर टॉप–अप अनुदान	11.05	निरंक	11.05	100
24	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401–109–0701–केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य–7494–सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	31.25	निरंक	31.25	100
25	14	पशुपालन	2403–800–0801– केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य–7645– राष्ट्रीय गौवंशीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम	18.00	निरंक	18.00	100
26	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	22–पंचायत 2501–06–789–198–0103–अनुसूचित जाति उपयोजना–9249–बेकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना	81.40	निरंक	81.40	100
27	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	22–पंचायत 2515–789–198–0703– केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.–7375–राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	27.27	निरंक	27.27	100
28	17	सहकारिता	2425–106–0101– राज्य आयोजना (सामान्य)–7827– अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	204.70	निरंक	204.70	100
29	17	सहकारिता	2425–107–0101– राज्य आयोजना (सामान्य)–9134– प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	58.41	निरंक	58.41	100
30	17	सहकारिता	6425–106–0101– राज्य आयोजना (सामान्य)– 7827– अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	445.00	निरंक	445.00	100
31	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215–01–102–0101– राज्य आयोजना (सामान्य)–7386– नर्मदा–क्षिपा लिंक परियोजना आधारित ग्रामीण जल प्रदाय योजना	10.00	निरंक	10.00	100

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
32	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	2217–05–800–1201– विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)–7336–-एम. पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	10.00	निरंक	10.00	100
33	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	6217–02–800–0900– निगम प्रवर्तित योजना–5244–शहरी विकास मंत्रालय द्वारा काउंटर मेग्नेट योजना के अन्तर्गत सहायता	10.51	निरंक	10.51	100
34	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	6217–60–800–1201– विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)–7336–-एम. पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	29.03	निरंक	29.03	100
35	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202–01–201–0101– राज्य आयोजना (सामान्य)–5776–सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना	20.00	निरंक	20.00	100
36	29	विधि और विधायी कार्य	2014–105–1301–6269–न्याय व्यवस्था में सुधार (13वां वित्त आयोग)	20.17	निरंक	20.17	100
37	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454–02–800–0801–केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)–1286–सांख्यिकी अनुदान	25.00	निरंक	25.00	100
38	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	6408–01–190–7585–धान पर अधिरोपित क्रय कर के भुगतान हेतु ब्याज रहित ऋण	100.00	निरंक	100.00	100
39	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20–स्कूल शिक्षा विभाग 2202–01–796–101–0102– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–5776–सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना	19.45	निरंक	19.45	100
40	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20–स्कूल शिक्षा विभाग 2202–02–796–109–0702– केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–6007–मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	60.00	निरंक	60.00	100
41	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	23–योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3454–02–796–112–0702– केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–1286–सांख्यिकी अनुदान	18.30	निरंक	18.30	100
42	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25–आदिम जाति कल्याण विभाग 2225–02–796–101–0802– केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–5155–योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275(1)	52.50	निरंक	52.50	100
43	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	38–उच्च शिक्षा विभाग 2202–03–796–103–1202–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)–7464– मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	45.00	निरंक	45.00	100

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
44	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	50–महिला एवं बाल विकास विभाग 2235–02–796–103–1202–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं–(आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)–9223–तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना	13.00	निरंक	13.00	100
45	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	58–ग्रामीण विकास विभाग–2515–796–800–1202– विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)–5853– डी.पी.आई.पी. योजनायें	11.20	निरंक	11.20	100
46	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13–ऊर्जा विभाग 6801–796–190–1202– विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं–(आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)–1284–पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.वी.–3)	41.00	निरंक	41.00	100
47	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13–ऊर्जा विभाग 6801–796–205–1202– विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं–(आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)–7255–33 / 11 के.व्ही. उपकेन्द्रों एवं डी.टी.आर. मीटरिंग के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु	24.10	निरंक	24.10	100
48	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25–आदिम जाति कल्याण विभाग 4225–02–796–277–0102–(आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)–0762–कन्या शिक्षा परिसर	40.00	निरंक	40.00	100
49	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	34–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 4215–01–796–800–1402–नाबार्ड (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)–7301–पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	107.48	निरंक	107.48	100
50	44	उच्च शिक्षा	2202–03–103–0101– राज्य आयोजना (सामान्य)–7463–शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेशित प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन का प्रदाय	35.00	निरंक	35.00	100
51	48	नर्मदा घाटी विकास	4700–80–800–0101– राज्य आयोजना (सामान्य)–7605– दरबारी उद्वहन सिंचाई योजना	10.00	निरंक	10.00	100
52	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	22–पंचायत विभाग 2501–06–796–198–0102– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–9249– बेकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना	209.60	निरंक	209.60	100
53	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	22–पंचायत विभाग 2501–06–796–198–0702– केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–5376– नक्सल प्रभावित क्षेत्र से संबंधित विशेष अधोसंरचना योजना	100.00	निरंक	100.00	100

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
54	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	22–पंचायत विभाग 2515–796–198–0702– केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–7375–राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	52.93	निरंक	52.93	100
55	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58–ग्रामीण विकास विभाग 2501–02–796–198–0702–केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–7466–नीरांचल परियोजना	12.00	निरंक	12.00	100
56	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	18–नगरीय विकास एवं पर्यावरण 2217–05–789–191–0703– केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.–1263– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	18.62	निरंक	18.62	100
57	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	18–नगरीय विकास एवं पर्यावरण 2217–05–789–191–0103– अनुसूचित जाति उपयोजना–6154– राजीव आवास योजना	13.00	निरंक	13.00	100
58	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	18–नगरीय विकास एवं पर्यावरण 2217–05–789–191–0103– अनुसूचित जाति उपयोजना–6981– जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीनीकरण मिशन	55.54	निरंक	55.54	100
59	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	18–नगरीय विकास एवं पर्यावरण 6217–60–789–800–1203– विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)–7336– मध्य प्रदेश शहरी सेवाओं का सुधार कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	68.97	निरंक	68.97	100
60	55	महिला एवं बाल विकास	2235–02–103–1201– विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)– 9223–तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना	42.25	निरंक	42.25	100
61	55	महिला एवं बाल विकास	4235–02–800–1501–अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)–7449–सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण	13.52	निरंक	13.52	100
62	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245–01–101–8874–सूखा राहत एवं रोजगार के लिए अतिरिक्त प्रावधान	35.00	निरंक	35.00	100
63	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2515–800–1201–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)–5853– डी.पी. आई.पी. योजनाएं	10.00	निरंक	10.00	100
64	63	अल्प संख्यक कल्याण	2225–03–800–0801–केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं (सामान्य)–5617–अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	19.00	निरंक	19.00	100

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
65	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	23–योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3454–02–789–112–0703– केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)–1286–सांख्यिकी अनुदान	11.65	निरंक	11.65	100
66	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	38–उच्च शिक्षा विभाग 2202–03–789–103–1202–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)–7464– मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	45.00	निरंक	45.00	100
67	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	55–अनुसूचित जाति कल्याण विभाग–2225–01–789–277–0803 – केन्द्र क्षेत्रीय योजना (एस.सी.एस.पी.)–7765– पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	30.00	निरंक	30.00	100
68	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13–ऊर्जा विभाग 6801–789–190–1203– विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं–(एस.सी.एस. पी.)–1284–पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.बी.–3)	25.00	निरंक	25.00	100
69	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13–ऊर्जा विभाग 6801–789–190–1203– विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाऐं–(एस.सी.एस. पी.)–6929–पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	32.00	निरंक	32.00	100
70	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	31–जल संसाधन विभाग 4702–789–800–1503– अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एस.सी.एस.पी.) (सामान्य)–6708–ए.आई.बी.पी. योजनायें	24.88	निरंक	24.88	100
71	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4210–03–105–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–7296–चिकित्सा महाविद्यालयों भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	20.00	निरंक	20.00	100
72	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217–05–796–191–0102–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–6981–जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीनीकरण मिशन	16.00	निरंक	16.00	100
73	73	चिकित्सा शिक्षा	2210–05–105–4968–चिकित्सा महाविद्यालय	31.00	निरंक	31.00	100
74	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2501–01–001–0701–केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)–7466–नीरांचल परियोजना	37.50	निरंक	37.50	100

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
75	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2501–06–198–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–5484–समन्वित आजीविका कार्यक्रम अन्तर्गत जनसहयोग से व्यवसायिक प्रशिक्षण	24.00	निरंक	24.00	100
76	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515–198–0701–केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)–7375–राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	82.38	निरंक	82.38	100
77	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515–198–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–9249–बेकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना	356.20	निरंक	356.20	100
78	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217–05–800–0701–केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)–6154–राजीव आवास योजना	186.00	निरंक	186.00	100
79	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217–60–191–5728–पेयजल पूर्ति के लिए नगरीय निकायों को कर्जे	25.00	निरंक	25.00	100
80	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810–02–102–0410–ऊर्जा विकास निधि–3220–मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को सहायता अनुदान	25.00	निरंक	25.00	100
81	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202–02–109–0701–केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)–6007–मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	100.00	निरंक	100.00	100
योग				**13374.82**		**13374.82**	

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.3

पिछले वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है

(संदर्भः कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 50)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों / विनियोगों की संख्या	अनुदान / विनियोग संख्या	आधिक्य की राशि
1	**2**	**3**	**4**
2003-04	04 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 68, 84 पूंजीगत (दत्तमत): 35, 94 राजस्व (प्रभारित): 20, 67 पूंजीगत (प्रभारित): 23	2.54
2004-05	13 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24, 59, 67, 92, 94 पूंजीगत (दत्तमत): 6, 19, 30, 59, 66, 78, 84, 86 राजस्व (प्रभारित): 67 पूंजीगत (प्रभारित): 45	83.66
2005-06	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24, 67 पूंजीगत (दत्तमत): 6, 39 पूंजीगत(प्रभारित): 21, 45	37.58
2006-07	02 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24, 67 पूंजीगत (प्रभारित): 24	35.99
2008-09	02 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 62 पूंजीगत (दत्तमत): 43 राजस्व (प्रभारित): 24 पूंजीगत (प्रभारित): 24	5.80
2009-10	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 3, 27, 32, 49	123.96
2010-11	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 23 पूंजीगत (प्रभारित): 24	12.62
2011-12	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 33 पूंजीगत (दत्तमत): 15, 52, 74 राजस्व (प्रभारित): 23 पूंजीगत (प्रभारित: 23	135.10
2012-13	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 10 पूंजीगत (प्रभारित): 24	0.24
2013-14	02 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 02 पूंजीगत (दत्तमत): 10 पूंजीगत (प्रभारित): 21	34.32
2014-15	03 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 02, 06 पूंजीगत(दत्तमत): 42 राजस्व (प्रभारित): 24, 67 पूंजीगत (प्रभारित): 41	446.28
योग	**38 अनुदान एवं 20 विनियोग**		**918.09**

परिशिष्ट 2.4
प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भः कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	2	3	4	5	6
क–राजस्व (दत्तमत)					
1	02–सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	60.64	56.52	4.12	1.22
2	03–पुलिस	4963.37	4341.70	621.67	133.72
3	04–गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	40.15	31.90	8.25	27.00
4	05–जेल	270.64	258.40	12.24	16.78
5	06–वित्त	13569.63	7959.81	5609.82	4.86
6	07–वाणिज्यिक कर	2573.73	1815.69	758.04	15.30
7	10–वन	2241.44	1764.97	476.47	167.51
8	13–किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1881.23	1292.86	588.37	1647.52
9	14–पशुपालन	677.04	573.67	103.37	43.53
10	15–अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2323.25	1606.53	716.72	66.68
11	16–मछली पालन	63.64	51.17	12.47	6.63
12	18–श्रम	182.24	149.15	33.09	2.31
13	21–लोक सेवा प्रबंधन	102.50	89.21	13.29	3.00
14	23–जल संसाधन	833.67	690.71	142.96	4.20
15	24–लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	1192.75	1175.08	17.67	325.10
16	26–संस्कृति	121.20	109.65	11.55	17.83
17	27–स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	6977.23	5595.55	1381.68	75.21
18	28–राज्य विधान मंडल	72.44	64.78	7.66	4.60
19	29–विधि और विधायी कार्य	728.32	632.12	96.20	48.49
20	30–ग्रामीण विकास	553.00	428.24	124.76	5.15
21	31–योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	134.84	68.15	66.69	14.45
22	34–सामाजिक न्याय	168.52	160.67	7.85	59.45
23	36–परिवहन	114.23	64.80	49.43	7.57
24	38–आयुष	369.26	292.40	76.86	40.43
25	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5908.07	3997.01	1911.06	267.72
26	43–खेल और युवक कल्याण	92.10	74.30	17.80	13.42
27	44–उच्च शिक्षा	1725.01	1393.78	331.23	161.00
28	45–लघु सिंचाई निर्माण कार्य	130.56	124.44	6.12	5.00
29	46–विज्ञान और टेक्नालॉजी	207.84	203.31	4.53	5.50
30	47–तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	534.29	410.78	123.51	22.27
31	48–नर्मदा घाटी विकास	14.84	14.46	0.38	7.41

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
32	51–धार्मिक न्यास और धर्मस्व	117.23	113.49	3.74	15.50
33	52–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3332.95	2186.62	1146.33	93.99
34	53–अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	280.07	186.38	93.69	25.00
35	55–महिला एवं बाल विकास	2847.80	2585.75	262.05	76.65
36	56–ग्रामोद्योग	218.22	150.18	68.04	4.28
37	61–बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	49.34	41.48	7.86	8.00
38	64–अनुसूचित जाति उपयोजना	3847.68	2792.65	1055.03	385.84
39	66–पिछड़ा वर्ग कल्याण	880.45	777.87	102.58	269.00
40	67–लोक निर्माण कार्य–भवन	641.10	440.67	200.43	2.90
41	72–भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	94.50	74.64	19.86	1.44
42	73–चिकित्सा शिक्षा	532.46	505.81	26.65	43.37
43	77–स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2364.14	1577.78	786.36	9.50
योग (क)		**64033.61**	**46925.13**	**17108.48**	**4156.33**
ख–पूंजीगत (दत्तमत)					
44	11–वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	586.53	498.87	87.66	4.60
45	12–ऊर्जा	3732.56	2532.49	1200.07	201.91
46	17–सहकारिता	232.30	167.75	64.55	390.00
47	39–खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	114.20	19.77	94.43	23.82
48	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2699.30	2291.83	407.47	690.74
49	60–जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	213.03	185.45	27.58	26.17
50	61–बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	263.71	221.30	42.41	20.00
51	64–अनुसूचित जाति उपयोजना	2488.64	2200.73	287.91	549.82
52	67–लोक निर्माण कार्य–भवन	232.91	172.29	60.62	8.00
53	73–चिकित्सा शिक्षा	39.66	39.65	0.01	4.03
योग (ख)		**10602.84**	**8330.13**	**2272.71**	**1919.09**
ग–राजस्व (प्रभारित)					
54	29–विधि और विधायी कार्य	*83.53*	*79.51*	*4.02*	*14.41*
योग (ग)		***83.53***	***79.51***	***4.02***	***14.41***
योग (क+ख+ग)		**74719.98**	**55334.77**	**19385.21**	**6089.83**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.5
प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक)
(संदर्भः कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6
क–राजस्व(दत्तमत)					
1	01–सामान्य प्रशासन	337.28	60.13	342.72	54.69
2	11–वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	1191.23	162.12	1299.37	53.98
3	12–ऊर्जा	5471.43	2447.75	7073.04	846.14
4	17–सहकारिता	498.94	863.41	908.89	453.46
5	22–नगरीय विकास एवं पर्यावरण	679.68	829.74	1379.23	130.19
6	37–पर्यटन	75.34	12.30	87.12	0.52
7	39–खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1133.83	468.97	1242.65	360.15
8	50–उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	449.72	121.75	454.09	117.38
9	58–प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	1997.00	4128.00	5983.15	141.85
10	71–सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय	138.00	942.00	729.67	350.33
11	74–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	11124.35	3927.88	11344.34	3707.89
12	75–नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	5559.75	1210.35	6500.47	269.63
योग (क)		**28656.55**	**15174.40**	**37344.74**	**6486.21**
ख–पूंजीगत (दत्तमत)					
13	01–सामान्य प्रशासन	27.13	53.98	71.83	9.28
14	23–जल संसाधन	2500.42	685.00	3098.22	87.20
15	24–लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	2228.23	669.22	2233.64	663.81
16	27–स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	233.50	137.21	241.25	129.46
17	36–परिवहन	20.00	40.00	52.68	7.32
18	38–आयुष	5.00	26.50	11.52	19.98
19	44–उच्च शिक्षा	44.45	48.80	87.54	5.71
20	45–लघु सिंचाई निर्माण कार्य	511.30	145.00	599.73	56.57
21	47–तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	67.65	62.19	99.77	30.07
22	55–महिला एवं बाल विकास	25.02	52.39	40.06	37.35
23	57–जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	244.76	85.04	320.17	9.63
24	66–पिछड़ा वर्ग कल्याण	6.85	15.05	12.05	9.85
25	71–सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय	137.00	431.00	402.79	165.21
योग (ख)		**6051.31**	**2451.38**	**7271.25**	**1231.44**
ग–राजस्व (प्रभारित)					
26	आई.पी.–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	*8057.72*	*345.11*	*8090.88*	*311.95*
27	75–नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	*253.06*	*10.00*	*257.69*	*5.37*
योग (ग)		***8310.78***	***355.11***	***8348.57***	***317.32***
योग (क+ख+ग)		**43018.64**	**17980.89**	**52964.56**	**8034.97**

अतिरिक्त आवश्यकताः वास्तविक व्यय–मूल प्रावधान =52964.56 करोड़– 43018.64 करोड़= 9945.92 करोड़
(स्रोतः वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.6
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)
(संदर्भः कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/ बचत (-)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	03	पुलिस	2055–104–4492–सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	(+)1.51	(-)7.95	100
2	07	वणिज्यिक कर	2030–01–001–8808–सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	(+)4.10	(-)7.02	100
3	07	वणिज्यिक कर	2030–03–001–1480–जिला प्रभार	(+)1.77	(-)14.17	100
4	08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	2053–093–1509–जिला स्थापना	(+)1.17	(-)81.24	100
5	14	पशुपालन	2403–109–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–5899–पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर	(+)5.65	(-)1.25	22.12
6	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215–01–102–0701–केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)–4379–समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	(+)30.00	(-)2.55	8.50
7	40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय–आयाकट	4705–204–0701–केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)–2823– फील्ड चेनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेंसी, ड्रेन एवं अन्य कार्य	(+) 1.12	(-)17.48	100
8	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31–जल संसाधन विभाग 4700–01–796–800–1202–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)–6258–डेम रिहेवीलिटेशन एण्ड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट	(+)5.21	(-)2.42	46.45
9	44	उच्च शिक्षा	2202–03–104–7043–जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	(+)10.25	(-)5.12	49.95
10	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245–02–101–0747–ओला पीड़ितों को राहत	(+)263.94	(-)14.48	5.49
11	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245–80–800–7249–कीट प्रकोप से फसल को क्षति	(+)373.23	(-)7.03	1.88
12	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4701–57–800–1501–अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)–2884–नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(+)10.00	(-)10.71	100
13	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	31–जल संसाधन विभाग 4700–13–789–800–1503–अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)–2884–नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(+)33.35	(-)3.56	10.67
14	73	चिकित्सा शिक्षा	2210–05–105–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)– 4968–चिकित्सा महाविद्यालय	(+)1.51	(-)13.58	100
15	03	पुलिस	2055–109–4491–सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	(-)150.70	(+)10.40	6.90
16	10	वन	2406–01–001–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–2723–प्रशासन सुदृढ़ीकरण	(-)9.76	(+)1.16	11.89

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/ बचत (-)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
17	10	वन	2406–01–101–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–7882–कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन–संरक्षण समूह	(-)6.71	(+)1.24	18.48
18	10	वन	2406–01–203–0535–टिम्बर	(-)54.43	(+)4.96	9.11
19	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	26–सामाजिक न्याय विभाग 2235–60–789–198–0103– अनुसूचित जाति उपयोजना–5863– इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	(-)7.31	(+)11.18	100
20	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	26–सामाजिक न्याय विभाग 2235–60–789–198–0103– अनुसूचित जाति उपयोजना–8786–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	(-)2.00	(+)2.40	100
21	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	2217–05–800–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–7145–मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम	(-)10.02	(+)18.00	100
22	23	जल संसाधन	2700–11–101–2894–बांध तथा नहरें	(-)8.42	(+)1.66	19.71
23	23	जल संसाधन	2700–80–800–6360–निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	(-)2.99	(+)1.00	33.44
24	23	जल संसाधन	2701–80–001–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–3300–मण्डल स्थापना	(-)20.29	(+)40.16	100
25	23	जल संसाधन	2701–80–001–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–3556–मुख्यालय स्थापना यूनिट–एक	(-)6.04	(+)9.64	100
26	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	3054–04–337–0134–अनुरक्षण और मरम्मत–साधारण मरम्मत	(-)63.40	(+)135.05	100
27	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	5054–04–800–1401–नाबार्ड (सामान्य)–5226–ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)	(-)209.66	(+)6.84	3.26
28	29	विधि और विधायी कार्य	2015–103–3307–मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण	(-)31.51	(+)2.33	7.39
29	30	ग्रामीण विकास	2515–001–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–1033–विकासखण्ड कार्यालय	(-)29.81	(+)7.89	26.47
30	34	सामाजिक न्याय	2235–02–001–2304–निदेशन एवं प्रशासन	(-)3.92	(+)1.21	30.87
31	40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय–आयाकट	4705–218–0701–केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)–2823–फील्ड चेनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेंसी, ड्रेन एवं अन्य कार्य	(-)3.35	(+)1.00	29.85
32	40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय–आयाकट	4705–800–0701–केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)–6648– वृहद एवं मध्यम परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र विकास, फील्ड चैनल का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेन्सी	(-)2.00	(+)16.91	100
33	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	10–वन विभाग 2406–01–796–101–0102–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–7882–कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन–संरक्षण समूह	(-)2.81	(+)15.10	100

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/ बचत (-)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
34	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	26–सामाजिक न्याय विभाग 2235–60–796–193–0102– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–5859–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन	(-)2.00	(+)4.46	100
35	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	27–नर्मदा घाटी विकास विभाग 4701–45–796–800–1502–अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)–5152–हालोन परियोजनाऐं	(-)33.43	(+)4.31	12.89
36	48	नर्मदा घाटी विकास	4700–80–800–1501–अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)–6398–पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना	(-)2.62	(+)5.17	100
37	55	महिला एवं बाल विकास	2235–02–102–0701–केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)–0658–एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	(-)172.61	(+)1.34	0.78
38	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4701–61–800–1501–अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)–2884–नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(-)9.00	(+)10.67	100
39	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	19–लोक निर्माण विभाग 5054–03–789–101–0103– अनुसूचित जाति उपयोजना–6651–रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	(-)2.55	(+)9.47	100
40	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	27–नर्मदा घाटी विकास विभाग 4700–43–789–800–1503–अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एस.सी.एस.पी.)–2884–नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(-)1.00	(+)67.40	100
41	67	लोक निर्माण कार्य–भवन	2059–01–053–3383–विशेष मरम्मत भवन	(-)15.00	(+)8.53	56.87
42	67	लोक निर्माण कार्य–भवन	2059–01–053–3387– मरम्मत–विश्राम गृह	(-)7.00	(+)2.60	37.14
43	67	लोक निर्माण कार्य–भवन	2059–01–053–3645–शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों का रख–रखाव	(-)1.86	(+)1.24	66.67
44	67	लोक निर्माण कार्य–भवन	4059–01–051–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–7094–जेल सुधारों की योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य	(-)3.00	(+)1.92	64.00
45	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2235–02–193–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–5859– इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन	(-)2.20	(+)2.51	100
46	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2235–02–193–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)– 9142–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	(-)9.02	(+)11.95	100

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.7
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) हुई है परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया
(संदर्भः कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
1	**2**	**3**	**4**
I-अनुदान			
राजस्व (दत्तमत)			
1	05	जेल	29.02
2	08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	335.61
3	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	25.13
4	17	सहकारिता	453.46
5	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	357.85
6	25	खनिज साधन	11.65
7	36	परिवहन	57.01
8	43	खेल और युवक कल्याण	31.23
9	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	141.85
10	62	पंचायत	40.24
11	70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	3.66
12	72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	21.30
13	73	चिकित्सा शिक्षा	70.03
14	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	48.12
पूंजीगत (दत्तमत)			
15	06	वित्त	137.26
16	08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	4.15
17	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	1.49
18	17	सहकारिता	454.55
19	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8.78
20	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	129.46
21	36	परिवहन	7.32
22	38	आयुष	19.98
23	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	3.00
24	72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	2.40
25	73	चिकित्सा शिक्षा	4.04
26	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	3.40
27	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	47.29
II-विनियोग			
राजस्व (प्रभारित)			
28	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	311.95
29	06	वित्त	15.93
30	08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	2.24
पूंजीगत (प्रभारित)			
31	पी.डी.	लोक ऋण	3912.80
32	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	37.25
		योग	**6729.45**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.8
31 मार्च 2016 को ₹ 10 करोड़ या अधिक के निधियों के समर्पण के प्रकरण
(संदर्भः कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान	समर्पण की राशि	समर्पण का कुल प्रावधान से प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	1	2051	61.74	53.97	87.41
2	1	2251	35.70	10.88	30.48
3	3	2055	4765.71	363.26	7.62
4	3	4055	203.71	27.50	13.50
5	6	2075	33.57	16.91	50.37
6	10	2406	2357.91	479.13	20.32
7	10	4406	60.00	13.47	22.45
8	11	2851	110.10	24.04	21.83
9	11	2852	1210.19	19.27	1.59
10	11	4851	246.10	40.08	16.29
11	11	6851	56.16	32.16	57.26
12	11	6856	250.00	15.00	6.00
13	12	2801	7887.97	837.06	10.61
14	12	4801	637.40	408.80	64.14
15	12	6801	3297.07	838.67	25.44
16	13	2401	3452.14	1855.94	53.76
17	15	2216	282.33	67.19	23.80
18	15	2225	389.27	108.17	27.79
19	15	2235	193.41	35.99	18.61
20	15	2501	234.33	41.40	17.67
21	15	2505	510.00	239.18	46.90
22	15	2515	365.45	141.11	38.61
23	15	4515	60.00	33.64	56.07
24	21	2053	105.50	14.64	13.88
25	22	2217	1376.81	97.42	7.08
26	23	2700	151.98	18.02	11.86
27	23	2701	685.99	129.82	18.92
28	23	4700	2636.81	38.16	1.45
29	23	4701	537.06	16.83	3.13
30	24	3054	1519.60	322.94	21.25
31	24	5053	40.00	26.33	65.82
32	24	5054	2951.95	589.23	19.96
33	26	2205	126.04	25.65	20.35
34	29	2014	697.88	69.17	9.91
35	29	2015	134.25	75.28	56.07
36	30	2515	502.89	122.44	24.35
37	30	4515	1508.55	260.55	17.27
38	32	2220	204.52	19.81	9.69
39	33	2202	1222.59	215.36	17.61
40	33	2225	367.22	78.26	21.31
41	34	2235	210.50	62.07	29.49
42	39	2408	1583.64	346.78	21.90
43	39	6408	133.82	114.05	85.23
44	40	4705	158.37	28.94	18.27
45	41	2202	1886.95	115.43	6.12
46	41	2225	1125.72	329.46	29.27
47	41	2235	764.03	118.37	15.49
48	41	2236	357.84	16.53	4.62
49	41	2401	500.91	184.29	36.79
50	41	2406	371.00	28.22	7.61

स.क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान	समर्पण की राशि	समर्पण का कुल प्रावधान से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
51	41	2408	46.45	17.84	38.41
52	41	2515	106.84	33.59	31.44
53	41	4202	243.84	15.12	6.20
54	41	4225	489.97	130.29	26.59
55	41	4515	751.34	37.47	4.99
56	41	4700	362.22	143.92	39.73
57	41	4701	297.97	70.11	23.53
58	41	4702	225.10	17.87	7.94
59	41	4705	30.00	10.70	35.67
60	41	4801	166.36	48.25	29.00
61	41	6801	297.77	180.32	60.56
62	42	5054	855.13	154.94	18.12
63	44	2202	1886.53	76.95	4.08
64	45	2702	135.55	11.77	8.68
65	45	4702	656.40	37.95	5.78
66	48	4700	1426.21	487.11	34.15
67	48	4801	209.22	35.37	16.91
68	49	2225	95.23	13.06	13.71
69	50	2401	571.53	116.54	20.39
70	52	2202	829.78	290.37	34.99
71	52	2216	265.00	27.48	10.37
72	52	2225	372.15	137.84	37.04
73	52	2235	204.06	18.04	8.84
74	52	2501	438.26	24.40	5.57
75	52	2505	555.32	260.01	46.82
76	52	2515	350.93	86.45	24.63
77	52	4515	50.00	30.43	60.86
78	53	2217	305.07	53.06	17.39
79	55	2235	2241.65	292.57	13.05
80	55	2236	665.57	23.29	3.50
81	55	4235	77.41	37.33	48.22
82	56	2851	222.50	24.74	11.12
83	59	2515	10.00	10.00	100.00
84	63	2225	62.91	45.03	71.58
85	64	2055	59.94	13.67	22.81
86	64	2202	1121.35	59.75	5.33
87	64	2225	998.33	260.40	26.08
88	64	2235	477.03	143.12	30.00
89	64	2236	365.82	16.65	4.55
90	64	2401	397.81	164.27	41.29
91	64	2515	81.12	25.40	31.31
92	64	4202	97.77	12.50	12.79
93	64	4225	206.72	38.14	18.45
94	64	4515	440.68	13.18	2.99
95	64	4700	457.72	49.67	10.85
96	64	4801	186.31	65.31	35.05
97	64	5054	719.72	195.89	27.22
98	64	6801	344.08	170.22	49.47
99	66	2225	1149.45	369.86	32.18
100	67	2059	461.22	43.76	9.49
101	67	2216	185.20	64.80	34.99
102	67	4059	154.91	12.09	7.80
103	67	4216	41.50	12.61	30.39
104	71	2217	1080.00	281.76	26.09

स.क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान	समर्पण की राशि	समर्पण का कुल प्रावधान से प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
105	71	4217	488.00	25.15	5.15
106	74	2216	809.98	301.28	37.20
107	74	2501	448.20	159.39	35.56
108	74	2505	3731.18	2133.40	57.18
109	74	2515	2943.79	360.58	12.25
110	75	2202	668.73	22.14	3.31
111	75	2235	201.14	18.50	9.20
112	75	3604	4768.58	104.27	2.19
113	75	6217	25.00	25.00	100.00
योग			**87178.23**	**17329.84**	**19.88**

(स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.)–I मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.9
निधियों की पुनर्विनियोग/समर्पणों की दोषपूर्ण स्वीकृतियां
(संदर्भः कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान संख्या	राशि	अनियमितताओं का विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	29	आई.पी.,1,2,6,7,21,22,25,26,29,30, 36,39,41,44,55,56,64,67,72	560.02	वित्त वर्ष 2015–16 की समाप्ति के पश्चात स्वीकृति जारी की गईं थीं।
2	25	15,20,21,41,43,47,49,64,70,72,75	127.35	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति अर्थात लेखों को बंद करने एवं अंतिम रुप देने के पश्चात।
3	06	10,27,41,77	1774.22	योजनाओं का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त न होना।
4	05	1,21,24,64,75	39.66	समर्पण/पुनर्विनियोग राशि का प्रावधान से आधिक्य।
5	01	74	0.02	एक अनुदान से दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोग।
योग	**66**	**32**	**2501.27**	

(स्रोतः प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.10
व्यय की अत्यधिकता
(संदर्भः कंडिका 2.3.10; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी–मार्च 2016 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2016 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी–मार्च 2016	मार्च 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आई.पी.–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	5025	95.54	48.54	95.54	100	50.81
2	आई.पी.–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	5878	42.43	42.43	42.43	100	100
3	आई.पी.–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6880	29.68	29.68	29.68	100	100
4	आई.पी.–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6622	67.42	67.42	67.42	100	100
5	01–सामान्य प्रशासन	7376	17.00	17.00	27.00	62.96	62.96
6	03–पुलिस	7189	22.77	21.17	22.84	99.67	92.69
7	03–पुलिस	7346	45.51	38.33	51.34	88.66	74.66
8	10–वन	7488	14.14	8.30	15.62	90.51	53.16
9	11–वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	6461	20.00	20.00	20.25	98.77	98.77
10	12–ऊर्जा	3218	490.20	490.20	490.20	100	100
11	12–ऊर्जा	6323	60.00	60.00	60.00	100	100
12	12–ऊर्जा	9250	85.00	85.00	85.00	100	100
13	13–किसान कल्याण तथा कृषि विकास	6673	33.23	33.23	33.23	100	100
14	13–किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1227	46.46	33.70	46.46	100	72.55
15	15–अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	5206	97.71	97.71	160.00	61.07	61.07
16	15–अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	5276	14.73	11.62	15.21	96.86	76.43
17	22–नगरीय विकास एवं पर्यावरण	1238	306.22	293.87	310.22	98.71	94.73
18	22–नगरीय विकास एवं पर्यावरण	6022	20.00	14.99	20.00	100	74.95
19	22–नगरीय विकास एवं पर्यावरण	7705	304.19	290.19	304.19	100	95.40
20	25–खनिज साधन	6606	635.01	635.01	635.01	100	100
21	27–स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	6011	28.46	28.46	28.46	100	100

स. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी–मार्च 2016 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2016 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी–मार्च 2016	मार्च 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
22	27–स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	6344	13.92	13.92	20.80	66.92	66.92
23	34–सामाजिक न्याय	5614	12.00	12.00	12.00	100	100
24	37–पर्यटन	7630	78.03	78.03	113.13	68.97	68.97
25	38–आयुष	1277	43.73	43.70	43.82	99.79	99.72
26	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	7211	54.18	54.18	104.68	51.76	51.76
27	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	7827	44.58	44.58	44.58	100	100
28	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	7881	95.91	95.76	108.80	88.16	88.02
29	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1288	15.30	14.07	22.20	68.90	63.39
30	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	9254	33.07	33.07	66.00	50.11	50.11
31	44–उच्च शिक्षा	7643	43.20	36.44	62.70	68.90	58.12
32	46–विज्ञान और टेक्नालॉजी	7614	15.00	15.00	26.00	57.69	57.69
33	46–विज्ञान और टेक्नालॉजी	7615	18.00	18.00	26.00	69.23	69.23
34	50–उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	6497	11.65	9.41	17.57	66.33	53.59
35	52–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	5206	135.87	135.87	200.00	67.94	67.94
36	53–अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	7144	11.72	11.72	15.43	76.00	76.00
37	53–अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6221	78.00	78.00	78.00	100	100
38	55–महिला एवं बाल विकास	6917	11.60	11.60	11.65	99.55	99.51
39	56–ग्रामोद्योग	6328	21.79	21.79	25.64	85.01	85.01
40	58–प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	0475	552.96	668.00	668.00	82.78	100
41	64–अनुसूचित जाति उपयोजना	7827	43.78	43.78	43.78	100	100
42	64–अनुसूचित जाति उपयोजना	9254	16.61	16.61	16.61	100	100

स. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी–मार्च 2016 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2016 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी–मार्च 2016	मार्च 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
43	64–अनुसूचित जाति उपयोजना	8284	23.43	20.38	34.47	67.98	59.13
44	64–अनुसूचित जाति उपयोजना	8908	63.13	63.13	113.13	55.80	55.80
45	64–अनुसूचित जाति उपयोजना	1283	38.85	38.85	38.85	100	100
46	74–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6968	49.85	39.73	68.36	72.92	58.12
47	74–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	8214	56.41	49.68	87.74	64.29	56.61
48	75–नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6221	207.50	205.89	307.50	67.48	66.95
49	75–नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1237	231.47	223.07	231.47	100	96.37
योग			**4497.24**	**4463.11**	**5169.01**	**87.00**	**86.34**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.11
8443–सिविल जमा–800–अन्य जमा में निधियों का अंतरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(संदर्भः कंडिका 2.3.11; पृष्ठ 53)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	विस्तृत शीर्ष तक लेखा का शीर्ष तथा योजना का नाम	कुल बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	किया गया व्यय	8443–सिविल जमा–800–अन्य जमा में अंतरित राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	26–संस्कृति	4202-04-800-0701-7722-टैगोर कला संकुल, खण्डवा	2.50	2.50	2.32
2	27–स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-0701-1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था–मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	65.05	53.90	0.69
3	55–महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-1201-6741-म.प्र. स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (विदेशी सहायता)	52.52	52.40	10.27
4	55–महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	825.59	654.32	39.23
5	61–बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2405-800-1501-5110-बुन्देलखण्ड क्षेत्र विकास	3.33	1.50	1.50
योग			**948.99**	**764.62**	**54.01**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.12
ऐसे प्रकरण जिनमें पिछले तीन वर्ष के दौरान ₹ एक करोड़ या अधिक के संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे
(संदर्भः कंडिका 2.3.13; पृष्ठ 53)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	योजना का नाम	वर्ष		
				2013-14	2014-15	2015-16
				कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)
1	2	3	4	5	6	7
1	पी.डी.	लोक ऋण	6003–110–0779–कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	2000.00	2000.00
2	06	वित्त	6075–800–6787–गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	100.00	50.00	50.00
3	06	वित्त	6075–800–6788–राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल. आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	25.00	25.00
4	06	वित्त	2071–01–101–9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	12.00	12.00	14.00
5	08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029–103–0801–केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं (सामान्य)–5917–भू–अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार	5.98	3.85	4.24
6	08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029–103–0701–केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)–6337–भू–अभिलेख का अद्यतीकरण (एन.एल.आर. एम.पी.)	9.40	12.50	1.00
7	12	ऊर्जा	6801–190–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) – 2967–बिजली बोर्ड को अन्य उधार (जनरेटिंग कम्पनी)	107.00	107.00	40.00
योग				**2259.38**	**2210.35**	**2134.24**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.13 (क)
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक)
(संदर्भः कंडिका 2.3.14; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

स.क.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
		उद्देश्य शीर्ष 42–सहायता अनुदान		
1	20	4215–जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	308.44	308.44
2	30	4515– अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	52.15	52.15
3	57	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	10.00	10.00
		योग (उद्देश्य शीर्ष 42–सहायता अनुदान)	**370.59**	**370.59**
		उद्देश्य शीर्ष 33–रखरखाव		
4	30	4515–800–0101–7252–तालाबों का उन्नयनीकरण	1.00	0.50
5	48	4700–45–001–909–ओंकारेश्वर परियोजना	26.71	23.71
6	48	4700–51–001–2428–निष्पादन स्थापना (यूनिट एक एवं दो)	1.05	0.61
7	48	4701–11–001–5223–मान परियोजना (नाबार्ड)	1.09	0.87
8	48	4701–12–001–4647–जोबट परियोजना (नाबार्ड)	1.38	1.17
9	48	4801–80–800–0101–4406–सरदार सरोवर के डूबान से प्रभावित क्षेत्र का भू–अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च	3.43	3.43
10	57	4700–64–001–1201–6831–पाँच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार–जल संसाधन विभाग	2.60	0.58
11	57	4700–64–800–1201–6831–पाँच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार–जल संसाधन विभाग	2.60	10.15
		योग (उद्देश्य शीर्ष 33–रखरखाव)	**39.86**	**41.02**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 2.13 (ख)
राजस्व अनुभाग के अंतर्गत गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक)
(संदर्भः कंड़िका 2.3.14; पेज 54)

(₹ करोड़ में)

स.क.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
		उद्देश्य शीर्ष 63–मशीन		
1	1	2015–निर्वाचन	22.50	22.43
2	2	2055–पुलिस	269.00	125.33
3	3	2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं	21.81	5.76
4	5	2056–जेल	9.62	7.58
5	6	2054–खजाना एवं लेखा प्रशासन	16.02	0.25
6	7	2039–राज्य उत्पाद शुल्क	7.01	3.16
7	8	2029–भू–राजस्व	5.01	0.65
8	10	2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी	11.21	4.51
9	14	2403–पशुपालन	15.57	9.18
10	17	2425–सहकारिता	1.03	0.84
11	18	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	6.61	4.39
12	19	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	42.16	31.57
13	22	2217–शहरी विकास	16.44	16.52
14	23	2701–मध्यम सिंचाई	2.00	0.30
15	32	2220–सूचना तथा प्रचार	1.97	1.97
16	38	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	10.69	9.69
17	41	2204–खेल तथा युवा सेवायें	1.20	1.20
18	41	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	5.05	4.34
19	41	2230–श्रम तथा रोजगार	40.35	14.85
20	41	2403–पशुपालन	2.33	0.20
21	41	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग	3.86	2.26
22	43	2204–खेल तथा युवा सेवाएं	9.08	8.06
23	44	2202–सामान्य शिक्षा	36.00	0.84
24	47	2203–तकनीकी शिक्षा	6.48	2.23
25	47	2230–श्रम तथा रोजगार	15.35	4.82
26	56	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग	1.65	0.73
27	64	2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं	1.00	1.13
28	64	2230–श्रम तथा रोजगार	9.71	8.33
29	64	2403–पशुपालन	2.72	0.34
30	64	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग	1.14	0.31
31	71	2217–शहरी विकास	82.50	31.10
32	73	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1.85	1.56
		योग (उद्देश्य शीर्ष 63–मशीन)	**678.92**	**326.43**
		उद्देश्य शीर्ष 64–वृहत कार्य		
33	39	3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1.65	0.89
34	48	2401–फसल कृषि–कर्म	1.52	1.52
		योग (उद्देश्य शीर्ष 64–वृहत कार्य)	**3.17**	**2.41**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 2.14
चयनित अनुदानों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचतें, जहाँ बचतें ₹ पांच करोड़ या अधिक थी
(संदर्भः कंड़िका 2.4.3; पेज 56)

(₹ करोड़ में)

स.क	योजना का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	प्रतिशत
1	2	3	4	5
27–स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)				
1	2202-01-001-1500-जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना	65.45	12.96	19.80
2	2202-01-001-3930-विकासखण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना–मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	62.74	12.17	19.40
3	2202-02-110-3491-माध्यमिक शालायें	1574.29	252.38	16.03
4	2202-01-101-4396-सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	2685.75	566.45	21.09
5	2202-01-102-9948-प्राथमिक शाला	210.00	70.37	33.51
6	2202-01-102-9949-माध्यमिक शालाओं को सहायक अनुदान	115.00	58.71	51.05
7	2202-02-110-3491-माध्यमिक शालायें	275.00	99.62	36.23
8	2202-01-101-0701-1502-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था	65.05	11.15	17.14
9	2202-01-101-0701- 8810-सर्व शिक्षा अभियान	1611.25	297.50	18.46
10	2202-01-108-0101-6813-साइकिलों का प्रदाय	52.20	10.00	19.16
11	2202-03-103-0101-7617-जबलपुर में स्थानाच्युत भवनों का निर्माण (पी.एस.एम. केम्पस)	5.00	5.00	100
12	2202-01-108-0701-6809-कस्तुरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय	52.50	37.75	71.90
13	4202-01-800-0701-8810-सर्व शिक्षा अभियान	125.34	106.25	84.77
14	4202-01-201-0101-5776-सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना	20.00	20.00	100
47–तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास				
15	2203-104-0101-8885-स्वशासी तकनीकी संस्थाओं का सहायता	55.99	10.23	18.27
16	2203-105-0101-2667-पॉलीटेक्निक संस्थाएं	145.02	25.98	17.91
17	2203-105-0701-2667-पॉलीटेक्निक संस्थाएं	5.29	5.28	99.81
18	2203-112-0503-इंजीनियरिंग महाविद्यालय	43.67	8.19	18.75
19	2230-03-003-0101- 0717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	148.65	12.72	8.55
20	4202-02-104-1401-6952-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण	100.00	25.51	25.51
योग		**7418.19**	**1648.22**	**22.22**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे एवं विस्तृत विनियेग लेखे)

परिशिष्ट 2.15

पूंजीगत अनुभाग से संबंधित पूंजीगत परिसम्पत्तियों के उद्देश्य शीर्ष 63–मशीन के अधीन प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान राशि ₹ एक लाख तथा अधिक का राजस्व अनुभाग में वर्गीकरण (संदर्भः कंड़िका 2.4.5; पृष्ठ 56)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष	उद्देश्य शीर्ष	योजना शीर्ष	राशि
1	2203	63–मशीन–001–मशीन और संयत्र	1869	2.00
2	2203	63–मशीन–001–मशीन और संयत्र	7385	0.70
3	2203	63–मशीन–001–मशीन और संयत्र	2667	0.80
4	2230	63–मशीन–001–मशीन और संयत्र	0717	0.25
5	2230	63–मशीन–001–मशीन और संयत्र	6471	4.69
6	2230	63–मशीन–001–मशीन और संयत्र	6472	2.00
7	2230	63–मशीन–001–मशीन और संयत्र	6475	1.00
8	2230	63–मशीन–001–मशीन और संयत्र	6477	0.80
9	2230	63–मशीन–001–मशीन और संयत्र	6727	2.29
10	2230	63–मशीन–001–मशीन और संयत्र	8808	0.25
11	2230	63–मशीन–001–मशीन और संयत्र	6640	0.01
12	2230	63–मशीन–001–मशीन और संयत्र	6950	0.01
योग				**14.80**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के बजट पुस्तिका)

परिशिष्ट 3.1
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्ष वार स्थिति
(संदर्भः कंडिका 3.1; पृष्ठ 59)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष वार विवरण	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	
		संख्या	राशि
1	2	3	4
1	2011–संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	30	1.29
2	2014–न्याय प्रशासन	375	1.55
3	2029–भू–राजस्व	104	1.20
4	2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	04	0.17
5	2047–अन्य राज्यकोषीय सेवाएं	04	0.01
6	2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं	93	87.72
7	2055–पुलिस	12	1.76
8	2075–विविध सामान्य सेवाएं	532	4.95
9	2202–सामान्य शिक्षा	2841	1928.32
10	2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं	05	10.78
11	2205–कला तथा संस्कृति	01	0.15
12	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	08	118.67
13	2215–जलपूर्ति तथा सफाई	538	21.17
14	2216–आवास	3336	246.81
15	2217–शहरी विकास	684	321.34
16	2220–सूचना तथा प्रचार	35	1.50
17	2225–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	85	314.11
18	2230–श्रम तथा रोजगार	1269	44.61
19	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1143	748.03
20	2236–पोषण	09	86.65
21	2250–अन्य सामाजिक सेवाएं	06	22.94
22	2401–फसल कृषि–कर्म	3090	439.99
23	2403–पशुपालन	495	201.86
24	2405–मछली पालन	3536	11.12
25	2408–खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	1596	4795.82
26	2425–सहकारिता	644	251.80
27	2501–ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	35	1021.62
28	2505–ग्राम रोजगार	34	158.42
29	2702–लघु सिंचाई	280	12.55
30	2801–बिजली	323	975.04
31	2810–अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	28	23.36
32	2851–ग्रामीण तथा लघु उद्योग	657	217.45
33	2852–उद्योग	2987	187.07
34	2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	849	233.46
35	3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	397	10.89
36	3452–पर्यटन	185	81.05

स.क्र.	मुख्य शीर्ष वार विवरण	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	
		संख्या	राशि
1	2	3	4
37	3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	20	57.45
38	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1268	8711.00
39	4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	04	2.65
40	4402–मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	11	1.25
41	6425–सहकारिता के लिए कर्ज	59	1.70
योग		**27612**	**21359.28**

(स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 3.2
दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के प्रकरणों का मुख्य शीर्ष वार/अवधिवार ब्यौरा
(संदर्भः कंडिका 3.3; पृष्ठ 61)

(₹ लाख मे)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष वार विवरण	5 वर्षों तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष और अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2014–न्याय प्रशासन	04	19.86	02	3.64	-	-	-	-	01	0.44	-	-	07	23.94
2	2015–निर्वाचन	-	-	01	7.90	-	-	-	-	01	3.77	-	-	02	11.67
3	2039–राज्य उत्पाद शुल्क	01	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.00
4	2040–वाणिज्यिक कर	01	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.70
5	2054–कोषालय एवं लेखा प्रशासन	03	440.49	02	358.72	-	-	-	-	01	18.25	05	12.97	11	830.43
6	2055–पुलिस	92	119.31	117	38.34	84	49.24	23	24.04	06	5.06	-	-	322	235.99
7	2058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण	01	8.41	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.17	02	8.58
8	2202–सामान्य शिक्षा	27	351.50	36	352.07	06	15.84	07	4.60	10	6.02	32	22.73	118	752.76
9	2203–तकनीकी शिक्षा	03	2.27	07	16.97	04	8.13	-	-	-	-	-	-	14	27.37
10	2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं	03	4.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03	4.18
11	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	02	6.76	02	13.12	01	4.43	05	24.27	01	3.08	05	9.99	16	61.65
12	2211–परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	3.68	02	3.68
13	2215–जलपूर्ति तथा सफाई	-	-	03	4.05	01	0.38	01	0.48	-	-	-	-	05	4.91
14	2225–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	03	3.72	04	5.36	07	9.08
15	2230–श्रम तथा रोजगार	07	8.27	03	1.69	02	1.42	-	-	-	-	-	-	12	11.38
16	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	01	0.85	-	-	01	1.31	01	4.04	01	0.20	03	2.46	07	8.86

स. क्र.	मुख्य शीर्ष वार विवरण	5 वर्षों तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष और अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	2401–फसल कृषि–कर्म	10	31.77	05	8.88	04	4.64	-	-	-	-	03	0.48	22	45.77
18	2403–पशुपालन	04	4.91	01	0.64	05	1.08	04	6.32	01	0.24	06	5.93	21	19.12
19	2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी	493	344.98	142	375.00	212	181.94	346	337.93	518	171.81	790	140.23	2501	1551.89
20	2501–ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	-	-	01	42.31	-	-	02	1.34	01	2.90	-	-	04	46.55
21	2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	02	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	0.12
22	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	01	8.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	8.56
23	लोक निर्माण विभाग	05	23.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05	23.09
24	नर्मदा घाटी विकास विभाग	03	1.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03	1.30
25	जल संसाधन विभाग	09	26.59	-	-	01	1.00	-	-	-	-	-	-	10	27.59
योग		**672**	**1403.92**	**322**	**1223.33**	**321**	**269.41**	**389**	**403.02**	**544**	**215.49**	**851**	**204.00**	**3099**	**3719.17**

(स्रोतः महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश द्वारा संधारित जानकारी)

परिशिष्ट 3.3
चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के प्रकरणों के संबंध में मुख्य शीर्ष वार/संवर्गवार विवरण
(संदर्भः कंडिका 3.3; पृष्ठ 61)

(₹ लाख में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष वार विवरण	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग/सरकारी सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2014–न्याय प्रशासन	05	5.43	02	18.51	07	23.94
2	2015–निर्वाचन	01	7.90	01	3.77	02	11.67
3	2039–राज्य उत्पाद शुल्क	01	0.00	-	-	01	0.00
4	2040–वाणिज्यिक कर	-	-	01	0.70	01	0.70
5	2054–कोषालय एवं लेखा प्रशासन	04	447.59	07	382.84	11	830.43
6	2055–पुलिस	14	16.65	308	219.34	322	235.99
7	2058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण	-	-	02	8.58	02	8.58
8	2202–सामान्य शिक्षा	34	66.03	84	686.73	118	752.76
9	2203–तकनीकी शिक्षा	09	12.09	05	15.28	14	27.37
10	2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं	01	0.44	02	3.74	03	4.18
11	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	06	7.47	10	54.18	16	61.65
12	2211–परिवार कल्याण	-	-	02	3.68	02	3.68
13	2215–जलपूर्ति तथा सफाई	03	2.71	02	2.20	05	4.91
14	2225–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	02	4.26	05	4.82	07	9.08
15	2230–श्रम तथा रोजगार	09	3.85	03	7.53	12	11.38
16	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	03	2.47	04	6.39	07	8.86
17	2401–फसल कृषि–कर्म	14	9.84	08	35.93	22	45.77
18	2403–पशुपालन	08	7.16	13	11.96	21	19.12
19	2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी	42	12.19	2459	1539.70	2501	1551.89
20	2501–ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	01	0.43	03	46.12	04	46.55
21	2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	01	0.12	01	0.00	02	0.12
22	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	-	-	01	8.56	01	8.56
23	नर्मदा घाटी विकास विभाग	02	0.38	01	0.92	03	1.30
24	लोक निर्माण विभाग	03	12.59	02	10.50	05	23.09
25	जल संसाधन विभाग	10	27.59	-	-	10	27.59
योग		**173**	**647.19**	**2926**	**3071.98**	**3099**	**3719.17**

(स्रोतः महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश द्वारा संधारित जानकारी)

परिशिष्ट 3.4

2015–16 के दौरान अपलेखित प्रकरणों का मुख्य शीर्ष वार विवरण

(संदर्भः कंडिका 3.3; पृष्ठ 62)

(₹ लाख में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष वार विवरण	अपलेखन की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2055–पुलिस	पुलिस महानिदेशक, भोपाल	दुर्घटनाग्रस्त मोटर वाहन तथा वायरलेस सेट	19	5.59
2	2202–सामान्य शिक्षा	निदेशक, लोक शिक्षा, भोपाल	आग से हुई हानि	01	0.70
3	2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वित्त एवं बजट, मध्य प्रदेश, भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण, विभाग द्वारा अपलेखित प्रकरण	107	56.92
योग				**127**	**63.21**

(स्रोतः महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश द्वारा संधारित जानकारी)

परिशिष्ट 3.5
2015–16 के दौरान हानि के मामलों में सूचित की गई वसूली
(संदर्भः कंडिका 3.3; पृष्ठ 62)

(राशि ₹ में)

स. क.	प्रकरण संख्या	प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्ष वार विवरण	दुर्विनियोग/ हानि/चोरी /अन्य प्रकार	वर्ष से संबंधित	हानि की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	11	01	2014–न्याय प्रशासन	चोरी	2011-12	100000	100000
		01			**योग**	**100000**	**100000**
2	383	01	2055–पुलिस	मोटर दुर्घटना	2006-07	49014	49014
3	275	01	2055–पुलिस	चोरी	2004-05	18789	18789
4	265	01	2055–पुलिस	मोटर दुर्घटना	2004-05	4000	4000
5	201	01	2055–पुलिस	मोटर दुर्घटना	2001-02	70000	70000
6	62	01	2055–पुलिस	मोटर दुर्घटना	1996-97	8000	8000
7	18	01	2055–पुलिस	मोटर दुर्घटना	1989-90	26583	26583
8	719	01	2055–पुलिस	मोटर दुर्घटना	2010-11	35000	35000
9	669	01	2055–पुलिस	मोटर दुर्घटना	2009-10	35000	35000
10	765	01	2055–पुलिस	मोटर दुर्घटना	2011-12	10562	10562
11	673	01	2055–पुलिस	मोटर दुर्घटना	2009-10	51550	51550
12	756	01	2055–पुलिस	चोरी	2011-12	38149	38149
13	427	01	2055–पुलिस	मोटर दुर्घटना	1996-97	50000	50000
14	733	01	2055–पुलिस	मोटर दुर्घटना	2010-11	400	400
15	632	01	2055–पुलिस	मोटर दुर्घटना	2009-10	1025	1025
16	71	01	2055–पुलिस	मोटर दुर्घटना	1997-98	80000	80000
17	407	01	2055–पुलिस	चोरी	2007-08	12600	12600
18	768	01	2055–पुलिस	मोटर दुर्घटना	2011-12	3000	3000
19	796	01	2055–पुलिस	मोटर दुर्घटना	2011-12	80000	80000
20	640	01	2055–पुलिस	मोटर दुर्घटना	2009-10	2980	2980
21	94	01	2055–पुलिस	दुर्विनियोग	1990-91	30955	30955
22	770	01	2055–पुलिस	मोटर दुर्घटना	2011-12	77728	77728
23	779	01	2055–पुलिस	मोटर दुर्घटना	2011-12	58480	58480
		22			**योग**	**743815**	**743815**
24	58	01	2202–सामान्य शिक्षा	दुर्विनियोग	1992-93	200000	200000
25	60	01	2202–सामान्य शिक्षा	चोरी	1992-93	11890	11890
26	76	01	2202–सामान्य शिक्षा	दुर्विनियोग	2002-03	19615	19615
		03			**योग**	**231505**	**231505**
27	95	01	2225–अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	चोरी	1991-92	11320	11320
28	105	01	2225–अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	चोरी	1991-92	82921	82921

स. क.	प्रकरण संख्या	प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्ष वार विवरण	दुर्विनियोग/ हानि/चोरी /अन्य प्रकार	वर्ष से संबंधित	हानि की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
29	106	01	2225–अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	दुर्विनियोग	1991-92	87971	87971
30	108	01	2225–अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	चोरी	1991-92	73944	73944
		04			**योग**	**256156**	**256156**
31	5	01	2230–श्रम तथा रोजगार (स्कूल प्रशिक्षण संस्थान)	चोरी	2009-10	135528	135528
		01			**योग**	**135528**	**135528**
32	232	01	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	दुर्विनियोग	1995-96	14425	14425
		01			**योग**	**14425**	**14425**
33	501	01	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1966-67	1085	1085
34	008-22	03	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1967-72	7194	7194
35	477	01	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1972-73	1645	1645
36	301-470	02	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1976-77	13286	11708
37	26-275-77	03	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1977-78	77594	77381
38	59-130	03	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1978-79	28257	25861
39	447-475	03	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1979-80	12488	11130
40	469	01	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1981-82	51	51
41	105	01	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1982-83	2535	2535
42	569	01	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1983-84	8209	8209
43	53-424	03	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1983-90	114880	114880
44	107	01	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1984-85	15411	15411
45	187-349	03	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1986-87	69103	69103
46	568-475	04	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1987-88	24552	24552
47	114-496 219-652	04	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1988-89	46638	34956

स. क.	प्रकरण संख्या	प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्ष वार विवरण	दुर्विनियोग/ हानि/चोरी /अन्य प्रकार	वर्ष से संबंधित	हानि की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
48	200-539	04	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1989-90	10317	10317
49	498-490 127-472	08	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1990-91	177574	173864
50	134- 137-155	03	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1991-92	4741	4741
51	466-268 642-495	05	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1992-93	199632	199632
52	473-483 197-476	07	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1993-94	315273	315273
53	641	01	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1993-95	5616	5616
54	650-542 640-514	04	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1994-95	23985	13327
55	640	01	2406–वानिकी और वन्य जीवन	दुर्विनियोग	1994-95	18696	18696
56	497	01	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1995-96	11006	11006
57	259-260	02	2406–वानिकी और वन्य जीवन	चोरी	1995-96	7275	7275
58	127-496	03	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1995-98	33931	33931
59	273	01	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1996-01	324366	324366
60	500-482 215-467	09	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1996-97	146816	146816
61	465-484	05	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1997-98	37362	37362
62	647-521	04	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1998-99	31258	28858
63	468-494	02	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1999-00	5829	5829
64	503-354	03	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2000-01	16940	16940
65	442-357	03	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2002-03	10387	10387
66	440-245	02	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2003-04	163047	163047
67	226-653	03	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2004-05	85226	85226
68	444-494	06	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2005-06	44876	41722
69	316-474 190-196	09	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2006-07	502521	502521
70	304-195	02	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2007-08	9508	9508

स. क.	प्रकरण संख्या	प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्ष वार विवरण	दुर्विनियोग/ हानि/चोरी /अन्य प्रकार	वर्ष से संबंधित	हानि की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
71	318-645	06	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2008-09	67852	67852
72	313-536-253	12	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2009-10	159428	159428
73	314-508	17	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2010-11	162486	162486
74	246	01	2406–वानिकी और वन्य जीवन	चोरी	2010-11	2466	2466
75	320-499	14	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2011-12	114779	114779
76	248	01	2406–वानिकी और वन्य जीवन	चोरी	2011-12	25924	25924
77	307-649	36	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2012-13	157502	157502
78	648-545	02	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2012-14	75369	75369
79	302-081	65	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2013-14	82318	82318
80	217	01	2406–वानिकी और वन्य जीवन	चोरी	2013-14	26565	26565
81	262-697-616	54	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2014-15	58484	58484
82	373-397	07	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2015-16	5663	5663
83	247-417	18	2406–वानिकी और वन्य जीवन	हानि	निरंक	337056	314542
		356			**योग**	**3885002***	**3825339**
		388	**कुल योग**			**5366431***	**5306768**

(स्रोतः महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश द्वारा संधारित जानकारी)

** हानि की राशि एवं वसूल की गई राशि में अंतर विभाग द्वारा आंशिक राशि के अपलेखन के कारण है।*

परिशिष्ट 3.6

संचालक, नागरिक विमानन विभाग के भण्डार में आयटम्स की कमी
(संदर्भः कंडिका 3.3; पृष्ठ 62)

(₹ लाख में)

स.क्र.	नामावली	आयटम्स	कम हुए आयटम्स का मूल्य
1	**2**	**3**	**4**
1	एयरक्राफ्ट किंग एयर सी–90 वीटी–ईएफपी एण्ड वीटी–ईएफजेड	स्पेयर पार्टस	6.22
2	एयरक्राफ्ट सुपर किंग एयर बी–200 वीटी–एमपीटी	स्पेयर पार्टस	32.10
		स्पेशल टूल्स	0.48
		फेब्रीकेटेड टूल्स	9.64
3	बेल 430 हेलिकॉप्टर वीटी–एमपीएस	स्पेयर पार्टस	9.06
4	बेल 407 हेलिकॉप्टर वीटी–एमपीयू	स्पेयर पार्टस	1.30
5	चेतक हेलिकॉप्टर एसई–3160 वीटी–ईसीई एण्ड वीटी–ईआरटी	स्पेयर टूल्स	1.16
6	डॉफिन हेलिकॉप्टर एसए–365 एन वीटी–ईएनडब्ल्यू	स्पेयर पार्टस	37.78
		स्पेशल टूल्स	0.25
7	यूरो कॉप्टर ईसी–155 हेलिकॉप्टर वीटी–एमपीआर	स्पेयर पार्टस	0.10
8	जेट ए–1 ईंधन	ईंधन	6.30
9	स्नेप ऑन टूल्स ट्रॉली	इम्पॉरटेड टूल्स	7.92
10	वर्कशॉप रेडियो प्रॉपर्टी आयटम्स	इक्यूपमेंट	1.67
11	वर्कशॉप जनरल टूल्स	जनरल टूल्स	0.28
12	वर्कशॉप प्रॉपर्टी आयटम्स	प्रॉपर्टी आयटम्स	2.17
			5.50
योग			**121.93**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 3.7
लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया जाना
(संदर्भः कंडिका 3.7; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष वार विवरण	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1	2053–जिला प्रशासन	518.40	77.35	14.92
2	2075–विविध सामान्य सेवाएं	16.45	15.64	95.08
3	2204–खेलकूद तथा युवा कल्याण सेवाएं	146.19	98.45	67.34
4	2205–कला एवं संस्कृति	133.84	64.75	48.38
5	2217–शहरी विकास	3682.80	2201.98	59.79
6	2250–अन्य सामाजिक सेवाएं	113.53	113.53	100
7	2401–फसल कृषि–कर्म	2241.82	244.35	10.90
8	2405–मछली पालन	61.43	12.29	20.01
9	2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3447.94	440.58	12.78
10	2701–मध्यम सिंचाई	378.69	65.02	17.17
11	2702–लघु सिंचाई	131.88	124.44	94.36
12	2705–कमान क्षेत्र विकास	5.38	3.36	62.45
13	2810–अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत	2.93	0.73	24.91
14	2852–उद्योग	1208.79	1193.85	98.76
15	2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	994.63	635.01	63.84
16	3054–सड़कें तथा सेतु	1209.40	401.19	33.17
17	3454–जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	61.94	22.69	36.63
18	4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	189.73	45.80	24.14
19	4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	23.86	23.86	100
20	4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	758.32	87.11	11.49
21	4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	915.29	414.73	45.31
22	4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	514.30	374.79	72.87
23	4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	409.21	170.93	41.77
24	4403–पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	34.67	8.84	25.50
25	4515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	2418.78	2257.47	93.33
26	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4582.27	3994.61	87.18
27	4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	720.22	648.92	90.10

स.क्र.	मुख्य शीर्ष वार विवरण	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
1	**2**	**3**	**4**	**5**
28	4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	923.69	322.12	34.87
29	4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	140.29	16.91	12.05
30	4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	6.24	0.82	13.14
31	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	549.49	141.36	25.73
32	4810—नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा	0.20	0.20	100
33	4852—लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	20.00	20.00	100
34	4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.98	0.98	100
35	4875—अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	13.85	13.85	100
36	5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3363.37	1889.07	56.17
37	5425—अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	1.30	1.20	92.31
योग		**29942.10**	**16148.78**	

(स्रोतः वर्ष 2015—16 के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 3.8
लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत दर्ज किया जाना
(संदर्भः कंडिका 3.7; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष वार विवरण	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्ति	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1	0029–भू–राजस्व	276.86	73.32	26.48
2	0035–कृषि भूमि के अतिरिक्त अचल संपत्ति पर कर	577.20	577.20	100
3	0039–राज्य उत्पाद शुल्क	7922.84	6712.51	84.72
4	0041–वाहनों पर कर	1933.57	281.10	14.54
5	0043–विद्युत पर कर तथा शुल्क	2257.83	313.13	13.87
6	0049–ब्याज प्राप्तियां	429.47	71.51	16.65
7	0055–पुलिस	111.50	30.54	27.39
8	0056–जेल	3.28	3.10	94.51
9	0059–लोक निर्माण कार्य	65.71	65.02	98.95
10	0071–पेंशन तथा अन्य सेवा–निवृत्ति लाभों के संबंध में अशंदान और वसूली	42.51	4.46	10.49
11	0075–विविध सामान्य सेवाएं	871.21	159.34	18.29
12	0211–परिवार कल्याण	0.13	0.08	61.54
13	0217–शहरी विकास	28.03	27.89	99.50
14	0220–सूचना तथा प्रचार	0.20	0.12	60.00
15	0235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	56.55	52.17	92.25
16	0401–फसल कृषि–कर्म	57.20	23.87	41.73
17	0403–पशुपालन	2.94	1.61	54.76
18	0405–मछली पालन	7.20	0.86	11.94
19	0406–वानिकी तथा वन्य प्राणी	1001.71	204.94	20.46
20	0435–अन्य कृषि कार्यक्रम	2.72	2.15	79.04
21	0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	68.63	55.90	81.45
22	0700–मुख्य सिंचाई	59.11	53.02	89.70
23	0701–मध्यम सिंचाई	97.04	21.64	22.30
24	0702–लघु सिंचाई	326.74	326.74	100
25	0801–बिजली	190.09	190.09	100
26	0851–ग्राम तथा लघु उद्योग	2.15	0.44	20.47
27	0853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3059.64	2473.25	80.83
28	0875–अन्य उद्योग	0.01	0.01	100
29	1054–सड़क तथा सेतु	5.08	0.85	16.73
30	1452–पर्यटन	20.64	20.64	100
योग		**19477.79**	**11747.50**	

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 3.9
सिंहस्थ 2016 से संबंधित देयताएँ
(संदर्भः कंडिका 3.8; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	कंपनी/फर्म का नाम	मद	मात्रा	क्रय दिनांक	देयक राशि	देयक की बकाया राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	भारती एयर टेल लिमिटेड	डाटा सिम	200	27-01-2016	0.02	0.02
2	भारती एयर टेल लिमिटेड	डाटा कार्ड	50	21-03-2016	0.01	0.01
3	एनवॉयस इलेक्ट्रॉनिक्स	वी.एम.एस.	15	25-02-2016	2.06	2.06
4	हनीवेल इंडिया लिमिटेड	सी.सी.टी.वी., उज्जैन	टर्न की प्रोजेक्ट	01-12-2015	21.65	13.00
5	हनीवेल इंडिया लिमिटेड	टेम्पॉररी कन्ट्रोल रूम, रानौजी की छतरी	बैण्डविड्थ चार्ज	02-02-2016	0.19	0.19
6	आईडिया सेलुलर लिमिटेड	डाटा सिम	250	27-01-2016	0.02	0.02
7	मैट्रिक्स कॉस्मेक, गुजरात	ई.पी.बी.ए.एक्स.	2	25-02-2016	0.04	0.04
8	टी.सी.आई.एल.	रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम	टर्न की प्रोजेक्ट	17-06-2015	12.93	12.93
9	यूनीकॉप्स टेक्नालॉजीस लिमिटेड	मल्टीमिडिया प्रोजेक्टर	5	11-02-2016	0.02	0.02
योग					**36.94**	**28.29**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

परिशिष्ट 3.10
बैंक खातों के अनियमित संधारण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(संदर्भः कंडिका 3.9; पृष्ठ 66)

(₹ लाख में)

स.क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	बैंक खातों की संख्या	बैंक का नाम एवं शाखा	बैंक खाता कमांक	31 मार्च 2016 की स्थिति में शेष
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वित्त विभाग	संचालनालय संस्थागत वित्त	संयुक्त संचालक, संस्थागत वित्त	1	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा अरेरा हिल्स, भोपाल	1793133360	15.57
2	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	सहायक संचालक, मछली पालन, सतना	सहायक संचालक, मछली पालन, सतना	1	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा, सतना	2912010059300	22.88
		सहायक संचालक, मछली पालन, सीधी	सहायक संचालक, मछली पालन, सीधी	3	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कलेक्ट्रेट कैम्पस, सीधी	526102010001771	3.59
						526102010002287	9.10
						526102010001802	0.18
		सहायक संचालक, मछली पालन, शहडोल	सहायक संचालक, मछली पालन, शहडोल	3	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, शहडोल	685001046095	46.85
						685001034715	42.89
						685001049325	13.70
		सहायक संचालक, मछली पालन, नरसिंहपुर	सहायक संचालक, मछली पालन, नरसिंहपुर	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नरसिंहपुर	11309591707	2.21
		सहायक संचालक, मछली पालन, छिन्दवाड़ा	सहायक संचालक, मछली पालन, छिन्दवाड़ा	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा ए.जी., छिन्दवाड़ा	10587248360	17.15
		सहायक संचालक, मछली पालन, मण्डला	सहायक संचालक, मछली पालन, मण्डला	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मण्डला	10957669796	1.50
		सहायक संचालक, मछली पालन, गुना	सहायक संचालक, मछली पालन, गुना	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गुना	53006563179	1.35
		सहायक संचालक, मछली पालन, विदिशा	सहायक संचालक, मछली पालन, विदिशा	1	केन्द्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, विदिशा	2004041010008240	2.09

स.क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	बैंक खातों की संख्या	बैंक का नाम एवं शाखा	बैंक खाता कमांक	31 मार्च 2016 की स्थिति में शेष
1	2	3	4	5	6	7	8
		सहायक संचालक, मछली पालन, बैतूल	सहायक संचालक, मछली पालन, बैतूल	1	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गंज, बैतूल	2029117627	1.18
		सहायक संचालक, मछली पालन, होशंगाबाद	सहायक संचालक, मछली पालन, होशंगाबाद	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा मीनाक्षी चौक, होशंगाबाद	10902518322	0.86
		सहायक संचालक, मछली पालन, सागर	सहायक संचालक, मछली पालन, सागर	1	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सागर	1564831481	5.11
		सहायक संचालक, मछली पालन, छतरपुर	सहायक संचालक, मछली पालन, छतरपुर	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, छतरपुर	10518259408	18.10
		सहायक संचालक, मछली पालन, टीकमगढ़	सहायक संचालक, मछली पालन, टीकमगढ़	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टीकमगढ़	11084743684	47.12
		सहायक संचालक, मछली पालन, दमोह	सहायक संचालक, मछली पालन, दमोह	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दमोह	10479596402	29.06
		सहायक संचालक, मछली पालन, पन्ना	सहायक संचालक, मछली पालन, पन्ना	1	मध्यांचल ग्रामीण बैंक, पन्ना	8016820382	0.16
		संयुक्त संचालक, मछली पालन, इंदौर	संयुक्त संचालक, मछली पालन, इंदौर	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंदौर	53042786488	4.24
		सहायक संचालक, मछली पालन, धार	सहायक संचालक, मछली पालन, धार	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, धार	53019748431	2.86
		सहायक संचालक, मछली पालन, झाबुआ	सहायक संचालक, मछली पालन, झाबुआ	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा, राजवाड़ा झाबुआ	10982689826	0.33
		सहायक संचालक, मछली पालन, खरगोन	सहायक संचालक, मछली पालन, खरगोन	1	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, खरगौन	660001033557	1.53
		सहायक संचालक, मछली पालन, देवास	सहायक संचालक, मछली पालन, देवास	1	बैंक ऑफ इंडिया, देवास	890010100019490	7.59
		सहायक संचालक, मछली पालन, रतलाम	सहायक संचालक, मछली पालन, रतलाम	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा स्टेशन रोड, रतलाम	53010954292	15.78

स.क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	बैंक खातों की संख्या	बैंक का नाम एवं शाखा	बैंक खाता कमांक	31 मार्च 2016 की स्थिति में शेष
1	2	3	4	5	6	7	8
		सहायक संचालक, मछली पालन, शाजापुर	सहायक संचालक, मछली पालन, शाजापुर	1	बैंक ऑफ इंडिया, शाजापुर	955010200010072	1.49
		उप संचालक, मछली पालन, उज्जैन	उप संचालक, मछली पालन, उज्जैन	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा माधव नगर, उज्जैन	10441210999	5.70
		सहायक संचालक, मछली पालन, शिवपुरी	सहायक संचालक, मछली पालन, शिवपुरी	3	पंजाब एवं सिंध बैंक, शिवपुरी	4921000004478	3.70
					मध्य भारत ग्रामीण बैंक, शिवपुरी	8052520157	0.40
					बैंक ऑफ बड़ोदा, शिवपुरी	24910100009954	16.45
		सहायक संचालक, मछली पालन, जबलपुर	सहायक संचालक, मछली पालन, जबलपुर	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा कमला नेहरू नगर, जबलपुर	10190427620	17.79
		सहायक संचालक, मछली पालन, सिवनी	सहायक संचालक, मछली पालन, सिवनी	1	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिवनी	418902010008898	12.00
		सहायक संचालक, मछली पालन, बालाघाट	सहायक संचालक, मछली पालन, बालाघाट	1	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, बालाघाट	649001074598	15.93
3	गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	संचालनालय, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल	प्राचार्य, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल	1	पंजाब नेशनल बैंक, शाखा शिवाजी नगर, भोपाल	591000100314985	450.06
		इंदिरा गांधी महिला एवं बाल अस्पताल गैस राहत, भोपाल	अधीक्षक, इंदिरा गांधी महिला एवं बाल अस्पताल गैस राहत, भोपाल	2	इलाहाबाद बैंक, शाखा हमीदिया रोड, भोपाल	20603842717	0.15
						20603861138	11.45
		कलेक्टर गैस राहत, भोपाल	कलेक्टर गैस राहत, भोपाल	2	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा जुमेराती, भोपाल	325202011016655	821.16
					बैंक ऑफ इंडिया, शाखा अरेरा कॉलोनी, भोपाल	900210210000022	920.66
4	उच्च शिक्षा	अधिष्ठाता, बुंदेलखण्ड मेडिकल कॉलेज, सागर	अधिष्ठाता, मेडिकल कॉलेज, सागर	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेडिकल कॉलेज, सागर	30371702094	32.00
		दन्त चिकित्सा कॉलेज, इंदौर	प्राचार्य, दन्त चिकित्सा कॉलेज, इंदौर	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा एम.वाई.एच., इंदौर	53003591326	31.63
		अधिष्ठाता, महात्मा गॉधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौर	अधिष्ठाता, मेडिकल कॉलेज, इंदौर	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा एम.वाई.एच., इंदौर	34761344614	116.06

स.क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	बैंक खातों की संख्या	बैंक का नाम एवं शाखा	बैंक खाता कमांक	31 मार्च 2016 की स्थिति में शेष
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
5	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	सहायक संचालक, उद्यानिकी, सिवनी	सहायक संचालक, उद्यानिकी, सिवनी	2	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिवनी	63027906721	0.03
					बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिवनी	60195362878	0.84
		उप संचालक, उद्यानिकी, नीमच	उप संचालक, उद्यानिकी, नीमच	3	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नीमच	467802010233214	1.31
						467802010230657	0.003
					केन्द्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, नीमच	2003151030006867	0.33
		संयुक्त संचालक, उद्यानिकी, सतना	संयुक्त संचालक, उद्यानिकी, सतना	1	आई.डी.बी.आई. बैंक, सतना	422104000006941	52.87
6	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बुरहानपुर	प्रबंधक निदेशक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बुरहानपुर	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा शनवारा, बुरहानपुर	31114165908	0.29
		परिक्षेत्रीय उद्योग, कार्यालय, उज्जैन	संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग, कार्यालय, उज्जैन	1	बैंक ऑफ बड़ोदा, वेदनगर, उज्जैन	32180100005091	0.01
		जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, शहडोल	संयुक्त संचालक व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, शहडोल	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा, शहडोल	31070517764	0.08
योग			**40**	**51**			**2825.37**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in